अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http;//updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश

वार्षिक प्रतिवेदन

2018-19

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http;//updes.up.nic.in

अरविन्द कुमार पाण्डेय
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

प्राक्कथन

संतुलित विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं का नियोजित अनुप्रयोग आवश्यक व अपरिहार्य है और इस प्रक्रिया में सम्बन्धित सांख्यिकीय आँकड़ों की उपादेयता निर्विवादित है। इस क्रम में प्रदेश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग सतत् प्रयत्नशील है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI), भारत सरकार के दिशा–निर्देश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी कार्य, सर्वेक्षण व अनुमान इत्यादि तैयार किये जाते हैं। प्रभाग स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों की स्थिति व उद्देश्य के सन्दर्भ में वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास वर्ष 2011 में किया गया था। इसी श्रृंखला में वार्षिक प्रतिवेदन के वर्ष 2018–19 के अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रस्तुत अंक में कुल 15 अध्याय हैं, जिसमें प्रभाग का परिचय, प्रभाग मुख्यालय स्तर पर अनुभागवार सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण एवं क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकाशन को तैयार किये जाने हेतु सम्पादक मण्डल के साथ प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का योगदान प्रशंसनीय है।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

सम्पादक मण्डल

अध्यक्ष

श्री ए0के0 पाण्डेय, निदेशक, प्रभाग मुख्यालय

सदस्य

1. डा. श्रीमती दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
2. श्रीमती रश्मि, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
3. श्रीमती शालू गोयल, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

सदस्य सचिव

श्री विनोद कुमार, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫

विषय–वस्तु

अध्याय	पृष्ठ–संख्या
1. अर्थ एवं संख्या प्रभाग–एक परिचय	1– 14
2. राज्य आय अनुभाग	15–27
3. क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग	28–33
4. डेटा बैंक अनुभाग	34–43
5. भाव अनुभाग	44–50
6. औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग	51–60
7. आवास सांख्यिकी अनुभाग	61–63
8. संगणक अनुभाग	64–66
9. ग्राफ अनुभाग	67–68
10. वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग	69–76
11. प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग	77–78
12. समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	79–80
13. स्थापना अनुभाग	81
14. लेखा अनुभाग	82–84
15. क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य	85–92
16. फोटो सेक्शन	93–95

अध्याय–1
अर्थ एवं संख्या प्रभाग – एक परिचय

उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 09 प्रभाग कार्यरत हैं, जिनमें से अर्थ एवं संख्या प्रभाग एक है। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग है जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मण्डलों एवं जनपदों में भी स्थित हैं। मण्डल स्तर पर श्रेणी–1 के उप निदेशक तथा सभी जनपदों में श्रेणी–2 के अर्थ एवं संख्याधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इस प्रभाग का एक पद सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) है, जो खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पद–स्थित होता है।

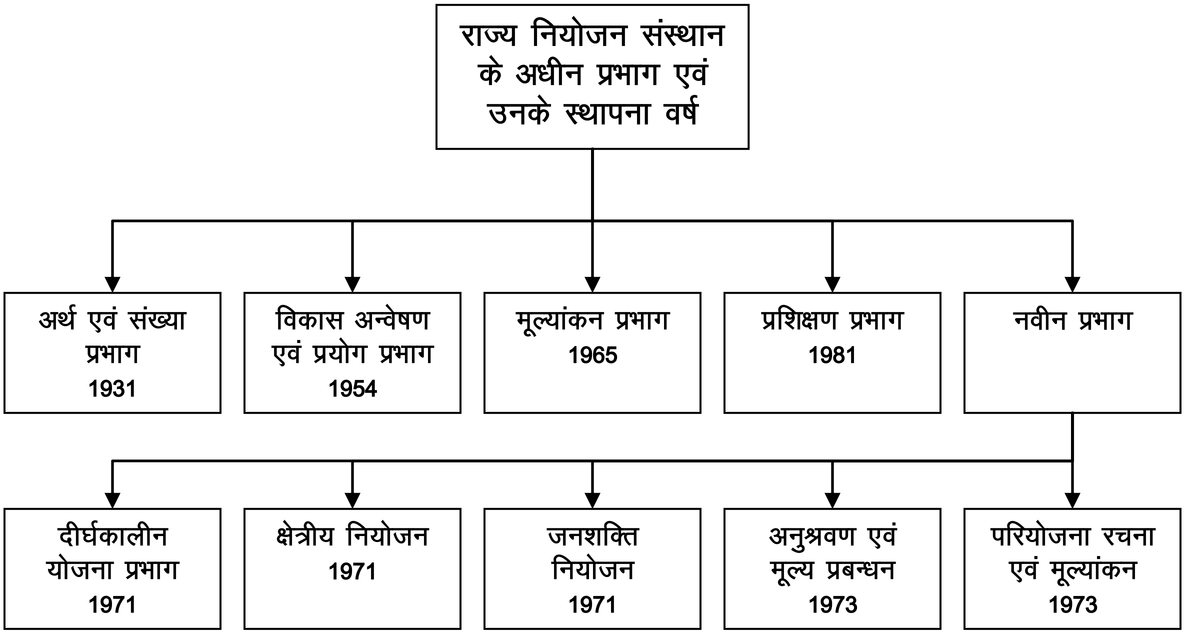

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित व संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने के दायित्व की पूर्ति हेतु इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में Bureau of Statistics and Economic Research नाम से की गई थी। वर्ष 1938 में इस Bureau को पुनर्गठित कर पहले उद्योग निदेशालय, तत्पश्चात् मूल्य नियंत्रण विभाग में संविलीन किया गया। वर्ष 1942 मे मूल्य नियंत्रण विभाग को समाप्त कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग बनाए गए। अर्थ एवं संख्या विभाग को राज्य सरकार के आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1947 में राज्य सचिवालय के अन्तर्गत आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित करके उसके अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो0 एस0के0 रूद्रा (1942–1947) को इसका प्रथम आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक बनाया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

वर्ष 1951 तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय का दायित्व राज्य मुख्यालय तक ही सीमित रहा। वर्ष 1952 में प्रत्येक जनपद में Economic Intelligence Inspector के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्य सम्पादन एवं विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की प्रगति के विवरण के संकलन, भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1958 में प्रत्येक जनपद में जिला सांख्यिकीय अधिकारी के पद सृजित करते हुए उनके कार्यालयों की स्थापना की गई। विकास कार्यों से सम्बन्धित आँकड़ों के

रखरखाव तथा प्रगति के अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–एक प्रगति सहायक (वर्तमान पदनाम सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय)) के पद का सृजन वर्ष 1959 में हुआ। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने हेतु वर्ष 1973 में प्रत्येक जिला सांख्यिकीय कार्यालय में अर्थ अधिकारी के पद एवं अन्य अधीनस्थ पद सृजित किए गए। वर्ष 1988 में जनपद स्तरीय कार्यालय में पदस्थित श्रेणी–2 के पदों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पुनः पदाभिहीत संवर्ग में सम्मिलित और संविलीन किया गया।

मण्डल स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों के सम्पादन, विकास कार्यों के नियोजन एवं अनुश्रवण में मण्डलायुक्त के सहायतार्थ तथा प्रभागीय जनपद कार्यालय के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1979 में उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की गयी।

प्रभाग का संगठनात्मक ढांचा

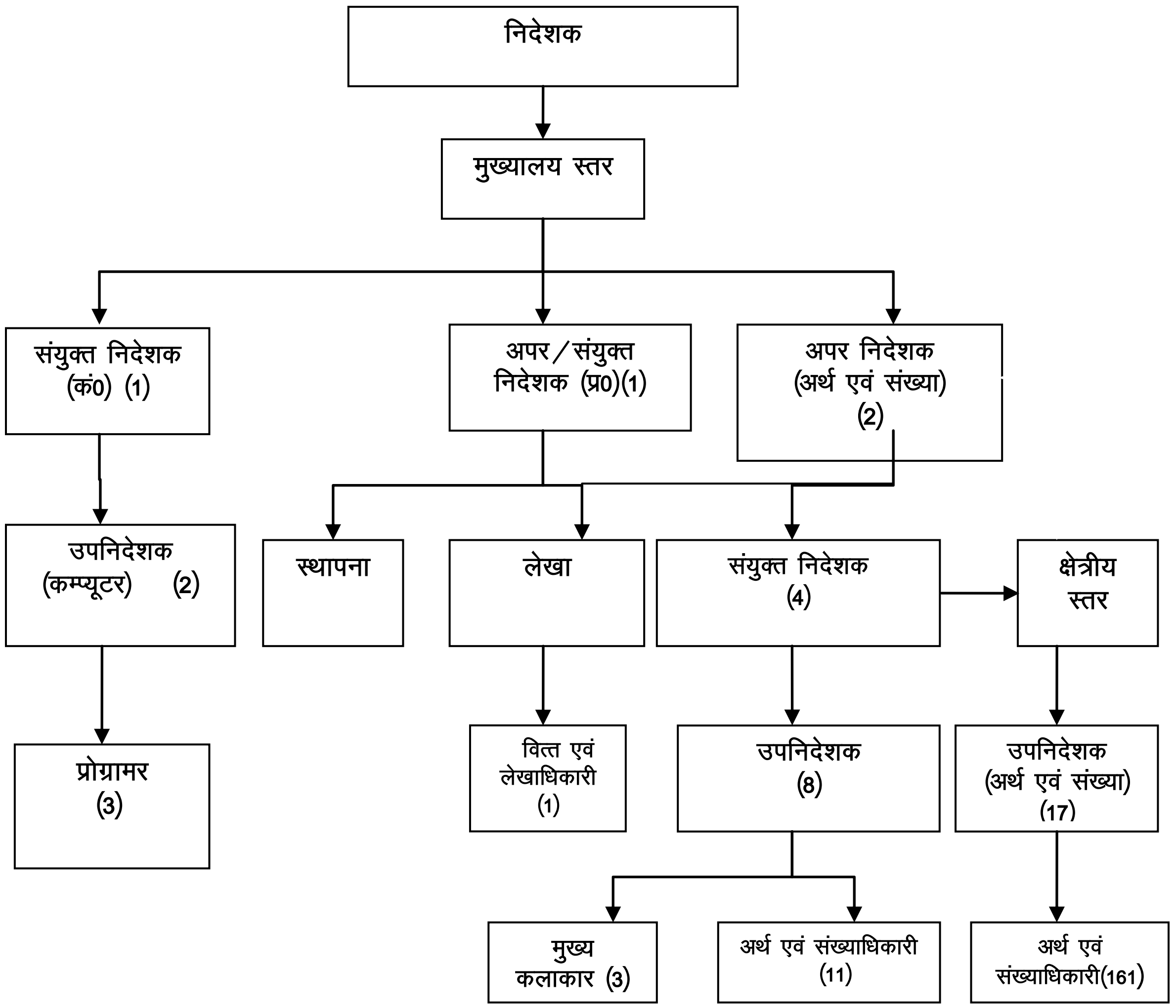

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में दिनांक 31–03–2019 को स्वीकृत एवं भरे पदों की संकलित स्थिति निम्नवत् रही–

राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	
	कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
913	797	183 / 9	1931	733	183 / 18	2844	**1470**	**366** / 27

1.1 प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

I. प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की नियमित समीक्षा करना।

II. प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार करना।

III. राज्य में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग प्रदान करना।

IV. जिला योजना को तैयार करना तथा उसका जिलाधिकारी के माध्यम से अनुश्रवण करना।

.

1.1.1 गतिविधि–I के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम, त्वरित, संशोधित और तिमाही अनुमान तैयार करना।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमानों को तैयार करना।
- जनपदीय घरेलू उत्पाद के अनुमान को तैयार करना।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करना।
- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण और नगरीय मजदूरी सूचकांक तैयार करना।

1.1.2 गतिविधि–II के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श का सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
- 47 आवश्यक वस्तुओं का भाव संग्रह एवं संकलन करना।
- सांख्यिकीय डायरी, जिला और मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिका, जिलेवार विकास संकेतांकों, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक सांख्यिकी आदि का प्रकाशन करना।
- ग्राम वार आधारभूत आँकड़ों का संग्रह करना।
- आवास साँख्यिकी के आँकड़ों का संग्रह करना।
- भवन निर्माण लागत का निर्माण सूचकांक तैयार करना।

उक्त से सम्बन्धित प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रण जनपदीय कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है।

1.1.3 गतिविधि–III एवं IV के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य
अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य–

- नियमित रूप से प्रभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का संकलन तथा जिला एवं मण्डलीय प्रशासन को योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद/मण्डल में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करना।
- उ०प्र०सरकार के नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यूनिक आइडेन्टिफिकेशन, त्वरित आर्थिक विकास योजना, नवाचार निधि, बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, आर्थिक गणना इत्यादि के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला योजना को तैयार करना और उसकी जिला योजना समिति से मंजूरी प्राप्त करना।

1.2 प्रभाग मुख्यालय पर अनुभागीय संरचना

प्रभाग मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं :–

1. राज्य आय अनुभाग
2. क्षेत्राधीक्षण रा0प्र0स0–1, अनुभाग
3. विश्लेषण रा0प्र0स0–2, अनुभाग
4. डेटा बैंक अनुभाग
5. भाव अनुभाग
6. औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग
7. आवास सांख्यिकी अनुभाग
8. संगणक, अनुभाग
9. ग्राफ एवं पुस्तकालय अनुभाग
10. बाहय सहायतीत कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग
11. समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग
12. स्थापना अनुभाग
13. लेखा अनुभाग–1
14. लेखा अनुभाग–2

प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2019)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
		समूह 'क'	
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400–67000, 8900 लेवल 13क – 131100	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	1
3	अपर निदेशक	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	2

4	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	1
6	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	8
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	2
योग			19
	समूह 'ख'		
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	11
9	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	3
10	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	88
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	1
13	सहायक लेखाधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	1
14	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1
योग			109
	योग राजपत्रित क,ख		128
	समूह 'ग'		
15	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	2
16	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	3
17	कलाकार	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
18	लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
19	सहायक लेखाकार	तदैव	1
20	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	50
21	प्रधान सहायक	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	10
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	5
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	12
24	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
25	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	13

26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	28
27	पंच सुपरवाइजर	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
28	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—1	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	9
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—2	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1
30	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	3
	योग		**141**
	समूह 'घ'		
30	मशीन आपरेटर	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1
31	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	3
32	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	33
	योग		**37**
	महायोग		**306**

प्रभाग के प्रत्येक मण्डल स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31—03—2019)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	1#
2	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600—39100, 5400 लेवल 10— 56100	1
3	मुख्य कलाकार/वरिष्ठ कलाकार	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	1
5	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	3
6	आशुलिपिक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
7	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
8	कनिष्ठ सहायक	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	1—2*
9	उर्दू अनुवादक/सह वरि0 सहायक	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	1*
10	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1**
11	चपरासी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1—3

#अलीगढ मण्डल पर उप निदेशक का पद सृजित नहीं है।

* मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ तथा फैजाबाद में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

** देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है ।

प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31—03—2019)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600—39100, 5400 लेवल 10— 56100	2*
2	वरिष्ठ कलाकार / कलाकार	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400 / 5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
3	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	4—9**
4	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	1—7**
5	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1—2**
6	कनिष्ठ सहायक	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	2#
7	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	—	1##
8	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1
9	चपरासी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1—3**

*12 जनपदों — कन्नौज, बागपत, औरैय्या, कानपुर नगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, श्रावस्ती, भदोही, अमरोहा एवं रामपुर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1—1 पद सृजित हैं।

** जनपद में कार्य की आवश्यतानुसार पद सृजित हैं।

जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

4 जनपदों — कन्नौज, बागपत, औरैय्या व संतकबीर नगर में ही पद सृजित।

प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2019)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
	समूह 'क'		
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400–67000, 8900 लेवल 13क – 131100	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400-67000, 8700 लेवल 13 - 118500	1
3	अपर निदेशक	37400-67000, 8700 लेवल 13 - 118500	2
4	संयुक्त निदेशक	15600-39100, 7600 लेवल 12 - 78800	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100, 7600 लेवल 12 - 78800	1
6	उप निदेशक	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	8
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	2
योग			19
	समूह 'ख'		
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600-39100, 5400 लेवल 10- 56100	11
9	प्रोग्रामर	15600-39100, 5400 लेवल 10- 56100	3
10	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300-34800,4600 लेवल 7- 44900	88
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800,4600 लेवल 7- 44900	4
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600-39100, 5400 लेवल 10- 56100	1
13	सहायक लेखाधिकारी	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1

14	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1
योग			109
	योग राजपत्रित क्+ख		128
समूह 'ग'			
15	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	2
16	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	3
17	कलाकार	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
18	लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
19	सहायक लेखाकार	तदैव	1
20	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	50
21	प्रधान सहायक	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	10
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	5
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	12
24	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
25	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	13
26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	28
27	पंच सुपरवाइजर	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
28	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	9
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1
30	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	3
योग			**141**
समूह 'घ'			
30	मशीन आपरेटर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1

31	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	3
32	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	33
	योग		**37**
	महायोग		**306**

प्रभाग के प्रत्येक मण्डल स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31—03—2019)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	1#
2	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600—39100, 5400 लेवल 10— 56100	1
3	मुख्य कलाकार/वरिष्ठ कलाकार	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	1
5	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	3
6	आशुलिपिक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
7	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
8	कनिष्ठ सहायक	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	1—2*
9	उर्दू अनुवादक/सह वरि0 सहायक	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	1*
10	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1**
11	चपरासी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1—3

अलीगढ मण्डल पर उप निदेशक का पद सृजित नहीं है।

* मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ तथा फैजाबाद में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

** देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है ।

प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31—03—2019)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600—39100, 5400 लेवल 10— 56100	2*
2	वरिष्ठ कलाकार / कलाकार	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400 / 5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
3	अपर सॉंख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	4—9**
4	सहायक सॉंख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	1—7**
5	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1—2**
6	कनिष्ठ सहायक	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	2#
7	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	—	1##
8	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1
9	चपरासी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1—3**

*12 जनपदों — कन्नौज, बागपत, औरैय्या, कानपुर नगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, श्रावस्ती, भदोही, अमरोहा एवं रामपुर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1—1 पद सृजित हैं।

** जनपद में कार्य की आवश्यतानुसार पद सृजित हैं।

जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

4 जनपदों — कन्नौज, बागपत, औरैय्या व संतकबीर नगर में ही पद सृजित।

दिनांक 31—03—2019 को प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद (संख्या)			
				सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			समूह 'क'				
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400—67000, 8900 लेवल 13क— 131100	1	1	—	—	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400-67000, 8700 लेवल 13- 118500	1	—	—	—	—
3	अपर निदेशक	37400-67000, 8700 लेवल 13- 118500	2	1	—	—	1
4	संयुक्त निदेशक	15600-39100, 7600 लेवल 12 - 78800	4	3	—	—	3
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100, 7600 लेवल 12 - 78800	1	—	1	—	1

6	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11- 67700	28	21	4	–	25
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600 लेवल 11- 67700	2	–	1	–	1
योग			**39**	**26**	**6**	**–**	**32**
समूह 'ख'							
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	172	68	28	–	96
9	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	3	–	–	–	–
10	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	692	467	148	9	624
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4	2	1	–	3
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10- 56100	1	–	–	–	–
13	सहायक लेखाधिकारी	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा स्जित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1	1	–	–	1
14	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1	1	–	–	1
योग			**874**	**539**	**177**	**9**	**725**
	योग राजपत्रित क+ख		**913**	**565**	**183**	**9**	**757**
समूह 'ग'							
15	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	13	1	–	–	1
16	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	33	21	8	1	30
17	कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	52	–	1	–	1
18	लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा स्जित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1	–	–	–	–

19	सहायक लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1	—	—	—	—
20	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	1035	92	31	7	130
21	प्रधान सहायक	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	10	7	1	—	8
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड—1	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	5	4	—	—	4
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड—2	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	12	7	2	—	9
24	आशुलिपिक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	18	7	6	—	13
25	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	171	124	35	3	162
26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	202	78	59	3	140
27	उर्दू अनुवादक/ सह वरि0 सहायक	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	7	7	—	—	7
28	पंच सुपरवाइजर	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1	—	—	—	—
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—1	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	9	1	—	—	1
30	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—2	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1	—	—	—	—
31	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	83	45	12	1	58
32	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक		4	—	—	—	—
	योग		**1658**	**394**	**155**	**15**	**564**
			समूह 'घ'				
33	मशीन आपरेटर	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1	—	—	—	—
34	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	3	2	—	—	2

35	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	269	134	29	3	166
योग			**273**	**136**	**29**	**3**	**168**
महायोग			**2844**	**1095**	**367**	**27**	**1489**

प्रभाग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों की स्थिति

वर्तमान में प्रभाग मुख्यालय का कार्यालय 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन परिसर, लखनऊ स्थित अर्थ एवं संख्या भवन में स्थापित है। मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के 8 कार्यालय – आजमगढ़, फैजाबाद, चित्रकूटधाम, अलीगढ़, झॉसी, बस्ती, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल शासकीय भवन में स्थित हैं। शेष 10 मण्डल कार्यालय निजी भवन में स्थापित हैं। 68 जनपदो के अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय विकास भवन में स्थित है। शेष **7** जनपदों के कार्यालय निजी भवनों में स्थापित है।

****

अध्याय–2
राज्य आय अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राज्य आय अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैंः–

1. राज्य आय अनुमान
2. जिला आय अनुमान
3. उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा
5. सकल स्थायी पूँजी निर्माण
6. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय,स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े
7. स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य

2.1. राज्य आय अनुमान (State Income Estimates)

2.1.1 सामान्य परिचय

- राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है।
- राज्य आय अनुमान स्थायी एवं प्रचलित भावों पर तैयार किये जाते हैं। स्थायी भावों पर तैयार अनुमान भाव परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- सकल राज्य आय से स्थायी पूँजी के उपयोग/ह्रास को घटाने पर निवल राज्य अनुमान प्राप्त होते हैं।
- अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्तर के बोध के लिए, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने, समय के साथ अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु इन अनुमानों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.2 राज्य स्तरीय अनुमानों की पृष्ठभूमि व आधार वर्ष

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राज्य आय के अनुमान वर्ष 1950–51 से निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं।
- सर्वप्रथम आधार वर्ष 1948–49 पर राज्य आय अनुमान तैयार किये गये। तद्ोपरान्त आधार वर्ष 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94, 1999–2000 एवं 2004–05 पर अनुमान तैयार किये गये। वर्ष 2018–19 में आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19(अग्रिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.1.3 खण्डीय संरचना व आँकड़ों के स्रोत

- अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों को 11 खण्डों में विभाजित कर खण्डवार आय अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- उक्त क्रिया–कलापों/खण्डों को 3 प्रमुख खण्डों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों में वर्गीकृत किया गया है।
- आय अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, राजस्व, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनिज, विद्युत, परिवहन, भण्डारण आदि, प्रदेश के स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थानों, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राज्य सरकार के बजट अभिलेख, जनगणना 2011 तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय

कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय अंश के उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अनुमान तैयार करने हेतु नवीनतम् सर्वेक्षणों/अध्ययनों के उपलब्ध परिणामों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.4 रीति विधायन

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधायन एवं दिशा–निर्देशन का अनुसरण करके अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- राज्य आय अनुमान के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों का मापन निहित है। अतः विभिन्न खण्डों के लिये आय मापन हेतु अलग–अलग विधि यथा प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एवं एक्सपेंडिचर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।
- राज्य आय के वार्षिक अनुमानों को उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय समन्वय समिति के अन्तर्गत गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की बैठक आयोजित कराकर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त आँकड़ों की पुष्टि कराकर अंतिम रूप दिया जाता है।
- वार्षिक आय अनुमानों को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक विचार–विमर्श एवं अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों के क्रम में संशोधित कर परिष्कृत किया जाता है।

2.1.5 वार्षिक कैलेन्डर

वर्षान्तर्गत राज्य आय के त्वरित, अग्रिम व संशोधित अनुमान तथा त्रैमासिक अनुमान निर्गत किये जाते हैं।केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार उक्त तैयार अनुमानों को जारी करने हेतु कैलेन्डर का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् हैः–

Calendar For Releasing GSDP Estimates

क्रम0 सं0	आय अनुमान	निर्धारित तिथि
1.	राज्य आय के अग्रिम अनुमान	15 फरवरी
2.	राज्य आय के संशोधित अनुमान	30 जून
3.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q1 (अप्रैल–जून)	30 सितम्बर
4.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q2 (जुलाई–सितम्बर)	15 जनवरी
5.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q3 (अक्टूबर–दिसम्बर)	31 मार्च
6.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q4 (जनवरी–मार्च)	15 जुलाई
7.	राज्य आय के त्वरित अनुमान *	31 दिसम्बर

* जारी किये गये राज्य के त्वरित अनुमान के आधार पर राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश (वार्षिक प्रकाशन) तैयार किया जाता है जो विधान मण्डल में वितरित किया जाता है।

2.1.6 वर्ष 2018—19 में सम्पादित कार्य

- आधार वर्ष 2011—12 पर वर्ष 2011—12 से वर्ष 2017—18 तक के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान तैयार करने हेतु सांख्यिकीय समन्वय समिति के अन्तर्गत गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की दिनांक 04 जनवरी, 2019 को आयोजित बैठक में विभिन्न खण्डों के ऑकड़ों की पुष्टि कराकर अनुमानों को अन्तिम रूप दिया गया।
- उक्त अनुमानों से सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न परिणामों की तालिकायें/ग्राफ/चार्ट तैयार कर एवं विश्लेषण करके प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन ''राज्य आय अनुमान वर्ष 2011—12 से वर्ष 2017—18'' प्रकाशित कराया गया, जो कि नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 2018—2019 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये।
- वर्षान्तर्गत निम्न 4 त्रैमासों के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान निर्धारित कैलेन्डर के अनुरूप तैयार किये गये—
    - माह जनवरी 2018 से मार्च 2018— चतुर्थ त्रैमास (वर्ष 2017—18)
    - माह अप्रैल 2018 से जून 2018— प्रथम त्रैमास (वर्ष 2018—19)
    - माह जुलाई 2018 से सितम्बर 2018— द्वितीय त्रैमास (वर्ष 2018—19)
    - माह अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018— तृतीय त्रैमास (वर्ष 2018—19)

2.1.7 प्रशिक्षण/सेमिनार/वर्कशाप

आधार वर्ष 2011—12 पर तैयार किए गए वर्ष 2011—12 से वर्ष 2016—17 तक के प्रदेश के आय अनुमानों पर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 14 से 18 मई 2018 की अवधि में तुलनात्मक विचार—विमर्श आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश से निदेशक, अर्थ एवं संख्या, संबन्धित कार्य को देख रहे उप निदेशक, अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा पॉच अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 10 से 14 दिसम्बर, 2018 की अवधि में यशाडा, पुणे में किया गया, जिसमें प्रभाग से संयुक्त निदेशक, उप निदेशक व दो अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

2.1.8 मुख्य परिणाम

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद *

वर्ष	प्रचलित भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011—12) भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011—12) भावों पर सकल आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011—12	8736329	724050	8.3	8736329	724050	8.3	—	—
2012—13	9944013	822393	8.3	9213017	758205	8.2	5.5	4.7
2013—14	11233522	940356	8.4	9801370	802070	8.2	6.4	5.8
2014—15	12467959	1011790	8.1	10527674	834432	7.9	7.4	4.0
2015—16	13771874	1137210	8.3	11369493	907700	8.0	8.0	8.8
2016—17	15362386	1248374	8.1	12298327	974073	7.9	8.2	7.3
2017—18	17095005	1376324	8.1	13179857	1042113	7.9	7.2	7.0
2018—19	19010164	1542432	8.1	14077586	1109408	7.9	6.8	6.5

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय *

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011–12	63462	32002	50.4	63462	32002	50.4	–	–
2012–13	70983	35812	50.5	65538	32908	50.2	3.3	2.8
2013–14	79118	40124	50.7	68572	34044	49.6	4.6	3.5
2014–15	86647	42267	48.8	72805	34583	47.5	6.2	1.6
2015–16	94797	47062	49.6	77659	36923	47.5	6.7	6.8
2016–17	104659	50942	48.7	82931	38965	47.0	6.8	5.5
2017–18	114958	55456	48.2	87623	41082	46.9	5.7	5.4
2018–19	126406	61351	48.5	92565	43102	46.6	5.6	4.9

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर) *

खण्ड	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	18.5	26.9	18.2	27.4	18.6	26.9	18.2	25.8	17.7	25.8	17.5	25.7	17.2	25.7	16.1	25.4
प्राथमिक	21.7	27.8	21.3	28.3	21.4	27.9	20.9	26.9	20.1	26.8	20.2	26.9	19.5	27.0	18.5	26.9
विनिर्माण	17.4	12.9	17.1	12.3	16.5	12.8	16.3	11.1	17.1	12.4	16.8	13.4	16.4	12.9	16.4	12.7
माध्यमिक	29.3	26.7	28.7	25.8	27.9	26.1	27.3	25.1	27.6	25.5	27.1	25.9	27.0	25.0	27.2	24.3
तृतीयक	49.0	45.5	50.0	45.9	50.6	46.0	51.8	48.1	52.3	47.7	52.7	47.2	53.5	48.0	54.3	48.8
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि (2011–12 भावों पर) *

खण्ड	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2017–18	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	1.5	4.6	5.6	–0.5	–0.2	–2.0	0.6	4.2	6.3	5.8	5.0	6.5	2.9	2.0
प्राथमिक	1.4	4.4	4.8	–0.1	1.2	–0.9	2.1	5.6	6.8	6.7	5.0	7.8	2.7	3.5
विनिर्माण	5.5	4.1	5.0	13.7	7.9	–10.0	13.1	26.4	7.9	16.9	5.9	2.6	6.9	7.0
माध्यमिक	3.6	2.8	4.2	7.9	6.7	–2.0	9.5	15.3	7.5	9.9	6.0	3.7	7.5	5.9
तृतीयक	8.3	6.8	7.7	7.1	9.8	9.2	9.4	7.5	8.4	5.5	8.1	8.3	7.5	7.8
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	5.4	5.1	6.1	5.3	7.2	3.5	8.0	9.0	7.9	7.0	6.9	6.9	6.6	6.2
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)	5.5	4.7	6.4	5.8	7.4	4.0	8.0	8.8	8.2	7.3	7.2	7.0	6.8	6.5

नोट *:1.उ0प्र0 के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2016–17 के अनन्तिम, 2017–18 के त्वरित अनुमान व 2018–19 के अग्रिम अनुमान।

2.भारत के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2016–17 के द्वितीय संशोधित अनुमान व वर्ष 2017–18 के प्रथम संशोधित अनुमान व वर्ष 2018–19 के अनन्तिम अनुमान।

2.2. जिला आय अनुमान (District Income Estimates)

2.2.1 सामान्य परिचय

राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय आय वैभिन्नताओं (disparities) को कम किया जाये। अतः सुनियोजित विकास हेतु जनपद स्तरीय आर्थिक संकेतक अति आवश्यक हैं। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों का महत्व एवं आवश्यकता और अधिक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिला आय अनुमान तैयार किये जाते है। मानव विकास सूचकांक/प्रतिवेदन तैयार करने में इन अनुमानों का विशेष महत्व है।

2.2.2 पृष्ठभूमि व रीति विधायन

सर्व प्रथम नेशलन काउंसिल ऑफ एपलाईड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में वर्ष 1955–56 के प्रचलित भावों पर जिला आय अनुमान अपने प्रकाशन ''इंटर डिस्ट्रिक्ट एण्ड इंटर स्टेट डिफरेन्सियल्स 1955–56'' में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय के स्व. प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा मोनोग्राम ''इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्कम एण्ड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' प्रस्तुत किया गया।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्रचलित भावों पर वर्ष 1968–69 में जनपदवार 5 वस्तु उत्पादन खण्डों यथा–कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन् तथा पत्थर निकालना एवं विनिर्माण के अनुमान तैयार किये गये। इन अनुमानों में अपनायी गयी पद्धति पर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से विचार–विमर्श किया गया। वर्ष 1978 में उक्त 5 वस्तु उत्पादन खण्डों के अनुमान प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 1960–61, 1968–69 और 1970–71 से 1973–74 तक के लिए तैयार किये गये जो वर्ष 1996–97 तक बनाये गये।

अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के अर्थ एवं संख्या विभाग ने संयुक्त रूप से अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के जिला आय अनुमान तैयार करने के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की जो कि केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त समस्त राज्यों में लागू की गयी। इस रीति विधायन का अनुसरण करके राज्य आय की ही भांति जिला आय अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के लिए वर्ष 1993–94 तथा 1997–98 के लिए तैयार किये गये। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में इसी प्रकार समस्त 11 खण्डों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

2.2.3 आधार वर्ष

जिला आय अनुमान तैयार करने हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान के आधार वर्ष के अनुसार ही रखा जाता है। जिला आय अनुमान हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान की ही भांति वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.2.4 कैलेन्डर

जिला आय अनुमान दो वर्ष के समयान्तराल से माह फरवरी के अन्त तक जारी किये जाते हैं। उदाहरणतः वर्ष 2017–18 के जिला आय अनुमान फरवरी 2020 के अन्त में निर्गत किये जायेगें।

2.2.5 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- विभिन्न विभागों से ऑकड़ें एकत्र कर उनका संकलन एंव संगणन करके खण्डवार संकलित करके आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2016–17 के जिला आय अनुमान तैयार किये गये।
- जिला आय अनुमान अर्थ एवं संख्या प्रभाग की वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

2.2.6 मुख्य परिणामः

आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक जिला आय अनुमान के मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं। उच्चतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले प्रथम 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(रू. में)

क्र.सं.	वर्ष 2011–12 (संशोधित)		वर्ष 2012–13 (संशोधित)		वर्ष 2013–14 (संशोधित)		वर्ष 2014–15 (संशोधित)		वर्ष 2015–16 (संशोधित)		वर्ष 2016–17	
1.	गौतमबुद्ध नगर	242249	गौतमबुद्ध नगर	279597	गौतमबुद्ध नगर	347273	गौतमबुद्ध नगर	353181	गौतमबुद्ध नगर	380926	गौतमबुद्ध नगर	415062
2.	मेरठ	60014	मेरठ	67899	मेरठ	77382	मेरठ	83607	मेरठ	89533	मेरठ	97589
3.	लखनऊ	55349	लखनऊ	61862	बरेली	62853	आगरा	67207	आगरा	73963	महोबा	78079
4.	गाजियाबाद	51789	आगरा	53045	लखनऊ	62467	लखनऊ	65328	हापुड	72931	आगरा	77870
5.	आगरा	47579	गाजियाबाद	52436	आगरा	62003	हापुड़	62429	लखनऊ	72646	एटा	77528

न्यूनतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(रू. में)

क्र. सं.	वर्ष 2011–12 (संशोधित)		वर्ष 2012–13 (संशोधित)		वर्ष 2013–14 (संशोधित)		वर्ष 2014–15 (संशोधित)		वर्ष 2015–16 (संशोधित)		वर्ष 2016–17	
1.	प्रतापगढ़	16405	संत कबीर नगर	18235	संत कबीर नगर	20035	बलरामपुर	19642	संत कबीर नगर	21814	बहराइच	24953
2.	संत कबीर नगर	16815	बहराइच	18542	बलरामपुर	20170	संत कबीर नगर	20786	बहराइच	22994	बलरामपुर	25302
3.	बहराइच	17670	प्रतापगढ़	18625	प्रतापगढ़	20267	बलिया	21905	बलरामपुर	23277	संत कबीर नगर	25865
4.	देवरिया	17847	देवरिया	18799	बहराइच	20664	प्रतापगढ़	22289	चित्रकूट	24399	सिद्धार्थ नगर	26668
5.	सिद्धार्थ नगर	18436	बलरामपुर	20420	बलिया	21310	बहराइच	22422	सिद्धार्थ नगर	25289	प्रतापगढ़	26890

2.3 उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

2.3.1 सामान्य परिचय

आय–व्ययक (बजट) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन देनों के लेखा संपरीक्षा संबंधी उद्देश्यों के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रहता है।

- आय–व्ययक संबंधी लेन देनों के आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक (बजट) अनुमानों के विभिन्न मदों को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधायन के अनुसार पुनः वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- आर्थिक वर्गीकरण में सरकारी ब्यौरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोजनात्मक प्रभावों का

अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्यात्मक वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बांटकर दिया गया है।

- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के उक्तानुसार समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक प्रशासन का विभिन्न सेक्टरों यथा राज्य आय, पूंजी निर्माण आदि में अंश का आंकलन किया जाता है।

2.3.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1965–66 से आर्थिक वर्गीकरण तथा वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ–साथ कार्यात्मक वर्गीकरण किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग केन्द्रीय सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

2.3.4 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2018–19 से प्राप्तियों तथा व्यय की 11 पुस्तिकाओं के कोडिंग का कार्य कराने के उपरान्त वर्ष 2016–17 (वास्तविक), वर्ष 2017–18 (पुनरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2018–19 (आय–व्ययक) के संकलन का कार्य पूर्ण कराया गया।
- वर्ष 2016–17 (वास्तविक) एवं वर्ष 2017–18 (पुनरीक्षित) एवं 2018–19 (आय–व्ययक) की लेखा तालिकायें तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयीं।
- वार्षिक प्रतिवेदन ''उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2018–19'' तैयार करने के उपरान्त प्रकाशित कराकर नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।

2.3.5 मुख्य परिणाम

आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2016–17	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**चालू व्यय**	20194921	25803148	27752544
1.1	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	6723001	9917251	11685042
1.2	साधारण ऋण पर ब्याज	2580978	2953890	3167142
1.3	राज सहायतायें	1457422	1957399	2121309
1.4	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	8212681	9565706	9318083
1.5	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1220839	1408902	1460968
2	**पूँजीगत व्यय**	9677904	9089224	11608820
2.1	कुल स्थिर पूँजी निर्माण	5206035	4931414	6132244
2.2	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	296895	10	1
2.3	पूँजीगत अन्तरण	261936	877036	867604
2.4	पूँजी शेयरों में निवेश	1208662	836409	1346907
2.5	ऋण एवं अग्रिम	674109	259323	207390
2.6	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	2030267	3091432	3054674
	योग	**29872825**	**34892372**	**39361364**

2.3.6 आय–व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2016–17	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य सेवायें	5959670	6976404	8069686
2.	सुरक्षा	8181	11140	12315
3.	शिक्षा	4734764	5438683	6645577
4.	स्वास्थ्य	1601238	2046131	2425813
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	2120247	2339444	2670683
6.	आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1928730	2825123	3442004
7.	सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	210741	365439	229144
8.	आर्थिक सेवायें	8637637	9735949	9634930
9.	अन्य सेवायें	4671617	5154059	6231212
योग		**29872825**	**34892372**	**39361364**

2.4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2.4.1 सामान्य परिचय–

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है जो कि बजट सत्र के अन्तर्गत नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है। उक्त प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य–कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। प्रादेशिक आर्थिक समीक्षा में विशेष रूप से राज्य की अर्थ व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवाक्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रमशक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम, खनिज एवं विद्युत तथा सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) आदि से सम्बन्धित विश्लेषण किया जाता है, साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाती है।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा– चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, उद्योग वन, खनिज, समाज कल्याण, विद्युत आदि एवं केन्द्र सरकार के अनके महत्वपूर्ण प्रकाशनों से प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। पत्रिका को प्रभाग की वेबसाईट पर www.updes.up.nic.in पर अवलोकित किया जा सकता है।

2.4.2 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य–

1–''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2017–18'' हेतु विभिन्न विभागों से आंकड़े/रिपोर्ट प्राप्त कर उन्हें अध्यायवार संकलित किया गया।

2–प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिकाएं/ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।

3–उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2017–18 के 15 अध्यायों को तैयार किया गया।

4–तैयार पाण्डुलिपि को अपर मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित कराया गया।

5–वर्तमान में उ0प्र0 की आगामी आर्थिक समीक्षा हेतु आंकड़े/सूचनाऐं प्राप्त करने एवं आर्थिक समीक्षा के विभिन्न अध्यायों के ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 की आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित 15 अध्यायों में आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों की समीक्षा की गयी है।

- राज्य की अर्थ व्यवस्था
- प्रदेश के विकास की चुनौतियां तथा रणनीति
- वित्त एवं बैंकिंग सेवाएं
- कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा
- पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
- ग्राम्य विकास के कार्यक्रम
- औद्योगिक प्रगति
- सेवा क्षेत्र
- अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार
- शिक्षा
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- समाज कल्याण
- श्रमशक्ति एवं सेवा योजन
- सतत् विकास

2.5 सकल स्थायी पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation(GFCF))

2.5.1 सामान्य परिचय

अर्थ व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से पूँजी निवेश (investment) की दर पर निर्भर करता है जिसका आगणन सकल पूँजी निर्माण से किया जाता है। सकल पूँजी निर्माण के अनुमान में सकल स्थायी पूँजी निर्माण तथा स्टाक में परिवर्तन सम्मिलित होता है। राज्य स्तर पर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के ही अनुमान तैयार किये जाते हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थ व्यवस्था के विकास की योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक संकेतक है।

2.5.2 पृष्ठभूमि एवं कार्यविधि

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधान के अनुसार तैयार कराये जा रहे हैं।
- राज्य आय अनुमानों की ही भांति सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 11 खण्डों हेतु तैयार किये जाते हैं।
- यह अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के लिए तैयार किये जाते हैं। अधिक्षेत्रीय (Supra regional) क्षेत्र के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकाय के लिए अलग–अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान आय–व्ययक अभिलेखों से आंकलित किये जाते हैं।

- गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान तैयार करने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाती है। तदोपरान्त् प्रत्येक प्रतिष्ठान से उनकी बैलेन्स शीट प्राप्त करके उसका विश्लेषण कर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम, समस्त नगर पालिका परिषद, समस्त छावनी परिषद, समस्त जल संस्थान, समस्त विकास प्राधिकरण, समस्त जिला पंचायत एवं प्रत्येक जिले से चयनित एक नगर पंचायत व प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित एक ग्राम पंचायत के आय–व्ययकों का वर्गीकरण करके स्थायी पूँजी निर्माण के आँकड़े तैयार किये जाते हैं।
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान विभिन्न समाजार्थिक एवं उद्यम सर्वेक्षणों के अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों/परिणामों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु अलग–अलग तैयार किये जाते हैं।

2.5.3 कैलेन्डर

प्रदेश के आय–व्ययक(बजट) में दिये गये वास्तविक व्यय के अनुक्रम में उस वर्ष के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान 31 मार्च तक तैयार किये जाते हैं। मार्च 2019 में वर्ष 2016–17 के अनुमान निर्गत किये गये।

2.5.4 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान वर्ष 2018–19 खण्ड 5 के सभी 10 भागों से वर्ष 2016–17 के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत पूँजी निर्माण से सम्बन्धित मदों में हुए खर्चों का संकलन किया गया।
- वर्ष 2016–17 में प्रदेश में कार्यरत कुल 40 गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनकी बैलेन्स शीट प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर संकलन कार्य किया गया।
- स्थानीय निकायों के वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक का विश्लेषण कर संकलन किया गया।
- अर्थव्यवस्था के समस्त खण्डों के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान तैयार किये गये।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अधिक्षेत्रीय क्षेत्र हेतु प्राप्त अधुनान्त आँकड़ों का प्रयोग कर राज्य हेतु वर्ष 2016–17 के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये गये।

2.5.5 मुख्य परिणाम

उ0प्र0 में सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2016–17 (प्रचलित भावों पर)

(लाख रु0 में)

क्र.सं.	खण्ड	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	गत वर्ष 2015–16 से प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कृषि एवं पशुपालन	939939	1163522	2103461	14.61
2.	वन उद्योग तथालट्ठे बनाना	70094	3505	73599	112.33
3.	मछली उद्योग	42	32	74	–3.90
4.	*खनन्* एवं पत्थर निकालना	59 7	4377	4974	15.35
5.	विनिर्माण	577471	1712944	2290415	20.56
6.	निर्माण कार्य	2536299	199283	2735582	14.09
7.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति	1281820	20260	1302080	81.35
8.	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	641340	1887873	2529213	156.83
9.	व्यापार, होटल, जलपान गृह	31559	182082	213641	22.00

10.	बैंक, व्यापार तथा बीमा	65007	104218	169225	–34.07
11.	स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	94831	8325194	8420025	7.16
12.	सार्वजनिक प्रशासन	1443393	0	1443393	–12.05
13.	अन्य सेवायें	1396906	289621	1686527	36.46
योग		**9079298**	**13892911**	**22972209**	**20.65**

2.6 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण सम्बन्धी आँकड़ेः–

स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़ों का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है–

(1) स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य–

प्राप्त आंकड़ों से लेखा तालिकाऐं तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

(2) स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें–

प्राप्त आंकड़ों से ''उ0प्र0 के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकडें'' प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

2.6.1 स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य–

2.6.1.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय आय व राज्य आय में स्थानीय निकायों के अंश के आंकलन के लिये स्थानीय निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आर्थिक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है।

2.6.1.2 पृष्ठ भूमि

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरुप स्थानीय निकायों के आय–व्ययक (बजट) वर्गीकरण सम्बंधी कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया था।

2.6.1.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य हेतु प्रदेश की समस्त नगर निगमों (14), नगर पालिका परिषदों (199), जिला पंचायतों (75) एवं जल संस्थानों (12) छावनी परिषदों (13) नगर पंचायत (427), समस्त जनपदों से चयनित ग्राम पंचायतों (4623) के आँकड़े एकत्रित कर उसका आर्थिक वर्गीकरण तैयार किया जाता है। कोष्ठक में वर्ष 2016–17 की विद्यमान संख्या दर्शायी गयी है।

2.6.1.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से आय–व्ययक की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रभाग स्तर पर अनुसूची निर्धारित की गयी हैं। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त की जाती है। ग्रामीण व शहरी समस्त निकायों को सूचना एक ही अनुसूची पर प्राप्त कर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य करके तालिकाओं को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है।

2.6.1.5 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2016–17 की समस्त राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी।
- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2017–18 हेतु आँकड़े समस्त 75 जनपदों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों से तालिकाएं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

2.6.2 स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें–

2.6.2.1 उद्देश्य

राज्य की अर्थ व्यवस्था के मूल्यांकन के सन्दर्भ में तैयार किये जाने वाले राज्य आय अनुमानों विशेष रुप से निर्माण, जल सम्पूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवा खण्डों के अनुमान तैयार करने हेतु स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़ों की आवश्यकता होती है।

2.6.2.2 पृष्ठ भूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार आदि से सम्बंधित सूचना/आंकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 1967–68 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तत्सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 1983–84 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

2.6.2.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़े प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों एवं छावनी परिषदों से एकत्र किए जाते है।

2.6.2.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से सूचना/आँकड़े प्राप्त करने हेतु प्रभाग द्वारा एक अनुसूची निर्धारित की गई है। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त अनुसूची पर स्थानीय निकायों से आंकड़े प्राप्त कर प्रभाग द्वारा तैयार साफ्टवेयर पर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है।

प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2.6.2.5 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी वर्ष 2016–17 के आँकड़े प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से प्राप्त कर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर पत्रिका का प्रकाशन किया गया।
- इसी क्रम में स्थानीय निकायों के वर्ष 2017–18 के आँकड़े समस्त 16 नगर निगमों, 197 नगर पालिका परिषदों, 434 नगर पंचायतों, 75 जिला पंचायतों, 12 जल संस्थानों (उपशाखा सहित) से एकत्र किये गये। उक्त आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जा रहा है।

2.6.2.6 मुख्य परिणाम

- वर्ष 2016–17 में स्थानीय निकायों की कुल आय 1434995.76 लाख रु0 रही जबकि विगत वर्ष 2015–16 में कुल आय 1235894.87 लाख रु0 थी। इस प्रकार वर्ष 2016–17 में आय में लगभग 16.11 प्रतिशत अधिक रही।
- कुल आय में राजस्व कर से आय 159388.27 लाख रु0 रही। करेत्तर राजस्व का योगदान 243709. 46 लाख रु0 तथा अनुदान अंशदान व ऋण से आय 1031898.03 लाख रु0 था। कुल आय में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा अनुदान का प्रतिशत अंश क्रमशः 11.11, 16.98 तथा 71.91 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2015–16 में स्थानीय निकायों का कुल व्यय 1436293.09 लाख रु0 था जो कि वर्ष 2016–17 में 0.78 प्रतिशत घटकर 1425088.89 लाख रु0 हो गया।
- कुल व्यय में सार्वजनिक निर्माण पर व्यय 37.09 प्रतिशत, विविध व्यय पर 43.24 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन एवं राजस्व एकत्रीकरण पर व्यय 15.74 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य पर 2.65 प्रतिशत, सुरक्षा एवं सुविधा पर 0.90 प्रतिशत, तथा शिक्षा पर व्यय 0.38 प्रतिशत रहा।

- वर्ष 2016–17 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कुल 534421.79 लाख रु0 पूँजी निर्माण पर व्यय किया गया इस व्यय में प्रमुख रुप से नगर पालिका परिषद द्वारा 140369.05 लाख रु0 व्यय किये गये जो कि कुल पूँजी निर्माण पर व्यय का 26.27 प्रतिशत है।
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2017 को समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 125386 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें सर्वाधिक 58984(47.05 प्रतिशत), कर्मचारी अन्य सेवा में 52994 (42.26 प्रतिशत) कर्मचारी स्वच्छता सेवा में एवं 13408 (10.69 प्रतिशत) कर्मचारी जल सम्पूर्ति सेवा में कार्यरत् थे।

2.7 स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैलेंस शीट के विश्लेषण संबंधी कार्य–

राज्य आय अनुमान तैयार करने हेतु निर्माण खण्ड, अन्य सेवाएं व सार्वजनिक प्रशासन खण्ड के आगणन हेतु प्रभाग द्वारा यह कार्य वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वायत्तशासी संस्थाओं व 30 जनपदों के 32 विकास प्राधिकरण के आय–व्यय संबंधी आंकडों के विश्लेषण का कार्य किया जाता है। वर्ष 2016–17 की 54 स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा उनकी अन्तिम लेखा तालिकाऐं तैयार कर एवं वर्ष 2017–18 की 66 स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण कार्य पूर्ण कर तथा उनकी अनन्तिम लेखा तालिकाऐं तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करने का कार्य किया गया। वर्तमान में वर्ष 2018–19 की 95 स्वायत्तशासी संस्थाओं व 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेस शीट के विश्लेषण के कार्य हेतु निर्देश प्रेषित।

******

अध्याय–3
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0) का गठन वर्ष 1950 में सांख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित समाजार्थिक क्षेत्र के ऑकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। इन आंकड़ों की उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति–निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति(वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आंकड़े एकत्र कराता है तथा प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर प्रदेश स्तर पर विश्लेषण का कार्य किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण दो अनुभागों–क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण में विभक्त है, जिसके कार्य एवं दायित्व अग्रलिखित है–

3.1 क्षेत्रीय सर्वेक्षण अनुभाग–

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाईयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण कार्य का सम्पादन कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र में आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान किया जाता है। रा0प्र0स0 के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे ऑकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं तदर्थ सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यो को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

3.1.1 वर्षः 2018–19 में सम्पादित किये गये मुख्य कार्य–:

- **रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति**

रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति (जुलाई, 2016 से जून, 2017) विषय "List Frame Based Enterprise Focussed Survey On Service Sector" से सम्बन्धित है। रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी। इस आवृत्ति को प्रथम चरण 01 जुलाई, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 और द्वितीय चरण 01 अक्टूबर, 2016 से 30 जून, 2017 के दो चरणों में सम्पन्न कराया गया था।

इस आवृत्ति के प्रथम चरण में आर्थिक गणना (EC) व बिजनेस रजिस्टर की आवंटित कुल 21987 उद्यमों के सत्यापन के उपरान्त परिनिरीक्षित अनुसूचियों से ऑकड़ों में संशोधन पूर्व वित्तीय वर्ष में ही कराया जा चुका था।

इसी आवृत्ति के द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य को आवंटित कुल 6282 (MCA-3768, EC-2082, BR-432) प्रतिदर्श इकाईयों का अनुसूची 2.35 के माध्यम से सर्वेक्षित समस्त प्रतिदर्श इकाईयों के संग्रहित आंकड़ों को वैलीडेशन साफ्टवेयर के प्रथम फेज व तृतीय फेज (हाउलर) के माध्यम से वैलीडेट कराकर सम्यक विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया हैं।

- **रा0प्र0स0–75वीं आवृत्ति**

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0)–75वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई 2017 से 30 जून, 2018 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी। यह सर्वेक्षण तीन–तीन माह की 04 उपावृत्तियों में सम्पन्न कराया गया।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 75वीं आवृत्ति ''उपभोक्ता व्यय तथा सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा'' हेतु समर्पित है। इस आवृत्ति में अनुसूची 0.0 (परिवारों की सूची), अनुसूची 1.0 : पारिवारिक

उपभोक्ता व्यय, अनुसूची 25.0: पारिवारिक सामाजिक उपभोग : स्वास्थ्य तथा अनुसूची 25.2 : पारिवारिक सामाजिक उपभोग : शिक्षा से सम्बन्धित है।

इस आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य को आवंटित कुल 1376 प्रतिदर्श इकाईयों के सापेक्ष समस्त सर्वेक्षित प्रतिदर्श इकाईयों के संग्रहित आंकड़ों की डेटा–इन्ट्री का कार्य पूर्ण कराते हुए वैलीडेशन साफ्टवेयर के फेज–1, फेज–2 व फेज–3 से वैलीडेशन का कार्य कराया गया।

➢ रा0प्र0स0–76वीं आवृत्ति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण(रा0प्र0स0)–76वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 1 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक निर्धारित की गयी थी। इस सर्वेक्षण की अवधि 6 माह की थी। जिसे तीन–तीन माह की दो उपावृत्तियों में विभक्त किया गया था।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0)–76वीं आवृत्ति पेयजल, स्वच्छता, आरोग्यता, आवासीय स्थिति एवं दिव्यांगजन हेतु समर्पित है। इस आवृत्ति में अनुसूची 0.0–परिवारों की सूची, अनुसूची 1. 2–पेयजल, स्वच्छता, आरोग्यता और आवासीय स्थिति, अनुसूची 26– दिव्यांगजन (Persons with disabilities) का सर्वेक्षण हेतु चयनित प्रतिदर्श परिवारो से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है।

इस आवृत्ति में सर्वेक्षण सम्पन्न कराने हेतु रा0प्र0स0 कार्यालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 05 व 06 अप्रैल, 2018 को हैदराबाद में आयोजित प्रशिक्षकों की अखिल भारतीय कार्यशाला में राज्य से श्री वी0 डी0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक एवं श्रीमती अलका बहुगुणा ढौडियाल, उप निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 26 व 27 जून, 2018 को सम्पन्न किया गया, जिसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

उक्त आवृत्ति में सर्वेक्षित इकाईयों के संग्रहित आंकड़ों की डेटा इन्ट्री के उपयोगार्थ भारत सरकार के डी0पी0डी0 से प्राप्त डेटा इन्ट्री साफ्टवेयर का मुख्यालय पर दिनांक 07.09.2018 को प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया, जिसमें प्रदेश के समस्त मण्डलों के अपर सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इन प्रशिक्षित प्रतिभागियों द्वारा अपने मण्डल के समस्त जनपदों के सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एवं अपर सांख्यिकीय अधिकारी (रा0प्र0स0) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

रा0प्र0स0–76वीं आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श की आवंटित कुल 1042 इकाईयों का सर्वेक्षण दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किया गया। उक्त आवृत्ति में सर्वेक्षित 1042 इकाईयों के सापेक्ष 1004 इकाइयों के संग्रहीत आँकड़ों को वैलीडेट कराकर प्रभाग मुख्यालय पर प्राप्त कर लिया गया है।

''दिव्यांगजन के सर्वेक्षण'' द्वारा दिव्यांगजनो के शैक्षणिक व विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर उनकी स्थिति की जानकारी को एकत्र किया जाना है। इस सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सांख्यकीय संकेतक दिव्यांगजनों के लिए योजना बनाने और नीति निर्धारण में सहायक होगें। **''पेयजल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की स्थिति और आवासीय स्थिति''** के बारे में इस सर्वेक्षण के परिणामों के मुख्य उपयोगकर्ता पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भारत के महापंजीयक (Registrar General) के कार्यालय होंगे। इस सर्वेक्षण के परिणाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास निगम, वॉटर एण्ड इण्डिया, यूनिसेफ, डब्ल्यू0एच0ओ0 आदि की ऑकड़ों की आवश्यकता को भी पूरा करेंगे। इन उपयोगकर्ता के अलावा सर्वेक्षण के परिणाम अन्य योजनाकर्ताओं/नीति निर्माताओं और अनुसन्धानकर्ताओं के लिए उपयोगी होंगे।

रा0प्र0स0–77वीं आवृत्ति

रा0प्र0स0–77वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–77वीं आवृत्ति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल 1181 प्रतिदर्श इकाईयों द्वारा ''परिवारों की भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता तथा कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन'' एवं ''पारिवारिक ऋण एवं निवेश'' के विषयों से सम्बन्धित आँकड़ों को निम्नलिखित अनुसूचियों पर संकलित कर एकत्रित कराया जाना है :–

अनुसूची 0.0 : परिवारो की सूची।(List of Households)

अनुसूची 33.1: भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता तथा कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन (Land and Livestock Holdings of households and Situation Assessment of Agricultural Households)

अनुसूची 18.2: पारिवारिक ऋण एवं निवेश (Household Debt and Investment)

इस आवृत्ति में सर्वेक्षण दो उपावृत्तियों–प्रथम उपावृत्ति एवं .द्वितीय उपावृत्ति में विभक्त किया गया है। आवृत्ति में प्रथम उपावृत्ति एवं .द्वितीय उपावृत्ति हेतु चयनितं प्रतिदर्श इकाइयों का दो बार–प्रथम गमन एवं .द्वितीय गमन के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाना है। प्रथम गमन की अवधि 08 माह तथा .द्वितीय गमन की अवधि 04 माह निर्धारित की गयी है–

प्रथम गमन–(1) प्रथम उपावृत्ति (जनवरी, 2019 से अप्रैल, 2019)
(2).द्वितीय उपावृत्ति (मई, 2019 से अगस्त, 2019)

.द्वितीय गमन(1)प्रथम उपावृत्ति (सितम्बर, 2019 से अक्टूबर, 2019)
(2).द्वितीय उपावृत्ति (नवम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2019)

❖ रा0प्र0स0–77वीं आवृत्ति में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने हेतु रा0प्र0स0. कार्यालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 एवं 28 सितम्बर 2018 को गोवाहाटी में आयोजित प्रशिक्षुकों की अखिल भारतीय कार्यशाला में राज्य से श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर निदेशक एवं श्री वी. डी. पाण्डेय, संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 14 व 15 जनवरी, 2019 को प्रभाग मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

❖ रा0प्र0स0–77वीं आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श को आवंटित कुल 1181 इकाईयों में से प्रथम गमन की प्रथम उपावृत्ति की 591 प्रतिदर्श इकाईयों के सापेक्ष 31 मार्च, 2019 तक 436 इकाईयों का सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया।

❖ इस सर्वेक्षण द्वारा भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता तथा कृषक परिवारों की स्थिति के सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र मे परिवारों के भूमि एवं पशुधन स्वामित्व सम्बन्धी विभिन्न सूचकांकों (Indicators) को तैयार किया जाना है। इसके द्वारा कृषक परिवारों की उपभोक्ता व्यय के आधार पर उनकी आर्थिक भलाई, आमदनी, उत्पादक परिसम्पत्तियॉ व ऋणग्रस्तता का पता लगाने एवं उनके कृषि अभ्यासों तथा कृषि के क्षेत्र में उनके तकनीकी विकास के साथ आधुनिक तकनीक की पहुँच के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त की जायेगीं। साथ ही ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में ऋण एवं निवेश के सर्वेक्षण द्वारा परिसम्पत्ति के स्टॉक, ऋणग्रस्तता की स्थिति, पूँजी निर्माण एवं ग्रामीण/नगरीय अर्थव्यवस्था के सूचकों को तैयार किया जाना है। साख संरचना (Credit structure) के विकास तथा अन्य क्षेत्र में योजना एवं विकास के संबंध में निष्कर्षो का आँकलन किया जा सकेगा। यह सांख्यिकीय सूचनायें योजना संरचना, सरकार और सरकार से बाहर अनेक स्तरों पर नीति निर्माण एव निर्णय करने हेतु सहायक होंगी। सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग कृषि, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी एवं मछली पालन विभाग आदि में किया जायेगा। इस सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Cost and Prices), राष्ट्रीय लेखा डिवीजन (National Account Division) द्वारा किया जायेगा। इसका विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा भी उपयोग किया जा सकेगा।

3.2 विश्लेषण अनुभाग

क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

3.2.1 कार्य एवं दायित्व

प्रभाग मुख्यालय पर विश्लेषण अनुभाग को मुख्यतः रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों का सारिणीयन पूर्व वैलीडेशन, समंक विधायन, सारिणीयन तथा रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन आदि का कार्य निर्धारित है। नीति आयोग, भारत सरकार से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के अनुमान निकालने हेतु निर्धारित कट–ऑफ–प्वाइन्ट्स के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुमान निकालने का कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। पावर्टी एवं सोशल मॉनीटरिंग परियोजना के

अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों के विधायन, विश्लेषण व रिपोर्ट आलेखन का कार्य भी सम्पादित किया जाता है। रा.प्र.स. के आँकड़ों के आधार पर आवश्यकतानुसार अन्य स्टेटस पेपर भी समय–समय पर तैयार किये जाते है।

3.2.2 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- रा.प्र.स. 71वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.2 (सामाजिक उपभोग : शिक्षा) पर आधारित रिपोर्ट ''उत्तर प्रदेश में सामाजिक उपभोग : शिक्षा'' का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 71वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.2 (सामाजिक उपभोग : शिक्षा) के केन्द्रीय एवं राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट A Report on 'Social Consumption : Education' In Uttar Pradesh Based on Pooled Data (Central and State Sample) of 71st Round NSS Schedule 25.2 (January-June 2014) का प्रकाशन।
- पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण–2016 की अनुसूची–11 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय' की तालिकाओं की जाँच का कार्य किया गया।
- पंचम पी.एस.एम.एस–2016 की अनुसूची 99 'निर्धनता मापांक' पर आधारित रिपोर्ट के अध्यायों–'शिक्षा', 'स्वास्थ्य', 'आवासीय स्थिति' का आलेखन कार्य पूर्ण किया गया।
- पंचम पी0एस0एम0एस0 योजनान्तर्गत सरकारी विद्यालयों की स्थिति से सम्बन्धित सर्वेक्षण अनुसूची 0.25 रिपोर्ट का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 73वीं आवृत्ति अनुसूची 2.34 'असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर)' की तालिकाओं की जाँच का कार्य सम्पादित किया गया।

उत्तर प्रदेश में 'सामाजिक उपभोगः शिक्षा' रा.प्र.स. 71वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.2 पर आधारित (जनवरी–जून 2014)

- सर्वेक्षण में कुल 994 आवंटित इकाइयों (616 ग्रामीण इकाई तथा 378 नगरीय इकाई) के सापेक्ष 993 (616 ग्रामीण एवं 377 नगरीय खण्ड) का सर्वेक्षण किया गया। नगरीय क्षेत्र की एक इकाई वायुसेना प्रतिबंधित क्षेत्र में आने के कारण 'जीरो केस' थी। सर्वेक्षण के अन्तर्गत कुल 7944 परिवार (4928 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 3016 नगरीय क्षेत्र में) चयनित हुए।
- राज्य में सर्वेक्षण अवधि के दौरान कुल 1795.64 लाख व्यक्ति अनुमानित हुए जिनमें 1426.49 लाख व्यक्ति ग्रामीण तथा 369.15 लाख नगरीय क्षेत्र में थे।
- राज्य में कुल 337.38 लाख परिवार अनुमानित हुए, जिनमें से 264.05 लाख ग्रामीण तथा 73.33 लाख नगरीय क्षेत्र में थे।
- राज्य में लिंगानुपात 874 अनुमानित हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में यह 879 तथा नगरीय क्षेत्र में 854 था।
- राज्य में 5–29 वर्ष आयु वर्ग के 852.61 लाख व्यक्ति अनुमानित हुए, जिनमें 675.10 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 177.52 लाख व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में थे।
- राज्य में शिक्षा के स्तर के अनुसार प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, स्नातक एवं उससे ऊपर स्तर तक शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 30.4, 12.0, 14.5 तथा 5.5 था।
- राज्य में 7 वर्ष एवं अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों में साक्षरता प्रतिशत 70.6 था, जबकि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में यह क्रमशः 68.8 प्रतिशत तथा 77.2 प्रतिशत था।
- राज्य में अध्ययनरत छात्रों में विद्यालय के परिवर्तन नहीं करने की प्रवृत्ति अधिक परिलक्षित हुई। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, स्नातक, परास्नातक एवं उसके ऊपर तथा डिप्लोमा / सर्टिफिकेट स्तर पर क्रमशः 59.7 प्रतिशत, 58.4 प्रतिशत, 52.7 प्रतिशत, 51.9 प्रतिशत, 61.3 प्रतिशत तथा 57.6 प्रतिशत अध्ययनरत छात्रों द्वारा अध्ययन के दौरान विद्यालय में परिवर्तन नहीं किया गया।

- राज्य में 5–29 वर्ष आयुवर्ग के वर्तमान में नामांकित छात्रों में से उपस्थित रहे छात्रों की संख्या 501.81 लाख अनुमानित हुई, जबकि अनुपस्थित रहे छात्रों की संख्या 5.95 लाख थी।
- राज्य में 5–29 वर्ष आयुवर्ग में कभी भी नामांकित नहीं होने वाले व्यक्तियों की संख्या 105.95 लाख पायी गयी, जिसमें 45.77 लाख पुरूष तथा 60.18 लाख महिलायें थी।
- राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 5–29 वर्ष आयुवर्ग के अध्ययनरत छात्रों में से 43.2 प्रतिशत सरकारी शिक्षण संस्थानों में, 22.7 प्रतिशत निजी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में तथा 32.5 प्रतिशत बिना सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययरत पाये गये।
- राज्य में आयुवर्ग 5–29 वर्ष के कुल व्यक्तियों को आयुवर्गवार 5–15, 16–24, 25–29 में विभाजित करने पर किन्हीं कारणवश पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) वाले व्यक्तियों में से 5–15 वर्ष आयुवर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक (ग्रामीण 59.3 प्रतिशत, नगरीय 46.7 प्रतिशत) तथा 25–29 वर्ष आयुवर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत न्यूनतम (ग्रामीण 0.5 प्रतिशत, नगरीय 1.9 प्रतिशत) पाया गया।
- राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 'प्राथमिक' में अध्ययनरत छात्रों में से 43.4 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र थे। इसी प्रकार 'उच्च प्राथमिक', 'माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक' तथा 'स्नातक और उसके ऊपर' की कक्षाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र क्रमशः 36.0 प्रतिशत, 9.6 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत रहे।
- राज्य में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से विभिन्न स्तरों पर तकनीकी शिक्षा (विधि पाठ्यक्रम को छोड़कर) प्राप्त करने वाले छात्रों पर वर्तमान शिक्षण सत्र की अवधि के दौरान प्रति छात्र औसत व्यय सर्वाधिक बिना सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों हेतु अनुमानित हुआ जो चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रबन्धन तथा आई.टी/कम्प्यूटर पाठ्यक्रम पर क्रमशः रू. 56160, रू. 64098, रू. 48316 तथा रू. 43941 अनुमानित हुआ। साथ ही विधि पाठयक्रम में प्रति छात्र औसत व्यय सर्वाधिक सहायता प्राप्त निजी संस्थान हेतु रू. 26704 रहा।
- राज्य में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से विभिन्न स्तरों पर सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर वर्तमान शिक्षण सत्र की अवधि के दौरान प्रति छात्र औसत व्यय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, परास्नातक और उसके ऊपर तथा डिप्लोमा स्तर पर क्रमशः रू. 2993, रू. 4339, रू. 7113,रू. 8571, रू. 10144, रू. 10806 तथा रू. 10144 अनुमानित हुआ।
- राज्य में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में 14–29 वर्ष आयुवर्ग के व्यक्तियों में कम्प्यूटर संचालन की क्षमता अन्य आयु वर्ग के व्यक्तियों से अधिक पायी गयी, जबकि आयुवर्ग 60 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्तियों में कम्प्यूटर संचालन करने की क्षमता नगण्य पायी गयी।

उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की स्थिति
भारत सरकार की एस.एस.एस योजनान्तर्गत वित्तपोषित
पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण अनुसूची 0.25 पर आधारित
(जनवरी–दिसम्बर 2016)

- प्रदेश में कुल 2904 विद्यालय सर्वेक्षित किये गये, जिसमें से 2755 ग्रामीण तथा 149 नगरीय क्षेत्र में थे।
- प्राथमिक स्तर के कुल 2083 विद्यालय सर्वेक्षित हुए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 1979 तथा नगरीय क्षेत्र के 104 थे। उच्च प्राथमिक स्तर के कुल 821 विद्यालय सर्वेक्षित हुए जिसमें 776 ग्रामीण व 45 नगरीय क्षेत्र में थे।
- सर्वेक्षित विद्यालयों में कुल 301363 पंजीकृत विद्यार्थी थे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 284294 व नगरीय क्षेत्र में 17069 विद्यार्थी थे।
- सर्वेक्षित प्राथमिक विद्यालयों में 25 या 25 से कम नामांकित विद्यार्थियों वाले विद्यालयों का प्रतिशत 4.56, 26 से 50 तक का प्रतिशत 10.42, 51 से 100 तक का प्रतिशत 33.85 एवं

101 से 300 तक का प्रतिशत 49.16 था। 300 से अधिक में यह प्रतिशत 2.02 था। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में उक्त श्रेणियों में यह प्रतिशत क्रमशः 7.43, 24.6, 35.32, 31. 43 एवं 1.22 था।

- प्राथमिक स्तर के 98.51 प्रतिशत विद्यालयों की संरचना पक्की थी। 1.15 प्रतिशत आंशिक पक्का, 0.14 प्रतिशत कच्चा व 0.19 प्रतिशत अनिर्मित थे। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की 97.81 प्रतिशत पक्के थे। 1.34 प्रतिशत आंशिक पक्का, 0.24 कच्चा व 0.61 प्रतिशत अनिर्मित थे।
- प्राथमिक स्तर पर पूर्णकालिक नियमित शिक्षक 83.3 प्रतिशत, अंशकालिक 7.5 प्रतिशत, अनुबन्धित शिक्षक 2.0 प्रतिशत व शिक्षामित्र 7.1 प्रतिशत थे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णकालिक नियमित शिक्षक 78.2 प्रतिशत, अंशकालिक 14.8 प्रतिशत अनुबन्धित शिक्षक 5.1 प्रतिशत व शिक्षा मित्र 1.8 प्रतिशत थे।
- राज्य में 36.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षक कार्यदिवस 200 दिन तक था व 63.9 प्रतिशत विद्यालयों का शिक्षण कार्य दिवस 201 से अधिक था, उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्बन्धित प्रतिशत क्रमशः 33.6 व 66.4 था।
- छात्राओं हेतु पृथक शौचालय 80.8 प्रतिशत विद्यालयों में थे। ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रतिशत 80. 9 प्रतिशत व नगरीय क्षेत्र में 79.2 प्रतिशत था।
- 66.1 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय परिसर में ही थे। 5.5 प्रतिशत केन्द्र विद्यालयों से 1 कि.मी से अधिक की दूरी पर थे। सर्वेक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल पंजीकृत बच्चों के 10.05 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे।
- मध्यान्ह भोजन योजना में प्राथमिक स्तर के 99.1 प्रतिशत ग्रामीण एवं 98.1 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र के विद्यालय लाभान्वित थे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर के 99.0 प्रतिशत ग्रामीण एवं 97.8 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र के विद्यालय लाभान्वित थे।

******

अध्याय–4
डेटा बैंक अनुभाग

डेटा बैंक अनुभाग द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न एजेंसियों से विकासोन्मुख द्वितीयक आँकड़े प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रकाशनों यथा–उ0प्र0 एक झलक, सांख्यिकीय डायरी, सांख्यिकीय सारांश, जिलेवार विकास संकेतक, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े आदि प्रकाशित किये जाते हैं। यह सभी प्रकाशन प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा ग्रामवार आधार भूत आँकड़े संग्रहित किये जाते है। इसके अन्तर्गत सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना प्रत्येक ग्रामों से सुविधा की दूरी के अनुसार एकत्रित कर विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय पत्रिकाओं में उक्त आँकड़ों का समावेश किया जाता है। जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिकाओं के आधार पर प्रभाग स्तर पर अन्तर्जनपदीय आँकड़े (वार्षिक प्रकाशन) प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की जनपदवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/प्रदेश स्तर के आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। समय–समय पर आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रकाशन भी प्रकाशित किये जाते हैं। इस अनुभाग का मुख्य कार्य विकास सम्बन्धी द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण कर प्रकाशन/सॉफ्टकापी के रूप में संरक्षित करना हैं। समय समय पर शासन, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों की माँग के अनुरूप उन्हें अपेक्षित आँकड़ें उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रकाशित प्रकाशनों में सांख्यिकीय डायरी एवं उ0प्र0 एक झलक को विधान मण्डल में माननीय सदस्यों को वितरित किया जाता है।

सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय हेतु प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 साँख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 10 उपसमितियाँ हैं। इन उपसमितियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सदस्य हैं। इन उपसमितियों का मुख्य कार्य सम्बन्धित विभागों से सांख्यिकीय आँकड़ें प्राप्त कर उनकी विभिन्न बैठकों में आम सहमति से पारित किया जाना है जिससे कि किसी भी स्तर पर आँकड़ों में भिन्नता न रहने पाये और सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय बना रहे।

4.1 अनुभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मुख्य प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण

4.1.1 सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश

सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश राज्य की आर्थिक, सामाजिक एवं विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बन्धित आँकड़ों का वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1968 से प्रतिवर्ष सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है । उक्त प्रकाशन में विभिन्न प्रमुख आँकड़ों को 25 अध्यायों के अन्तर्गत 148 तालिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में 12 ग्राफ/चार्ट्स भी दिये जाते हैं। इस प्रकाशन में अधुनान्त दो वर्षो के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से विगत पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की भी सूचनाऐं प्रकाशित की जाती हैं।

सांख्यिकीय डायरी का प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग–अलग किया जाता है।

4.1.2 उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में)

यह प्रकाशन वर्ष 1991 से नियमित रूप से किया जा रहा है। इससे पूर्व इस प्रकाशन को फोल्डर के रूप में प्रकाशित किया जाता था। प्रदेश में विकास के महत्वपूर्ण मदों को एक दृष्टि में प्रदर्शित करने के लिये इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मदों के तीन वर्षों के आँकड़े होते हैं तथा द्वितीय खण्ड में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम खण्ड में 15 विभागों/सेक्टरों की सूचनाएं तथा द्वितीय खण्ड में 47 मदों के संकेतांक सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) को अंग्रेजी भाषा में भी वर्ष 2009 से प्रकाशित किया जा रहा है।

4.1.3 जिलेवार विकास संकेतक, उ0प्र0

''उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक'' नामक प्रकाशन वर्ष 1978 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशन से अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का बोध होता है। वर्ष 2008 से इस प्रकाशन का नाम बदलकर ''जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश'' करते हुए प्रकाशन को द्विभाषी

कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में उपलब्ध अधुनान्त संकेतकों के साथ ही विगत वर्ष के भी संकेतक दिये गये हैं। इस प्रकाशन को तीन भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुल 125 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, जो मुख्यतया जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उद्योग, बैंकिंग, वित्त तथा सहकारिता, रोजगार एवं मानवशक्ति तथा आय पर आधारित हैं। इसके द्वितीय भाग में प्रथम भाग के मदों पर ही आधारित 46 महत्वपूर्ण मदों के संकेतकों पर आधारित उच्चतम एवं निम्नतम मान वाले पाँच–पाँच जनपदों को चिन्हित करते हुए उनके विकास संकेतकों को प्रकाशित किया जाता है । इस वर्ष से तृतीय भाग में कुछ महत्वपूर्ण मदों के विकास संकेतकों को आधार मानते हुए जनपदों व सम्भागों का सेक्टरवार श्रेणीकरण किया गया है। जो जनपदों एवं सम्भागों की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं उनमें विकास के स्तर को परिलक्षित करता है।

4.1.4 सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश

''सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश'' नामक प्रकाशन वर्ष 1961 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1986 से इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर संशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस प्रकाशन की अधिकांश तालिकाओं में विगत वर्षों की राज्यस्तरीय सूचनाओं के साथ ही उपलब्ध अधुनान्त वर्ष की जनपदवार सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकाशन में तीन खण्डों सामाजिक साँख्यिकी, आर्थिक साँख्यिकी एवं अन्य साँख्यिकी के अन्तर्गत कुल 35 अध्याय दिये जाते हैं। इसमें समाजार्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य आय, कृषि, पशुपालन, परिवहन, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, वित्त तथा सार्वजनिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि आँकड़ों का समावेश किया जाता है।

4.1.5 अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े

अन्तर्राज्यीय विषमताओं का बोध कराने के उद्देश्य से ''अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े'' नामक द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रकाशन दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में भारत के 29 प्रमुख व 7 केन्द्रशासित राज्यों के आँकड़ों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के भी आँकड़ों का समावेश किया गया है, जिनसे प्रमुख राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से प्रदेश के विकास का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इसके द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

इस प्रकाशन हेतु अपेक्षित आँकड़े भारत सरकार के विभिन्न विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्यों के साँख्यिकीय ब्यूरो तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

4.1.6 अन्तर्जनपदीय ऑकड़े

प्रदेश के ग्रामों में उपलब्ध आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं एवं उनकी ग्रामों से दूरी के ऑकड़े जो प्रतिवर्ष जनपदीय सॉख्यिकीय पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं, उन्ही सूचनाओं के आधार पर प्रभाग द्वारा वर्ष 1996 से इस प्रकाशन को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2015 से यह प्रकाशन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाने लगा है तथा वर्तमान वर्ष से इसमें भाग–2 सम्मिलित किया गया है जिसमें आर्थिक क्षेत्रवार रैंकिग प्रदर्शित की गयी है।

4.1.7 जनपद एवं मण्डल की साँख्यिकीय पत्रिका

यह प्रकाशन जनपद स्तर पर वर्ष 1976 एवं मण्डल स्तर पर वर्ष 1980 से प्रारम्भ किये गये। इस प्रकाशन में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के आँकड़ें प्रकाशित किये जाते हैं यथा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, कृषि, पशुगणना तथा कृषि गणना, पशुपालन तथा मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, सामान्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, परिवहन एवं संचार, संस्थागत वित्त, जल सम्पूर्ति, पेयजल, भाव तथा अन्य विविध विषयों के आँकड़ें एवं संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रारम्भ में उक्त प्रकाशन मैन्युअली प्रकाशित किये जाते थे। वर्ष 1995 से यह पत्रिका वेब बेस्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार 1995 से 2017 तक की सांख्यिकीय पत्रिकायें प्रभाग की वेबसाइट updes.up.nic.in इण्टरनेट पर उपलब्ध है।

4.1.8 जनपद एवं मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा

मण्डल एवं जिला समाजार्थिक समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1980 से वर्षानुवर्ष तैयार करना प्रारम्भ किया गया है। इन प्रकाशनों में कुल 17 अध्याय निर्धारित हैं और प्रत्येक अध्याय के अन्र्तगत मदों का भी निर्धारण किया गया है। इस प्रकाशन में जनपद की अर्थ– व्यवस्था की विस्तृत विवेचना के साथ ही प्रमुख विषयों यथा कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन का तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इन प्रकाशनों में प्रमुख विषयों को ग्राफ/चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है।

4.1.9 विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका

विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें चार अध्यायों के अन्र्तगत प्रथम अध्याय में विकास खण्ड एक दृष्टि में, द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण विकास खण्ड संकेतक, तृतीय अध्याय में विकास खण्ड का आर्थिक कार्य कलाप तथा चतुर्थ अध्याय में राजस्व ग्राम एक दृष्टि में, से सम्बन्धित ऑकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

4.1.10 विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष 2003–04 से कराया जा रहा है। यह प्रकाशन भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में भी 16 अध्याय है। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर के सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया–कलापों पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थ–व्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने के साथ ही प्रमुख विषयों, जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, कृषि, सिचाईं, पशुपालन, मत्स्य पालन विद्युत एवं खनिज, वित्तीय संस्थायें, सड़क परिवहन एवं संचार, शिक्षा, समाजिक सेवाये, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन एवं नियोजन के बारे में अधुनान्त सूचनायें दी जाती हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर तक की प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रहती है।

4.1.11 ग्रामवार आधार भूत आँकड़ों का संग्रहण

ग्राम स्तर पर विकास योजना संरचना हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी आँकड़े नितान्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से वर्ष 1973 से प्रदेश के समस्त आबाद ग्रामों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा उस ग्राम के महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य विकास खण्डों में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के तैनात सहायक विकास अधिकारी (साँ.) के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया गयाा। इनके संग्रहण हेतु रूप पत्र निर्धारित है जिसके खण्ड–1, में परिचयात्मक विवरण तथा खण्ड–2 से 15 तक में जनगणना सम्बन्धी सूचनायें, पशुगणना, कृषि गणना, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, यातायात एवं संचार, विविध अवस्थापना सुविधा, विपणन भण्डार गृह, ऋृण सुविधायें, पारिवारिक उद्योग, व्यवसाय, कृषि साँख्यिकी तथा मुख्य फसलों के अन्र्तगत क्षेत्रफल सम्मिलित है। ग्राम स्तरीय आँकड़े प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संग्रह किये जाते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर जिला साँख्यिकीय पत्रिका की तालिका–64, सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या तैयार की जाती हैं।

4.1.12 उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 2/39(3)–नियोजन विभाग (क) दिनांकः लखनऊ 8, अगस्त, 1969 द्वारा उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस समिति के अधीन विभिन्न विषयों पर 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। समिति के संयोजक आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक तथा सदस्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी सदस्य होते हैं।

10 उपसमितियाँ निम्न हैं।

1–भूमि उपयोगिता, कृषि एवं वन
2–उद्योग, खनिज एवं श्रम व रोजगार
3–सड़क एवं परिवहन
4–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5–पशुपालन एवं मत्स्य
6–सिंचाई, लघु सिंचाई एवं विद्युत
7–बैकिंग, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी एवं सहकारिता

8–शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा

9–सांख्यिकीय डायरी

10–क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक

उक्त बिन्दुवार 10 उपसमितियों में स क्रम संख्या 1–9 तक की डेटा बैंक अनुभाग द्वारा बैठक आहूत की जाती है तथा बिन्दु 10 से सम्बन्धित बैठक राज्य आय अनुभाग द्वारा आहूत की जाती है।

4.2 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

4.2.1 प्रभाग स्तर पर तैयार प्रकाशन

1– उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में), 2018 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)

2– साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2018 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)

3– जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश, 2018

4– साँख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, 2018

5– अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें 2017

6– अन्तर्जनपदीय ऑकड़ें 2017

4.2.2 मण्डल / जनपद / विकास खण्ड स्तर पर प्रकाशनाधीन प्रकाशन

1– मण्डलीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2018,

2– मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा, 2018,

3– जनपदीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2018,

4– जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, 2018,

5– विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका, 2018,

6– विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा, 2018

4.3 ग्राम्य विकास से सम्बन्धित कार्य

4.3.1 पृष्ठभूमि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अचंल के विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में विभिन्न कार्यक्रम यथा– अवस्थापना सुविधाओं का विकास, रोजगार परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इनकी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रभाग स्तर पर **''सामुदायिक विकास अनुभाग''** गठित किया गया जिसे बाद में ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग कर दिया गया। वर्ष 2016 में उक्त अनुभाग को डेटा बैंक अनुभाग में संविलीन कर दिया गया।

आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास के पत्र संख्या 7137 / 38–2–335 / 79 दिनांक 25.9.1981 एवं पत्र संख्या–80 / प्र0बो0–23 / 92 दिनांक 13–3–2000 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में संचालित विकास कार्यों की मासिक / त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा तैयार की जाती थी। वर्तमान में माह मार्च 2018 से ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रतिवेदन में नई योजनाओं का समावेश करते हुए पुरानी बन्द हो चुकी योजनाओं को हटा दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार ही नये डेटा इन्ट्री साफ्टवेयर को तैयार किया जा रहा है।

कृषि विभाग –

1. भूमि संरक्षण
2. मृदा परीक्षण
3. गुणात्मक बीज वितरण
4. रासायनिक उर्वरक वितरण
5. जैव उर्वरक वितरण
6. सूक्ष्म पोषक तत्व

7. कृषि प्रदर्शन
8. कृषि रक्षा कार्यक्रम–रसायन वितरण
9. कृषि यंत्र वितरण
10–सोलर फोटो वोल्टाइक पम्प
11.स्प्रिंकलर सेट वितरण
12–फसली ऋण वितरण
13–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंन्ट प्रोग्राम (आई0डब्लू0 एम0पी0)

1. भूमि संरक्षण

वन

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
2. अग्रिम मृदा कार्य (एडवांस स्वायल वर्क)
3. नर्सरी में पौध उत्पादन
4. सृजित रोजगार

उद्यान एवं फल उपयोग

1. पौधों का वितरण
2. आलू के उत्तम बीज का वितरण
3. सब्जी बीज वितरण
4. खाद्य प्रसंस्करण
5. मौन पालन
6.ग्रीन हाऊस निर्माण

पशुपालन

1. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस)
2. नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर उन्नतिशील सांड़ों से गर्भित किये गये पशु गाय/भैंस
3. रोगों की रोकथाम के लिए पशुओं/पक्षियों को लगाये गये टीके
4. रोगी पशुओं की चिकित्सा

दुग्ध विकास

1. आपरेशन फ्लड–2 योजना
2. नॉन आपरेशन फ्लड योजना
3. महिला डेरी परियोजना

मत्स्य

1. अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयों में संचय
2. अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालकों एवं ग्राम पंचायतों को वितरण
3. ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्टे
4. तालाबों का सुधार
5. विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन

निजी लघु सिंचाई

1. व्यक्तिगत कार्य
2. बोरिंग

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

1. भवन निर्माण
2. खडंजा निर्माण/इन्टरलाकिंग
3. पुलिया निर्माण
4. पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण

5–सी.सी. रोड का निर्माण

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

1. नई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

3– अंन्य योजना

खादी एवं ग्रामोद्योग

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना
2. अन्य योजना

वस्त्रोद्योग (हथकरघा)

1. स्थापित नई इकाइयाँ
2. रोजगार सृजन

रेशम उद्योग

1. शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना
2. कुल पालित कीटाण्ड
3. कुल कोया उत्पादन
4. उत्पादित रेशम धागा की मात्रा
5. कीट पालकों की संख्या
6. कीट पालकों को वितरित ऋण

सहकारिता

1. सदस्यता में वृद्धि
2. अंशदान में वृद्धि
3. निक्षेप संचय
4. अल्प कालीन ऋण वितरण
5. मध्यकालीन ऋण वितरण
6. दीर्घकालीन ऋण वितरण
7. सरकारी देयों की वसूली (अल्प कालीन व मध्य कालीन)
8. दीर्घ कालीन ऋण वसूली
9. निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारित रोगी
2. प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या
3. नसबन्दी

4–कुल संस्थागत प्रसव

5–जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या

6–ड्राप बैंक सुविधा प्राप्त लाभार्थी ।

7–एम0सी0टी0एस0 पोर्टल के अनुसार वर्ष में जन्में बच्चों की संख्या (जिनका पूर्ण टीकाकरण किया गया)

शिक्षा

1. उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण
2. विद्यालयों का विद्युतीकरण

3–मिड–डे मिल अन्तर्गत लाभान्वित छात्र/छात्राएं

4–पुस्तक वितरण किये गये छात्र/छात्राएं

5–ड्रेस वितरण किये गये छात्र/छात्राएं

पंचायत एवं ग्रामीण स्वच्छता

1. पंचायत उद्योग
2. पंचायत कर वसूली
3. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
4. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्यों पर कुल व्यय
5. शौचालयों का निर्माण
6. इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प की स्थापना
7. जल निगम द्वारा रिबोर किये गये हैण्ड पम्प
8. पाइप लाइन द्वारा लाभान्वित ग्राम

9–नई पाइप लाइन योजनाओं का निर्माण

10–गुणवक्ता प्रभावित बस्तियों का संतृप्तीकरण

समाज कल्याण

1. स्वतः रोजगार योजना
2. अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा संचालित निःशुल्क बोंरिग
3. अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा संचालित दुकान निर्माण
4. पारिवारिक लाभ योजना
5. छात्रवृत्ति
6. पेंशन
7. पेंशन, वितरण धनराशि

बाल विकास एवं पुष्टाहार

1.समन्वित बाल विकास परियोजना (लाभान्वित व्यक्ति)

2. आंगनबाड़ी कन्द्रों का निर्माण

वैकल्पिक ऊर्जा

1. बायोगैस संयंत्र की स्थापना
2. सोलर लालटेन वितरण
3. सोलर कुकर वितरण
4. सोलर घरेलू बत्ती
5. सोलर पावर प्लांट
6. सोलर वाटर हीटर

7.सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना

ग्राम्य विकास

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)
2. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)

3. ग्रामीण आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना)
4. अन्य ग्रामीण आवास

प्रादेशिक विकास दल

1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता
2. ग्रामीण व्यायामशालाओं की स्थापना
3. युवक / महिला मंगलदलों को प्रोत्साहन
4. सेमिनार / संगोष्ठी का आयोजन

अल्प बचत

1. शुद्ध जमा धनराशि

4.3.2 प्रतिवेदन सम्प्रेषण समय सारिणी

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या 80 / प्र0बो0–23 / 92 (अर्थ एवं संख्या) दिनांक 13.03.2000 द्वारा उक्त का सम्प्रेषण सुनिश्चित कराने हेतु निम्न समय सारणी बनायी गयी, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य हो रहा है।

1 –	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित मास का अन्तिम कार्य दिवस
2 –	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 5 तारीख तक
3 –	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 10 तारीख तक
4 –	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिवेदन कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग तथा विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों / सचिवों को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 20 तारीख तक
5 –	विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों / सचिवों द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त को आख्या	अगले मास की 30 तारीख तक

4.3.3 निरीक्षण / परिनिरीक्षण

प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विकास खण्डों का निरीक्षण एवं ग्रामों में जाकर कार्यक्रमों की प्रगति ज्ञात करने हेतु स्थलीय सत्यापन किया जाता है। आर्थिक बोध एवं सख्या निदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 96 / प्र0बो0–30 / 81 दिनांक 17.01.1985 द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम भाग में विकास खण्ड में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा द्वितीय भाग में सहायक विकास अधिकारी (सा.) द्वारा रखे जाने वाले साँख्यिकीय अभिलेखों के निरीक्षण तथा तृतीय भाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के निरीक्षण तथा ग्राम में हुये विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों के मानक निर्धारित करने हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशा0 पत्र 182/प्र0बो0—31/92 दिनांक 09.08.2000 के अनुसार 6 से अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो विकास खण्डों के निरीक्षण तथा 6 विकास खण्डों तक के जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति माह कम से कम एक विकास खण्ड के निरीक्षण (प्रत्येक विकास खण्ड के वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण) निर्धारित है। इसी प्रकार मण्डलीय उप निदेशक हेतु प्रति माह 3 निरीक्षण का नार्म निर्धारित किया गया है एवं निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है।

उक्तानुसार प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक (अर्थ एवं सख्या) द्वारा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण/फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण/फर्जी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार तथा इसकी सूचना समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाती है। इन समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग द्वारा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इनके निरीक्षणों का श्रेणीबद्ध भीं किया जाता है।

4.4 वर्ष 2018—19 तक ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग में सम्पादित कार्य

4.4.1 क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणः— वर्ष 2018—19 के मध्य विभिन्न मण्डलों से उपनिदेशकों एवं अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा प्रभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सामुदायिक विकास कार्यों के निरीक्षण पूर्ण किये गये। जिन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम निरीक्षण किये गये उनको भविष्य में लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत निरीक्षण करने हेतु पत्र निर्गत किये गये।

4.4.2 ग्राम विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदनः— वर्ष 2018—19 के मध्य प्रतिवर्ष निर्धारित 12 प्रगति प्रतिवेदन के सापेक्ष जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशको को प्रेषित की गयी तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की गयी। ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट के नये साफ्टवेयर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है । ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह मार्च 2019 की सूचना सशोधित रूपपत्र पर एकत्र कर नये साफ्टवेयर के डेटा इन्ट्री प्रपत्र पर तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

4.4.3 ग्राम्य विकास कार्य

ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशको को प्रेषित की जाती है तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की जाती है ।

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों शामली, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्व नगर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, तथा सन्तरविदास नगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है। इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयो का स्थलीय सत्यापन किया जाता है ।

मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (सां0) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या– 2018–19

क्र0सं0	वर्ष 2018–19 में निरीक्षणो की कुल संख्या	ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ता की रिर्पोट के अनुसार इकाई संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	फर्जी
1	2	3	4	5	6
1	4142	121701	121701	–	–

वर्ष 2018–19 में उपनिदेशक, अर्थ एव संख्याधिकारी एवं सहायक सांख्यकीय अधिकारी पूर्व पद नाम सहायक विकास अधिकरी (सां0) द्वारा कोई भी फर्जी इकाई नहीं पायी गयी ।

वर्ष 2018–19 में क्षेत्रीय अधिकारियां द्वारा ग्राम्य विकास कार्यो के किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है :–

क0सं0	अधिकारी के पदनाम	माह मार्च 2019 में कार्यरत अधिकारियों की संख्या	वर्ष 2018–19 में लक्ष्य के सापेक्ष किये गये ग्राम्य विकास कार्यो के कुल निरीक्षणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1–	उपनिदेशक	15	366/555
2–	अर्थ एवं संख्याधिकारी	85	981/1802
3–	सहायक विकास अधिकारी (सां0)	130	2795

1–अलीगढ़ मण्डल में उपनिदेशक का पद स्वीकृत नहीं है ।

2–आगरा मण्डल का पद रिक्त है ।

3–आजमगढ़ के उपनिदेशक माह दिसम्बर 2018 में सेवानिवृत्त हो गये ।

4–उक्त रिपोर्ट वर्तमान में जनपद/मण्डलीय अधिकारियों के भरे पदों के सापेक्ष तैयार की गयी है।

5–प्रभाग मुख्यालय पर सहा0 वि0 अधि0 के निरीक्षणों का संकलन नही किया जाता है तथा लक्ष्य का निर्धारण मुख्यालय स्तर से नही होता है।

****

अध्याय–5
भाव अनुभाग

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भावों से सम्बन्धित आँकड़ों के एकत्रीकरण, परिनिरीक्षण, संग्रहण तथा भाव सम्बन्धी सांख्यिकी एवं नियमित सूचकांकों को तैयार करने और उनके रखरखाव का कार्य प्रभाग के भाव अनुभाग द्वारा किया जाता है।

भाव अनुभाग के कार्यों को समान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. **भाव व मजदूरी दरों के संग्रह का कार्य**
2. **भाव व मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य**

यह दोनों ही कार्य प्रभाग के स्थापना काल से ही चले आ रहे हैं। इसमें से भावों एवं मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है जबकि सूचकांक बनाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

भाव संग्रह का उद्देश्य भावों में हो रहे उतार–चढ़ाव का अध्ययन करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना होता है। सूचकांक का उद्देश्य वर्ष विशेष की तुलना में हुए भावों/दरों के परिवर्तन की माप करना है। सूचकांक के निर्माण के लिए आधार वर्ष के भाव के साथ साथ वर्तमान भाव/दर का होना आवश्यक है ताकि भावों/दरों में हुए उतार–चढ़ाव की प्रतिशत वृद्धि एवं ह्रास की जानकारी सम्भव हो सके।

भाव व मजदूरी की दरों के संग्रह व सूचकांक के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैः–

5.1 भावों/मजदूरी की दरों का एकत्रीकरणः–

5.1.1 ग्रामीण फुटकर भाव

यह भाव 99 चयनित मदों के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से प्रत्येक माह प्रथम बाजार दिवस को एकत्र कराये जाते हैं। इनका उपयोग ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.2 नगरीय फुटकर भाव

यह भाव 101 चयनित मदों के लिये प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये जाते हैं। इनका उपयोग नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.3 नगरीय अमानी मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक के मजदूरी की दरें संग्रहित की जाती हैं। यह जनपद के प्रत्येक नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम में चयनित दो अड्डों से संग्रह करायी जाती हैं। इनका उपयोग नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.4 ग्रामीण मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक (पुरूष/महिला), दर्जी, नाई, तेल की पेराई, ईंट की पथाई व चरवाहा की मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह दरें प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह करायी जाती है। इनका उपयोग ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है। यह दरें प्रत्येक माह कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती हैं। साथ ही साथ कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी मॉग के अनुरूप भेजी जाती हैं।

5.1.5 थोक भाव (कृषि व अकृषीय)

- प्रदेश की 65 मण्डियों से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार),
- 48 मण्डियों के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव ,
- 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) संग्रह कराये जाते हैं।

कृषि मदों के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को राज्य कृषि विपणन संगठन से एकत्र किये जाते हैं तथा अकृषीय मदों के थोक भाव फर्मो एवं वाणिज्यिक संस्थानों से संग्रह किये जाते हैं। इनका उपयोग

थोक भाव सूचकांक तैयार करने, राज्य व जिला आय अनुमान तैयार करने में किया जाता है तथा साथ–साथ भारत सरकार को भी उनकी मांग के अनुरूप उपलब्ध कराये जाते हैं।

5.1.6 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव

यह भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से माह के प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर ई–मेल द्वारा प्रभाग मुख्यालय पर मंगाये जाते हैं। इन भावों में से 47 आवश्यक वस्तुओं के भावों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा जिसमें गत सप्ताह, गत माह, गत त्रैमास एवं गत वर्ष के संगत सप्ताह के भावों से तुलनात्मक विवरण तैयार करके शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

5.1.7 भारत सरकार व अन्य विभागों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के भाव संग्रह का कार्य

- श्रम ब्यूरो शिमला के लिए पॉच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना । नये आधार वर्ष परिवर्तन हेतु गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए अन्य शेष केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना ।
- अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार को 20 केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे प्रेषित किया जाना।
- हापुड़ मण्डी के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह कराकर कृषि विभाग को प्रेषित किया जाना
- कानपुर नगर से बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर इलायची बोर्ड, गंगटोक को प्रेषित किया जाना
- कच्चे ऊन के 05 केन्द्रों (इलाहाबाद, जौनपुर, संत रविदासनगर, झांसी, रायबरेली) के थोक भावों को संग्रह कराकर पशुपालन निदेशालय को प्रेषित किया जाना

5.2 भाव / मजदूरी की दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

5.2.1 उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक नगरीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक है। यह सर्वप्रथम 1948 को आधार वर्ष मानकर 1956 से तैयार कराया जा रहा था, जो उपभोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन के कारण आधार वर्ष 1970–71 में परिवर्तित कर जुलाई 1981 से जून 2010 तक तैयार कराया गया । तदोपरान्त आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक प्रत्येक माह 101 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.2 ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक भी मध्यम वर्गीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक है । सर्व प्रथम यह सूचकांक आधार कृषि वर्ष 1954–55 के आधार पर जनवरी 1956 से तैयार कराया गया। पुनः आधार वर्ष को बदलकर 1957–58 व तत्पष्चात 1970–71 किया गया । उपभोग के स्वरूप में आये महत्पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक 99 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से सूचकांक लगातार प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.3 थोक भाव सूचकांक

यह सूचकांक कृषि व अकृषीय वस्तुओं पर आधारित थोक भाव सूचकांक है। सर्व प्रथम कृषि थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष 1957–58 एवं औद्योगिक थोक भाव सूचकाकं का आधार वर्ष 1948 है । तत्पश्चात दोनों सूचकांकों को सम्मिलित करते हुए यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 कर दिया गया है। पुनः इसे आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित कर दिया गया । आधार वर्ष 2004–05 पर 286 मदों के लिए राज्य स्तरीय थोक भाव सूचकाँक तैयार कराये जाने का कार्य अप्रैल 2010 से नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर अप्रैल 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.4 ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकाँक

ग्रामीण व नगरीय मजदूरों के लिए तैयार कराये जाने वाला यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 पर त्रैमासान्त मार्च 1980 से तैयार कराया जाना प्रारम्भ किया गया था जिसे त्रैमासान्त जून 2010 तक बनाया गया। बाद में आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित करके इसे जुलाई 2008 से जून 2016 तक लगातार राज्य स्तरीय व आर्थिक क्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिसपर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है। इस सूचकांक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक को शामिल किया गया है।

5.2.5 कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकाँक

यह सूचकांक कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक व कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक का अनुपात है। यह सर्वप्रथम 1957–58 आधार वर्ष पर लगातार 1981–82 तक तैयार कराया गया बाद में आधार वर्ष परिवर्तित करके 1970–71 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर 2009–10 तक तथा तत्पश्चात वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आधार पर राज्य स्तरीय सूचकांक वर्ष 2010–11 से वर्ष 2015–16 तक तैयार कराये गये। वर्तमान में आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2016–17 से नियमित रूप से तैयार कराया जा रहा है।

5.3 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

5.3.1 विभागीय प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

आलोच्य वर्ष में अब तक विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित थोक/फुटकर भाव संग्रह का कार्य किया गया :–

- प्रदेश के 65 मण्डियों से कुल 70 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक व फुटकर भाव राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराये गये तथा इनका राज्य आय व जिला आय निर्माण में उपयोग किया गया ।
- राज्य आय तथा जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने के संदर्भ में राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के 48 प्रमुख मण्डियों से कृषीय 19 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया ।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में से कृषीय/ अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 101 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के नगरीय फुटकर भाव प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया ।

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस के कृषीय/अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 99 वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- राज्य स्तर पर भाव के उतार चढ़ाव के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से दैनिक उपभोग की 67 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर इनमें से 47 वस्तुओं के भावों की प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषण समीक्षाऍं तैयार कर प्रदेश के मुख्यसचिव, प्रमुखसचिव (खाद्य एवं रसद) एवं अपर मुख्यसचिव नियोजन, विशेष सचिव नियोजन तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (शोध) वाणिज्यकर विभाग को प्रेषित की गई ।
- प्रस्तावित आधार वर्ष 2017–18 हेतु ऑंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन का कार्य किया गया।

5.3.2 भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह

- अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के पॉंच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक तथा 87 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा एकत्र कराकर सीधे श्रम संघ शिमला को भेजे गये।
- अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 20 केन्द्रों से 57 खाद्य एवं 40 अखाद्य आवश्यक वस्तुओं के क्रमशः प्रत्येक शुक्रवार व अन्तिम शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संग्रह कराकर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सहित भेजे गये।
- हापुड़ मंडी से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के कार्यालय को भेजे गये ।
- कानपुर नगर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर ई–मेल के द्वारा भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, गंगटोक, सिक्किम को भेजे गये।
- प्रदेश के पॉच केन्द्रों यथा वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, झॉसी तथा रायबरेली से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादन थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये।

5.3.3 मजदूरी दरें

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के ऑकड़ें नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन ऑंकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया जिसमें से समस्त 75 जनपदों के विकास खण्डवार मजूदरी की दरों के परिनिरीक्षित ऑकड़ें आर्थिक एवं सॉख्यिकीय सलाहकार भारत सरकार नई दिल्ली को प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये। साथ ही साथ कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी मॉग के अनुरूप सूचना भेजी गईं।
- प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों/नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चयनित दो–दो प्रमुख अड्डे/मुहल्ले से प्रथम अड्डे/मुहल्ले से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की तथा द्वितीय अड्डे/मुहल्ले से आगामी सोमवार की अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया।

5.3.4 भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकाँकों का प्रकाशन

1. उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर त्रैमासान्त मार्च 2018 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 तक एवं उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 त्रैमासान्त मार्च 2018 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 तक तथा उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर त्रैमासान्त मार्च 2018 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 तक का सूचकांक प्रकाशित किया गया।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2018 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2018 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2018 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 का औसत सूचकांक**
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	152.39	155.58	162.68	162.09
2.ईंधन व प्रकाश	169.99	185.24	188.14	191.30
3.आवास	188.10	192.73	194.30	197.14
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	164.11	163.34	164.29	165.86
5.विविध	144.89	148.25	150.95	149.47
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	152.08	156.49	161.75	162.16
मध्य क्षेत्र	153.07	159.21	165.29	164.27
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	156.87	160.56	162.35	162.18
पूर्वी क्षेत्र	155.26	158.52	163.41	162.84
उत्तर प्रदेश	153.77	157.91	162.95	162.74

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2018 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2018 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2018 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 का औसत सूचकांक**
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	146.00	146.83	154.17	152.46
2.ईंधन व प्रकाश	163.00	188.16	192.18	197.83
3.आवास	170.87	171.86	175.91	177.02
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	154.23	154.05	154.16	156.67
5.विविध	137.97	139.91	142.35	141.70
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	147.32	151.20	156.24	156.57
मध्य क्षेत्र	143.48	147.47	151.72	150.62
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	151.03	153.51	155.53	155.18
पूर्वी क्षेत्र	148.15	151.33	156.69	156.41
उत्तर प्रदेश	146.70	150.41	155.14	154.97

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 का औसत सूचकांक
समस्त	143.35	143.52	145.90	146.29
प्राथमिक	169.48	172.61	175.39	173.41
ईंधन व प्रकाश	177.55	177.83	178.98	179.96
विर्निमित	134.27	133.64	136.00	136.98

2– उत्तर प्रदेश का ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12 पर) त्रैमासान्त मार्च 2018 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 का सूचकांक प्रकाशित किया गया।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
कमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 का औसत सूचकांक
1	पश्चिमी क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	163.53	167.26	170.79	172.88
	(ii) राज	157.10	160.54	164.12	166.37
	(iii) कृषि श्रमिक	169.32	176.26	184.50	184.11
2.	मध्य क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	172.93	175.02	179.81	180.26
	(ii) राज	172.18	174.39	176.80	179.36
	(iii) कृषि श्रमिक	186.98	198.00	204.65	213.11
3.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	209.89	213.50	211.33	213.56
	(ii) राज	187.31	192.47	191.87	192.99
	(iii) कृषि श्रमिक	155.33	159.27	153.26	160.35
4	पूर्वी क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	183.97	186.12	193.41	196.59
	(ii) राज	184.08	186.57	189.51	192.24
	(iii) कृषि श्रमिक	184.23	183.94	190.97	196.86
5	उत्तर प्रदेश				
	(i) बढ़ई	174.99	177.88	182.86	185.22
	(ii) राज	169.68	172.73	175.75	178.15
	(iii) कृषि श्रमिक	176.30	181.17	187.98	191.47

उत्तर प्रदेश का नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
कमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2018 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 का औसत सूचकांक
1.	पश्चिमी क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	156.07	160.41	164.79	166.81
	(ii) राज	160.05	162.83	163.61	166.19
	(iii) अकुशल श्रमिक	168.13	169.09	171.45	172.59
2.	मध्य क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	177.15	177.68	177.96	183.22
	(ii) राज	168.18	168.17	168.06	174.30
	(iii) अकुशल श्रमिक	169.48	171.03	171.03	176.62
3.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	194.36	195.43	195.38	194.88
	(ii) राज	179.52	180.52	179.98	179.98
	(iii) अकुशल श्रमिक	177.15	177.86	177.18	177.63
4.	पूर्वी क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	185.87	187.20	188.96	191.21
	(ii) राज	177.12	176.63	178.81	180.54
	(iii) अकुशल श्रमिक	186.31	186.64	190.76	192.97
5.	उत्तर प्रदेश				
	(i) बढ़ई	164.93	168.11	171.28	173.81
	(ii) राज	165.06	166.75	167.46	170.50
	(iii) अकुशल श्रमिक	172.34	173.30	175.31	177.59

5.3.5. कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक का प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश का कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) को कृषि वर्ष 2017–18 के लिए प्रकाशनार्थ अन्तिम रूप दिया गया।

उत्तर प्रदेश का कृषीय क्रय–विक्रय समता सूचकांक
(आधार वर्ष 2011–12)

क्रम संख्या	कृषि वर्ष	कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक	कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक	कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक
1	2	3	4	5
1	2016–17	161.59	146.52	110.29(अनन्तिम)
2	2017–18	170.27	152.52	111.63(अनन्तिम)

******

अध्याय–6
औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं:–

1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)
2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए.एस.आई.)

6.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

सामान्य परिचय

- राज्य स्तर पर ओद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाने का कार्य वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर प्रारम्भ किया गया तथा वर्तमान में आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित औद्योगिक गतिविधियों को सांख्यिकीय विधि के अनुसार मापन करके एक संख्या प्रस्तुत की जाती है जिसके परिमाण से उस समयावधि में किसी संदर्भ अवधि (आधार वर्ष) की तुलना में हुए औद्योगिक उत्पादन के स्तर का बोध होता है। इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता/प्रवृत्ति की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्रवृत्ति का संकेतक है। इसके द्वारा राज्य के उपयोग किये जाने वाले मदों में होने वाले परिवर्तन का आकलन किया जाता है।

राज्य स्तरीय सूचकांक–पृष्ठभूमि व कैलेन्डर

राज्य की औद्योगिक स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक एवं वार्षिक तैयार किया जाता है। मासिक सूचकांक माह की समाप्ति के 2 माह के अंदर एवं वार्षिक सूचकांक आगामी वर्ष के नवम्बर माह के अन्त तक तैयार किया जाता है।

आधार वर्ष

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने हेतु सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली मद तालिका में से पुराने मदों को छोड़कर नये व प्रचलित मदों को सम्मिलित करते हुए समय–समय पर आधार वर्ष को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मार्ग निर्देशन में नवीन वर्ष पर परिवर्तित किया जाता है।

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1998 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2007 से आधारवर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2011 से आधारवर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2018 से आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक तैयार किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2015–16 से भी आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक तैयार कराया गया है।
- पूर्व में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्षेत्रवार ही तैयार किया जाता था किन्तु आधार वर्ष 2004–05 पर 2011–12 से उपयोग आधारित सूचकांक उपलब्ध है।

6.1.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित)

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित) भारत सरकार की ही भांति औद्योगिक उत्पादन के तीन मुख्य खण्डों/सेक्टर यथा विनिर्माण, ऊर्जा व खनन में हो रही गतिविधियों के संयोजन पर आधारित है। इसके मुख्य सेक्टर विनिर्माण का सृजन राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के उत्पादन संकलन से तैयार किया जाता है जो उन पृथक–पृथक औद्योगिक समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।

- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 तक एन.आई.सी. 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 एन.आई.सी. 2008 पर आधारित है। सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

खण्ड	भार		कुल मद /मद समूह की संख्या	
	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12
विनिर्माण	740.10	809.35	149	174 (144 मद समूह)
खनन	110.16	118.89	4	02 (02 मद समूह)
ऊर्जा	149.74	71.76	1	01 (01 मद समूह)
योग	1000.00	1000.00	154	177 (147 मद समूह)

6.1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)

- विभिन्न उपयोग आधारित सूचकांक औद्योगिक मदों के समूहों के संकलन से तैयार किया जाता है। जो पृथक–पृथक उपयोग समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा उपयोग आधारित सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 तक एन.आई. सी. 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 एन.आई.सी. 2008 पर आधारित है।
- सूचकांक से संबंधित भारण आरेख एवं मदतालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

क्र. सं.	आधार वर्ष 2004–05			आधार वर्ष 2011–12			
	वर्गीकरण	भार	कुल मदों की संख्या	वर्गीकरण	भार	कुल	
						मद	मद समूह
i	आधारभूत वस्तुएं	483.80	24	i- प्राथमिक वस्तुएं	293.78	10	09
ii	पूॅजीगत वस्तुएं	46.65	17	ii- पूॅजीगत वस्तुएं	73.19	14	12
iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	126.77	42	iii-आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	48.37	12	09
iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	342.78	71	iv- मध्यवर्ती वस्तुएं	173.83	46	37
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	70.60	27	v-कुल उपभोग वस्तुएं	410.83	95	80
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	272.18	44	v-aटिकाऊ उपभोग वस्तुएं	167.08	50	39
		–	–	v-bगैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	243.75	45	41
	योग	**1000**	**154**		**1000**	**177**	**147**

प्रयुक्त आँकड़ें एवं उनके स्रोत

सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त आँकड़ों एवं उनके स्रोत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

मद	आँकड़ों का स्रोत
वनस्पति	निदेशक वनस्पति,भारत सरकार
चीनी,खाण्डसारी	चीनी आयुक्त, उ0प्र0
आबकारी	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0
विनिर्माण खण्ड	आधार वर्ष 2004–05 के लिए चयनित 820 कारखानों से तथा

	आधार वर्ष 2011–12 में चयनित 722 कारखानों से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित हैं। प्रत्येक मास के उपरान्त 15दिन के पश्चात जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय द्वारा उक्त कारखानों से उत्पादन विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
खनिज खण्ड	आई.बी.एम. नागपुर, भारत सरकार
विद्युत खण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार

रीति विधायन

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये रीति विधायन का प्रयोग किया जाता है।

6.1.3 वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

- कृषि उत्पादन सूचकांक द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति का आंकलन किया जाता है। कृषि उत्पादन की प्रगति का अनुमान परिमाण एवं मूल्य पर आधारित है।
- राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन सूचकांक वार्षिक आधार पर नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सूचकांक वर्ष 1978–79 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1997–98 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2004–05 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया। वर्ष 2008–09 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2018–19 में आधार वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष 2011–12 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

6.1.4 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- वर्ष 2017–18 का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 के साथ–साथ आधार वर्ष 2011–12 पर भी तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत माह फरवरी 2018 (त्वरित) एवं माह जनवरी 2018 (अनन्तिम) मार्च 2018 (त्वरित) एवं फरवरी 2018 (अनन्तिम) आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किये गये तथा अप्रैल 2018 (त्वरित) से माह जनवरी 2019 (अनन्तिम) एवं माह दिसम्बर 2018 (त्वरित) आधार वर्ष 2011–12 पर कुल 12 महीनों के औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक तैयार किये गये।
- नवीन आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2017–18 का कृषि उत्पादन सूचकांक (परिमाण एवं मूल्य) तैयार किया गया है। इसके साथ ही पूर्व के वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के कृषि उत्पादन सूचकांक (परिमाण एवं मूल्य) भी तैयार किये गये।

मुख्य परिणाम (a)–आधार वर्ष 2004–05

मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग/क्षेत्रवार) वर्ष (2017–18)
आधार वर्ष (2004–05)

सेक्टर	अप्रैल 17	मई 17	जून 17	जुलाई 17	अगस्त 17	सितम्बर17	अक्टूबर 17	नवम्बर17	दिसम्बर17	जनवरी 18	फरवरी 18	मार्च 18
खनिज	87.50	93.32	70.43	71.75	91.01	111.59	113.02	119.57	149.71	154.08	130.34	110.05
ऊर्जा	598.87	667.16	637.66	596.12	621..77	624.35	669.34	573.62	606.67	634.56	551.41	594.74
विनिर्माण	135.64	122.97	122.31	114.11	121.47	124.99	122.85	143.98	158.17	158..47	160.86	168..82
सामान्य सूचकांक	199.70	201.19	193.76	181.62	193.03	198.29	203.60	205.63	224.40	229.27	215.98	226.12

वार्षिक सूचकांक आधार वर्ष 2004—05
वर्ष 2016—17 के सापेक्ष वर्ष 2017—18 में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि/कमी

सेक्टरवार सूचकांक	वर्ष 2016—17	वर्ष 2017—18	% वृद्धि वर्ष 2016—17 से वर्ष 2017—18
खनिज	95.65	108.53	13.47
ऊर्जा	574.48	614.55	6.98
विनिर्माण	130.43	137.89	5.72
सामान्य सूचकांक	193.09	206.03	6.70

मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित) वर्ष (2017—18)
आधार वर्ष (2004—05)

उपयोग आधारित वर्गीकरण	अप्रैल 17	मई 17	जून 17	जूलाई 17	अगस्त 17	सितम्बर 17	अक्टूबर 17	नवम्बर 17	दिसम्बर 17	जनवरी 18	फरवरी 18	मार्च 18
i. आधारभूत वस्तुएं	248.69	268.49	254.65	246.67	254.08	258.40	274.66	248.12	268.61	278.80	243.99	257.59
ii. पूँजीगत वस्तुएं	62.42	82.12	74.17	142.44	156.26	101.62	87..66	77.44	74.00	87.45	91.77	90.38
iii. मध्यवर्ती वस्तुएं	153.41	96.01	118.05	165.95	168.84	160.02	186.97	134.28	144.13	109.92	109.56	110.49
iv. कुल उपभोग की वस्तुए	166.36	161.30	152.11	100.94	120.82	140.76	125.23	189.48	212.16	222.82	232.70	242.94
Iv-a टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	155.76	137.96	103.80	89.76	123.81	136.15	105.92	96.38	88.99	120.67	123.03	123.27
iv-b गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	169.11	167.36	164.64	103.84	120 .04	141.96	130.24	213.63	244.11	249.32	261.14	273.98
सामान्य सूचकांक	199.70	201.19	193.76	181.62	193.03	198.29	203.60	205.63	224.40	229.27	215.98	226.12

वार्षिक सूचकांक आधार वर्ष 2004—05
वर्ष 2016—17 के सापेक्ष वर्ष 2017—18 में प्रतिशत वृद्धि/कमी

कमांक	उपयोग आधारित वर्गीकरण	वर्ष 2016—17	वर्ष 2017—18	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (%)
i	आधारभूत वस्तुएं	240.93	258.52	7.43
ii	पूँजीगत वस्तुएं	89.71	93.98	4.76
iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	137.01	138.14	0.82
iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	160.38	172.30	7.43
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	129.20	117.13	—9.34
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	168.47	186.62	10.77
	सामान्य सूचकांक	193.09	206.03	6.70

मुख्य परिणाम (b)–आधार वर्ष 2011–12

मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग/क्षेत्रवार) वर्ष (2017–18)
आधार वर्ष 2011–12

सेक्टर	अप्रैल 17	मई 17	जून 17	जूलाई 17	अगस्त 17	सितम्बर17	अक्टूबर 17	नवम्बर17	दिसम्बर17	जनवरी 18	फरवरी 18	मार्च 18
खनिज	93.40	99.79	74.71	75.06	97.97	118.60	120.85	126.93	159.73	164.94	139.18	117.65
ऊर्जा	129.13	143.85	137.49	128.54	134..07	134.62	144.32	123.68	130.81	136.83	118.90	128.24
विनिर्माण	114.40	112.88	112.87	108.64	114.68	114.62	107.83	114.85	129.50	123..81	127.32	125.37
सामान्य सूचकांक	112.96	113.55	110.10	106.07	114.08	116.53	112.00	116.92	133.19	129.63	128.12	124.66

वार्षिक सूचकांक
(आधार वर्ष 2011–12)

सेक्टरवार सूचकांक	वर्ष 2017–18
खनिज	115.74
ऊर्जा	132.54
विनिर्माण	117.15
सामान्य सूचकांक	118.08

मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित) (वर्ष 2017–18)
आधार वर्ष (2011–12)

उपयोग आधारित वर्गीकरण	अप्रैल 17	मई 17	जून 17	जूलाई 17	अगस्त 17	सितम्बर17	अक्टूबर 17	नवम्बर 17	दिसम्बर 17	जनवरी 18	फरवरी 18	मार्च 18
1.प्राथमिक वस्तुएं	109.58	113.89	100.46	103.37	112.31	105.86	125.48	120.56	141.07	138.41	121.56	123.90
2. पूँजीगत वस्तुएं	142.04	174.31	214.39	156.78	178.77	272.44	188..31	174.64	205.61	193.94	247.94	146.83
3.आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	102.36	98.80	97.81	87.59	78.06	86.94	92.28	95.94	104.18	108.50	113.41	113.59
4.मध्यवर्ती वस्तुएं	120.86	135.89	136.46	122.27	125.07	129.09	125.46	142.37	151.28	133.03	134.99	154.05
5.कुल उपभोग वस्तुएं	108.10	94.76	88.70	94.30	103.42	94.55	85.39	95.74	110.42	112.95	110.29	110.13
5.1 टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	111.23	107.20	92.94	89.37	97.00	111.42	91.82	78.85	91.66	88.36	90.49	79.01
5.2 गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	105.96	86.23	85.80	97.68	107.82	82..99	80.99	107.31	123.28	129.81	123.87	131.45
सामान्य सूचकांक	112.96	113.55	110.10	106.07	114.08	116.53	112.00	116.92	133.19	129.63	128.12	124.66

वार्षिक सूचकांक
आधार वर्ष 2011–12

क्रमांक	उपयोग आधारित वर्गीकरण	वर्ष 2017–18
1.	प्राथमिक वस्तुएं	118.04
2.	पूँजीगत वस्तुएं	191.33
3.	आधारभूत संरचना / निर्माण वस्तुएं	98.29
4.	मध्यवर्ती वस्तुएं	134.24
5.	कुल उपभोग वस्तुएं	100.56
5.1	टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	94.11
5.2	गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	104.98
	सामान्य सूचकांक	118.08

कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सूचकांक वर्ष 2017–18 (आधार वर्ष 2011–12)
कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण (volume)

प्रमुख मद	वर्ष 2015–16(अंतिम)	वर्ष 2016–17(अनन्तिम)	वर्ष 2017–18(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2016–17	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2017–18
अनाज	86.44	99.38	114.82	14.97	15.54
दाल	48.44	91.76	91.76	89.43	–
फल एवं सब्जी	138.17	144.51	144.90	4.59	0.27
गन्ना	135.67	130.80	165.23	–3.59	26.32
तिलहन	66.60	91.00	91.00	36.64	–
सामान्य सूचकांक	104.82	115.01	128.08	9.72	11.36

कृषि उत्पादन सूचकांक–मूल्य (value)

प्रमुख मद	वर्ष 2015–16(अंतिम)	वर्ष 2016–17(अनन्तिम)	वर्ष 2017–18(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2016–17	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2017–18
अनाज	113.70	137.22	170.99	20.69	24.61
दाल	90.24	144.13	105..87	59.72	–26.55
फल एवं सब्जी	210.49	211.66	209.90	0.56	–0.83
गन्ना	168.62	169.46	222.45	0.50	31.27
तिलहन	84.85	86.69	100.93	2.17	16.43
सामान्य सूचकांक	140.96	155.91	177.59	10.61	13.91

6.1.5 कार्यशाला

राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन के विविध पहलुओं, ऑकड़ों की गुणवत्ता के साथ ही अगले आधार वर्ष पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 18.01.2019 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में श्री

अरविन्द कुमार पाण्डेय, तत्कालीन अपर निदेशक एवं श्रीमती शालू गोयल, उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिभाग किया गया।

6.2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणः–

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (Statistical Authority) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाने लगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूप पत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य उद्देश्य एवं फ्रेम

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीति निर्धारकों एवं नियोजकों को औद्योगिक आंकड़े उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला आय के निर्धारण में विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आकलित करना है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का फ्रेम प्रदेश में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा रखी जा रही पंजीकृत कारखानों, बीड़ी एवं सिगार प्रतिष्ठानों एवं विद्युत उपक्रमों के सम्बन्ध में लाईसेन्सिंग प्राधिकरणों द्वारा रखी जा रही सूचियों पर आधारित है। सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 1953 के अन्तर्गत सांख्यिकीय संग्रहण (केन्द्रीय) नियमावली 1959 के आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा–2 एम (i) व 2 एम (ii) में पंजीकृत कारखानों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता था किन्तु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 से एवं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार के सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। वर्ष 1989–90 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रति 3 वर्षों में एक बार संशोधन/अद्यतन किया जाता हैं।

अवधि

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण को प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया संग्रहीत आंकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

चयन प्रक्रिया

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की चयन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 का फ्रेम दो भागों में वर्गीकृत है केन्द्रीय प्रतिदर्श एवं राज्य प्रतिदर्श तथा केन्द्रीय प्रतिदर्श को भी दो भागो में बॉटा गया है गणना व गैर गणना सेक्टर। गणना सेक्टर में वे कारखानों वर्गीकृत होते जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं तथा जो संयुक्त रिर्टन भरते हैं उनको गणना कारखानों की श्रेणी में रखा जाता है। उक्त के अतिरिक्त स्ट्रेटा के अन्तर्गत किसी जनपद की एन0आई0सी0 में चार या चार से कम इकाइयॉ हों उन सभी को गणना इकाई समझा जायेगा। गणना सेक्टर के समस्त कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया है एवं प्रतिदर्श सेक्टर में केन्द्रीय प्रतिदर्श के कारखानों का सर्वेक्षण भी भारत सरकार द्वारा किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य के प्रतिदर्श कारखानों का सर्वेक्षण अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जाता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 का प्रतिदर्श चयन एस.सी.आई.एस. की तेरहवीं बैठक नये प्रतिदर्श अभिकल्प (New Sampling Design) के रूप में औद्योगिक सांख्यिकीय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है। नई प्रतिदर्श अभिकल्प के ढॉचे का निर्माण जिला स्तर पर 4 अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण–2008 (NIC-2008) पर किया गया है।

सर्वेक्षण हेतु अनुसूची

सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये निर्धारित अनुसूची भाग–1 (विवरणी) का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मदें– देशी एवं आयातित, उत्पाद एवं उपोत्पाद, विभाजक व्यय आदि के सम्बन्ध में आंकड़े संग्रह किये जाते है।

उद्योगों का वर्गीकरण

कारखानों के आर्थिक क्रिया कलापों में उद्योगों का वर्गीकरण प्रचलित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी कोड) का अनुसरण किया जाता है। वर्तमान में एन.आई.सी कोड 2008 का प्रयोग किया जा रहा है ।

सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट आलेखन

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, कोलकाता द्वारा उपलब्ध करायी गई राज्य प्रतिदर्श कारखानों की सूची को जनपदवार/मण्डलवार वितरित करके जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रतिदर्श कारखानों को नोटिस अनुदेश, अनुसूची आदि प्रपत्र भेजकर आँकड़ों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है। कारखानों के आँकड़ों की डेटा इन्ट्री/वैलिडेशन करने हेतु प्रत्येक वर्ष सॉफ्टवेयर को तैयार/विकसित करके क्षेत्रों के सहायकों को प्रशिक्षित किया जाता है। संग्रहित आँकड़ों का मण्डल स्तर पर परिनिरीक्षण व डेटाइन्ट्री/वैलिडेशन करने के उपरान्त प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है। प्रभाग स्तर पर सन्दर्भित वर्ष के राज्य व केन्द्र के आँकड़ों को जनपद के अन्तर्गत उद्योग वर्गानुसार मिलाने के उपरान्त निर्धारित गुणक से उद्योग वर्गानुसार अनुमान प्राप्त कर गणना कारखानों के आँकड़ों को जिलेवार एवं उद्योगवार अनुमानित आँकड़ों के साथ जोड़ कर जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार तथा प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों को आमेलित कर गुणक का उपयोग करते हुए विनियोजित पूँजी, उपभुक्त सामग्री, कुल आगत, कुल निर्गत, उत्पादन का मूल्य, सकल आवर्धित मूल्य, मूल्य ह्रास, शुद्ध आवर्धित मूल्य आदि महत्वपूर्ण मदों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।

6.2.1 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

1. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2014–15** के केन्द्रीय आँकड़े भारत सरकार से प्राप्त करके उन्हें राज्य के सर्वेक्षित आँकड़ों के साथ आमेलित करते हुए निर्धारित गुणक से 63 मदीय सूचना के विवरण व सारणीयन प्रोग्राम के अनुरुप आँकड़ों को उत्थापित करके आँकडों पर आधारित 4 अध्यायों, 3 परिशिष्टों, अध्याय 3 में 37 तालिकाओं, 17 ग्राफ अध्याय 4 में 20 तालिकाओं, 7 ग्राफ एवं 6 सारणियों तथा आवश्यक रेखाचित्रों सहित कतिपय नवीनताओं तथा परिवर्तनों/परिवर्द्धनों के साथ रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया।
2. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16** का सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत कराया गया। राज्य के सर्वेक्षित आँकड़ों के निष्कर्ष के आधार पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 के रिपोर्ट लेखन का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायी गयी।
3. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2016–17** का सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत कराया गया। आलोच्य अवधि में माह जनवरी 2019 तक कुल राज्य प्रतिदर्श के 3751 कारखानों के सापेक्ष शतप्रतिशत कारखानों का सर्वेक्षण/परिनिरीक्षण/डेटा इन्ट्री व वैलिडेशन तथा प्रभाग स्तर पर आँकड़ो के जाँच का कार्य पूर्ण किया गया।
4. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2017–18** का सर्वेक्षण सम्प्रति सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत संचालित है। माह मार्च 2019 तक कुल आवंटित 3299 कारखानों के सापेक्ष 2558 कारखानों का सर्वेक्षण, 1485 इकाईयो का परिनिरीक्षण व 78 इकाईयों की डेटा इन्ट्री व वैलिडेशन का कार्य पूर्ण कराया गया।

6.2.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2015–16 के मुख्य निष्कर्ष

1. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2015–16 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे में कुल 15364 कारखाने पंजीकृत रहे जिसमें 3340 कारखाने गणना के तथा 1739 केन्द्रीय प्रतिदर्श हेतु चयनित थे । 5079 कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया। राज्य के सर्वेक्षण हेतु 3468 कारखाने चयनित किये गये।
2. प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे के अनुसार कुल 15364 पंजीकृत कारखानों में से पश्चिमी क्षेत्र में 10968 कारखाने, केन्द्रीय क्षेत्र में 2817 कारखाने, पूर्वी क्षेत्र में 1452 कारखाने तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 127 कारखाने पंजीकृत थे।

3. NIC-2 अंकीय कोड के अनुसार सबसे अधिक 12.98 प्रतिशत अंश के साथ 1995 कारखाने खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में पंजीकृत पाये गये। फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण (मशीनरी तथा उपस्कर के अतिरिक्त) (NIC-25) अन्य अधात्विक एवं खनिज उत्पादों के विनिर्माण (NIC-23) में क्रमशः 1333 (8.68 प्रतिशत) व 1259 (8.19 प्रतिशत) कारखानों का पंजीयन दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा।
4. केन्द्र व राज्य के लिये चयनित व सर्वेक्षित 8547 कारखानों के सापेक्ष 6837 कारखाने कार्यरत पाये गये। उक्त के आधार पर राज्य में कुल 13628 कारखानें कार्यरत अनुमानित हुए ।
5. प्रदेश के समस्त उद्योगों में कुल आगत 39,22,81,4222 हजाऱ रूपये, निर्गत 4740132147 हजाऱ रूपये, सकल आवर्धित मूल्य 817317925 हजाऱ रूपये, मूल्य ह्रास 101027654 हजाऱ रूपये तथा शुद्ध आवर्धित मूल्य 716290271 हजाऱ रूपये रहा।
6. आगत व निर्गत मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में क्रमशः 25.3 व 22.3 प्रतिशत रहा। द्वितीय स्थान पर कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स एवं आप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण (NIC-26) में क्रमशः 9.0 व 8.9 प्रतिशत तथा तृतीय स्थान पर मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में क्रमशः 8.0 व 8.3 प्रतिशत का योगदान रहा।
7. सकल आवर्धित मूल्य की दृष्टि से मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 77282083 हजाऱ रूपये (9.5 प्रतिशत) के साथ प्रथम स्थान पर, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स एवं आप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण (NIC-26) में 74723983 हजाऱ रूपये (9.1 प्रतिशत) के साथ द्वितीय स्थान पर, तथा 68171856 हजाऱ रुपये (8.3 प्रतिशत) के साथ रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) तृतीय स्थान पर रहा।
8. शुद्ध आवर्धित मूल्य की दृष्टि से मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 72271208 हजाऱ रूपये (10.1 प्रतिशत) के साथ प्रथम स्थान पर, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स एवं आप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण (NIC-26) में 68403289 हजाऱ रूपये (9.5 प्रतिशत) के साथ द्वितीय स्थान पर, तथा 61790657 हजाऱ (8.6 प्रतिशत) के साथ रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) तृतीय स्थान पर रहा।
9. राज्य के पंजीकृत कार्यरत कारखानों में कुल 795301 कार्मिक कार्यरत रहे जिसमें से सर्वाधिक 119617 (15.0 प्रतिशत) कर्मी खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में नियोजित रहे, तत्पश्चात चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद का विनिर्माण (NIC-15) में 12.9 प्रतिशत तथा पहनने के कपड़ों का विनिर्माण (NIC-14) में 9.8 प्रतिशत कर्मियों का नियोजन रहा। NIC कोड 38, 58, 74, 82, 95 व 96 में कर्मियों के नियोजन का प्रतिशत नगण्य पाया गया।
10. राज्य में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक परिलब्धि 232.16 हजार रूपये पाया गया जो कोक एवं पेट्रोलियम एवं शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) हेतु सर्वाधिक 753.09 हजार रूपये उसके उपरांत कम्प्यूटर इलेक्ट्रानिक्स एवं आप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण (NIC-26) हेतु 701.04 हजार रूपये पाया गया।
11. प्रदेश के उद्योगों में **कुल ईधन** उपभोग की दृष्टि से मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में सर्वाधिक 43179232 हजार रूपये तथा अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में न्यूनतम् 1897 हजार रूपये कुल ईंधन का उपभोग किया गया। **कोयले का** सर्वाधिक उपभोग रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) में 3481982 हजार रूपये एवं न्यूनतम् उपभोग वेस्ट कलेक्शन,ट्रीटमेंन्ट एवं डिस्पोजल क्रियाएं (NIC-38) में 28 हजार रूपये का किया गया। **विद्युत** का सर्वाधिक उपभोग मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 34109619 हजार रूपये तथा न्यूनतम अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 1571 हजार रूपये का उपभोग किया गया। **पेट्रोलियम** पदार्थो का सर्वाधिक उपभोग खाद्य पदार्थो का विनिर्माण (NIC-10) में 5362231 हजार रूपये तथा न्यूनतम अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं

तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 326 हजार रूपये का उपभोग किया गया। **गैस** का सर्वाधिक उपभोग रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) में 9300104 हजार रूपये तथा न्यूनतम मुद्रण तथा रिकार्डेड मीडिया का पुनर्उत्पादन (NIC-18) में 584 हजार रूपये का उपभोग किया गया। इसी प्रकार **अन्य ईंधन** का सर्वाधिक उपभोग रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) में 6786120 हजार रूपये तथा न्यूनतम् अन्य वैयक्तिक सेवा सम्बन्धी क्रियाएं (NIC-96) में 100 हजार रूपये का उपभोग किया गया।

12. प्रदेश में कुल 101027654 हजार रूपये के मूल्य ह्रास में सबसे अधिक खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में 17740196 हजार रूपये तथा सबसे कम न्यूनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 1412 हजार रूपये मूल्य ह्रास पाया गया।
13. प्रदेश में 2065209144 हजार रूपये पूँजी का विनियोजन किया गया जिसमें खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में सर्वाधिक 511992999 हजार रूपये तथा न्यूनतम् अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 9838 हजार रूपये का पूँजी विनियोजन रहा।

महत्वपूर्ण मानक मदों का गत वर्ष के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण

(मूल्य हजार रूपये में)

क्र0सं0	मद	राज्य सरकार वा0उ0स0 2014–15 (मूल्य हजार रू0 में)	राज्य सरकार वा0उ0स0 2015–16 (मूल्य हजार रू0 में)	गतवर्ष (2014–15) के सापेक्ष वृद्धि / कमी का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	पंजीकृत कारखानों की संख्या	14952	15364	2.8
2	अनुमानित कारखानों की संख्या	12198	13628	11.7
3	विनियोजित पूँजी	1818832083	2065209144	13.5
4	उपभुक्त सामग्री	3099661579	3078673515	.0.7
5	कुल आगत	3801870173	3922814222	3.2
6	कुल निर्गत	4575295734	4740132147	3.6
7	उत्पादन का मूल्य	3700397450	3987584056	7.8
8	सकल आवर्धित मूल्य GVA	773425558	817317925	5.7
9	मूल्य ह्रास	95812488	101027654	5.4
10	शुद्ध आवर्धित मूल्य NVA	677613070	716290271	5.7
11	समस्त कर्मचारी(संख्या)	908210	1031737	13.6
11ण्1	कर्मी (पर्यवेक्षकीय स्टॉफ को छोड़कर) (संख्या में)	701294	795301	13.4
11ण्2	पर्यवेक्षकीय एवं प्रबन्धकीय कर्मचारी वर्ग (संख्या)	92535	98933	6.9
11ण्3	अन्य कर्मचारी(संख्या)	114381	137503	20.2
12	कुल परिलब्धियाँ कर्मी (पर्यवेक्षकीय स्टॉफ को छोड़कर)	81526777	93522593	14.7
13	कुल परिलब्धियाँ समस्त कर्मचारी	209620559	239524466	14.3

******

अध्याय –7
आवास सांख्यिकी

7.0 पृष्ठभूमि

आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसारण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.),शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रुप में नामित किया गया है। आवास सॉख्यिकी संग्रहण की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969) में लागू हुई थी। योजनान्तर्गत आवास सांख्यिकी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा एकत्र करायी जाती थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वर्ष 2007–08 से एक नई केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना **"Urban Statistics for HR and Assessments (U.S.H.A)"**प्रारम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्‌देश्य आवास निर्माण, नगरीय गरीबी, झोपड़पट्‌टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस, सूचना तन्त्र का प्रबन्धन एवं अन्य जानकारियाँ तैयार करना है। उक्त की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा वांछित आँकड़ें एकत्र करा कर उपलब्ध कराये जा रहे है जिनका विवरण निम्नवत् है–

- **नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1ः–**

वर्ष 2013–14 से अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के स्थान पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1 के आंकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 35 नगर चयनित किये गये हैं जिनके आंकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्‌टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **जारी किये गये भवनो के अनुमति प्रमाण का एवं पूर्णता प्रमाण पत्र**

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 55 जनपदों के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 63 नगर चयनित है, जहाँ से नये आवासीय भवन इकाईयों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के आंकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्‌टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **Housing Start-up index(HSUI)-**

  राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUIयोजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्‌टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से त्रुटियों का निराकरण कराकर जनपदों द्वारा सीधे राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को आर्नलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भावः–**

प्रभाग द्वारा सभी जनपदों से 30 सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमासान्त के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर बाजार भाव राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों के 14 मदों के 76 उपमदों के फुटकर भाव प्रत्येक त्रैमासान्त में एकत्र किये जाते हैं। 14 मदों में ईटें, रेत, पत्थर की रोड़ी, चूना, इमारती लकड़ी, सीमेन्ट, इस्पात, फर्श के लिए पत्थर की स्लैब, ऐस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, टाइलें, रोगन व वार्निश, चादर कॉंच, सफाई पात्र एवं इलेक्ट्रिक फिटिंग सम्मिलित है। उक्त आंकड़े जनपदीय कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्‌टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन इन्ट्री किये जाते हैं

तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें:–**

सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जनपदीय कार्यालय द्वारा लोक निर्माण विभाग से कुशल मजदूरों यथा राज (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), बढ़ई (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) तथा अकुशल मजदूर (पुरूष एवं स्त्री)को देय मजदूरी की दरों के आंकड़े संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड्यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते थे। माह जून, 2013 से भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें लोक निर्माण विभाग से संग्रहीत न कराकर सीधे जनपद (नगर) के खुले बाजार से एकत्र कर ऑनलाइन इन्ट्री की जाती है। तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किये जाते हैं।

- **भवन निर्माण लागत सूचकांक:–**

भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 1983 से (1980–81 के आधार वर्ष पर) प्रदेश के 7 जनपदों (कानपुर, बरेली, झॅासी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ तथा वाराणसी) के लिए चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु तैयार किया जाता था। वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आधार वर्ष 1999–2000 पर निम्न आय वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1(एल.आई.जी.) के लिए सभी जनपदों में लागत सूचकांक तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल0आई0जी0) के भवन निर्माण लागत सूचकांक का आधार वर्ष 1999–2000 के स्थान पर वर्ष 2004–05 किया गया है। त्रैमासान्त जून, 2013 से पूर्व की भांति लागत (कास्ट) आवास विकास परिषद/पी0डब्ल्यू0डी0/अन्य कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर भवन निर्माण लागत सूचकांक को त्रैमास के स्थान पर वार्षिक आँकड़े ब्रिक्स साफ्टवेयर पर ऑनलाइन इन्ट्री किये जाते हैं, तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किये जाते है।

- **जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना:–**

जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना का एकत्रीकरण वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है।इसमें प्रदेश के चयनित 35 नगरों के आंकड़ें Municipal commissioners /District Collectors/City Development Authorities से प्राप्त करने के उपरान्त urban local bodies के Deputy Commissioner के स्तर से सत्यापित कराकर आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह करा कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

7.1 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- 75 जनपदों के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव त्रैमासान्त मार्च 2018, जून 2018, सितम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

- 75 जनपदों के भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें त्रैमासान्त मार्च 2018, जून 2018, सितम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

- 75 जनपदों के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 के भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2017–18 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

- नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1 के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के ऑकड़े त्रैमासान्त मार्च 2018, जून 2018, सितम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- नये आवासीय भवनों के जारी किये गये भवन के अनुमति प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र चयनित 55 जनपदों के 63 नगरों के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2018, जून 2018, सितम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- एच0एस0यू0आई0 योजना के अन्तर्गत चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दर, बाजार दर एवं किराया दर के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2018, जून 2018, सितम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 को ऑनलाइन अनुमोदन करा कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये।
- जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनों के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के वार्षिक आंकड़े वर्ष 2017–18 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव तथा मजदूरी की दरें नामक वार्षिक पत्रिका वर्ष 2017–18 का प्रकाशन किया गया।

7.2 भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, तथा मजदूरी की दरें वर्ष 2017–18 की प्रकाशित रिर्पोर्ट के मुख्य निष्कर्ष–

(i) आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव

- ईटें श्रेणी (क) का औसत भाव रू0 5412 प्रति हजार तथा रेत निम्न रू0 2462, रेत अव्वल रू0 1701, पत्थर की रोड़ी (15 मि.मी. गेज और कम) रू0 2257, इमारती लकड़ी (क) सी.पी. सागौन रू0 89631, (ख) साल की लकड़ी रू0 66323 प्रति घन मीटर रहा एवं चूना अनबुझा का औसत भाव रू0 945 प्रति कुन्तल पाया गया।
- सीमेन्ट साधारण सफेद (क) उच्च शक्तिवाली का औसत भाव रू0 6842 (ख) कम शक्तिवाली रू0 6181, इस्पात (साधारण इस्पात की गोल छड़ें) (क) 10 मि.मी. व्यास रू0 42542 (ख) 12 मि.मी. व्यास रू0 42823, इस्पात (साधारण इस्पात की चपटी छड़ें) 30×12 मि.मी रू0 42873, इस्पात (एंगल आइरन) (क) 25×25×5 मि.मी. रू0 42924,(ख) 45×45×6 मि.मी.रू0 42597 साधारण इस्पात के चैनल (150×75 मि.मी.) रू0 44682 प्रति मी0 टन रहा।
- लकड़ी इस्पात कार्य के लिए विशेष पेंट का औसत भाव रू0 257 प्रति लीटर पाया गया।
- चादर काँच का औसत भाव रू0 503 प्रति वर्ग मी. पाया गया ।
- सफाई पात्र एस. डब्ल्यू पाइप (150 मि. मी. व्यास) का औसत भाव रू0 98 प्रति अदद पाया गया ।

(ii) विभिन्न प्रकार की दैनिक मजदूरी की दरें

प्रदेश स्तर पर राज प्रथम श्रेणी की औसत मजूदरी रू0 493, राज द्वितीय श्रेणी रू0 440, बढ़ई प्रथम श्रेणी रू0 464, बढ़ई द्वितीय श्रेणी रू0 407, अकुशल मजदूर (पुरुष) रू0 292, अकुशल मजदूर (स्त्री) रू0 268 प्रति दिन पाया गया ।

******

अध्याय–8
संगणक अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षण कार्यो के माध्यम से एकत्र कराये जा रहे ऑकडों की डेटा इन्ट्री के लिए साफ्टवेयर विकास एवं उनके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण, आंकडों की डेटा प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के ऑकडों की पूलिंग संबंधी कार्य, प्रभागीय वेबसाइट का प्रबन्धन, GIS इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना संबंधी कार्य, SWAN कनेक्टीविटी सम्बन्धी कार्य संगणक अनुभाग द्वारा किये जा रहे हैं। वर्तमान में उक्त कार्यो के अतिरिक्त प्रभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात कार्मिकों की कम्प्यूटर दक्षता व कुशलता में अभिवृद्धि हेतु अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

8.1 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

8.1.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

1–रा0प्र0स0 74वीं आवृत्ति के फेज़–1 व फेज़–3 (हाउलर) वैलीडेशन में प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आ रही समस्याओं का डी0पी0डी0 कार्यालय, कोलकाता, भारत सरकार से समन्वय कर निराकरण कराया गया।

2– रा0प्र0स0 75 वीं आवृत्ति के फेज– 1 एवं फेज– 3 हाउलर वैलीडेशन सॉफ्टवेयर सम्बन्धी संचालन योग्य यूटिलिटी साफ्टवेयर का विकास कर क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रियान्वित कराया गया।

3–रा0प्र0स0 74वीं आवृत्ति के आंकड़ों को TEXT Format में परिवर्तन करने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण किया गया।

4–रा0प्र0स0 73वीं आवृति 2.34 अनुसूची की समस्त तालिकाओं का निर्माण किया गया।

8.1.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

1– वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित केन्द्र एवं प्रभाग द्वारा एकत्रित आँकड़ों पर आधारित वांछित सारणीयन का कार्य किया गया।

2– एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline Data Entry" हेतु वांछित साफ्टवेयर के अन्तर्गत विकसित वा0उ0स0 मॉड्यूल के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 की तालिका सं0–1 से 7 एवं गुणक तथा वा0उ0स0 वर्ष 2017–18 हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा इन्ट्री कराये जाने हेतु डाटा इन्ट्री फॉर्म को अपडेट कराया गया।

8.1.3 स्थानीय निकाय सर्वेक्षण

1– राज्य आय अनुभाग के उपयोगार्थ स्थानीय निकाय के वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 के आय व्यय का लेखा तैयार करने हेतु एकत्रित आंकडों के आधार पर तालिकायें तैयार करने एवं खण्ड वार ग्रैंण्ड–शीट तैयार करने का प्राविधान करते हुए रिपोर्टिंग साफ्टवेयर का निर्माण किया गया।

2–स्थानीय निकाय 2017–18 हेतु डाटा इन्ट्री सॉफ्टवेयर का विकास कर क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगार्थ क्रियान्वित कराया गया।

8.1.4 सामुदायिक विकास कार्यों से सम्बन्धित

1– सामुदायिक विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (CD MPR) से सम्बन्धी रिपोर्टिंग साफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया।

8.1.5 State Statistical Strengthening (SSS) योजना

1–एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline and online Data Entry" के अन्तर्गत भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल के यू0ए0टी0 पश्चात् प्राप्त विसंगतियों की परीक्षण आख्या का संशोधन कार्यदायी संस्था द्वारा कराते हुए भाव मॉड्यूल को अन्तिम रूप दिया गया।

2–एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline Data Entry" हेतु वांछित साफ्टवेयर के अन्तर्गत विकसित भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल के प्रशिक्षणोपरान्त क्षेत्रीय (जनपदीय/

मण्डलीय) कार्यालयों को डेटा इन्ट्री हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर डेटा इन्ट्री कार्य प्रारम्भ कराया गया एवं डेटा इन्ट्री में आ रही समस्याओं का निराकरण किया गया।

3–एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline and online Data Entry" के अन्तर्गत विकसित भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल के Head Quarter level Reports को कार्यदायी संस्था द्वारा विकसित कराते हुए भाव अनुभाग को उपलब्ध कराया गया।

4–एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline and online Data Entry" के अन्तर्गत विकसित वा0उ0स0 मॉड्यूल के अन्तर्गत वा0उ0स0 वर्ष 2015–16, उत्तर प्रदेश के यूनिट लेबल आंकड़ो के आधार पर गुणक रहित तालिका 1 से तालिका 6 का निर्माण कराया गया।

5–एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline Data Entry" हेतु वांछित साफ्टवेयर के अन्तर्गत विकसित वा0उ0स0 मॉड्यूल के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 की तालिका सं0–1 से 7 एवं गुणक तथा वा0उ0स0 वर्ष 2017–18 हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा इन्ट्री कराये जाने हेतु डाटा इन्ट्री फॉर्म को अपडेट कराया गया।

6–एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline and online Data Entry" के अन्तर्गत विकसित आई0आई0पी0 मॉड्यूल हेतु औधोगिक सांख्यिकीय अनुभाग से प्राप्त नये आधार वर्ष 2011–12 के मास्टर डाटा एवं रिपोर्ट मे संशोधन कार्यदायी संस्था से कराया गया एवं रिपोर्टिंग में आ रही विसंगतियों का निराकरण कराया गया।

8.1.6 PSMS सम्बन्धी आंकड़ों का सारणीयन

1–**PSMS सम्बन्धी आंकड़ों का सारणीयन** (using STATA) के अन्तर्गत अनुसूची 11 हेतु डिक्शनरी का निर्माण किया गया।

2–PSMS सम्बन्धी आंकड़ों का सारणीयन (using STATA) के अन्तर्गत अनुसूची 11 इससे सम्बन्धित फॉर्मेट पर तालिकाओं का निर्माण किया गया।

8.1.7 SWAN कनेक्टीविटी सम्बन्धी कार्य

1– 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य जिला सॉख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग के जनपदीय कार्यालयो की जनपद स्तरीय स्वान केन्द्र से तथा प्रभाग मुख्यालय की राज्य स्तरीय स्वान केन्द्र से नेटवर्किंग का कार्य बी0एस0एन0एल0 द्वारा नामित संस्था Tel Excel के माध्यम से कराया जाता है । 2018–19 में स्वान कनेक्टीविटी के संचालन में आयी समस्याओं को कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित करते हुए निराकरण कराया गया ।

2–जनपदों में स्वान कनेक्टिविटी से संबंधित संरक्षण हेतु Feasibility Report प्राप्त करने के लिए जनपदीय कार्यालयों से अनुश्रवण कार्य किया गया।

8.1.8 प्रभाग की वेबसाइट का प्रबन्धन

1–प्रभाग की वेबसाइट 'http://updes.up.nic.in' पर प्रदर्शित सूचनाओं के अपडेशन हेतु रा0सू0वि0 केन्द्र से user ID एवं password प्राप्त कर प्रभाग स्तर पर अपलोड कार्य किया जाता है। साथ ही प्रभाग की वेबसाइट को समय–समय पर यथाआवश्यकतानुसार user friendly एवं व्यवहारिक बनाये जाने हेतु भी कार्य किया गया। सम्बन्धित अनुभागों से प्राप्त साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व अन्य प्रकार की सूचनाओं एवं प्रभाग में विकसित किए गये साफ्ट्वेयर व अन्य तत्सम्बन्धी सूचनाएं तथा प्राप्त निविदा व प्रेस रिलीज सम्बन्धी सूचनाओं को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया गया।

8.1.9 प्रशिक्षण

1– रा0प्र0स0 76वीं आवृत्ति के Data Entry Software का क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2– एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline and online Data Entry" के अन्तर्गत विकसित भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल में प्रत्येक जनपदीय कार्यालयों से एक अपर सांख्यिकीय अधिकारी को ऑनलाइन डाटा इन्ट्री किये जाने हेतु प्रशिक्षण मैन्यूअल आदि तैयार कराकर तीन बैचों में प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

3–एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline and online Data Entry" के अन्तर्गत विकसित भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल एवं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण मॉड्यूल में प्रत्येक

मण्डलीय कार्यालयों से एक अपर सांख्यिकीय अधिकारी को ऑनलाइन डाटा इन्ट्री किये जाने हेतु प्रशिक्षण मैन्यूअल आदि तैयार कराकर दिनांक 28.06.2018 को प्रभाग मुख्यालय स्थित सभागार में प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

8.1.10 समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) सम्बन्धी कार्य—समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर, निस्तारित सूचनाओं को अपलोड करने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा हैं।

8.1.11 ई—ऑफिस प्रणाली सम्बन्धी कार्य

जनपदीय/मण्डलीय/ प्रभाग कार्यालयों में प्रदेश सरकार के ई—ऑफिस प्रणाली पर कार्य करने वाले कार्मिकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभाग मुख्यालय एवं उसके समस्त जनपदीय कार्यालयों से समन्वय सम्बन्धी कार्य किया गया।

****

अध्याय–9
ग्राफ अनुभाग

प्रभाग में स्थापित ग्राफ अनुभाग द्वारा मुख्यालय से प्रकाशित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों व प्रतिवेदनों में प्रयुक्त होने वाले आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ व आरेख को मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कलाकार व वरिष्ठ कलाकार द्वारा तैयार किया जाता है। प्रभाग में विभिन्न प्रकार के आँकड़ों एवं प्रतिवेदनों का एक दृष्टि में अवलोकन हेतु ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते हैं।

9.0 क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्पादित कार्य –

वर्तमान में विकास सम्बन्धी आँकड़ों को मण्डल के मानचित्र में जनपदों एवं जनपद के मानचित्र में विकास खण्डो की परस्पर तुलनात्मक स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर प्रत्येक वर्ष नियोजन एटलस जी.आई.एस. आर्कव्यू साफ्टवेयर पर तैयार किया जाता है। नियोजन एटलस की संरचना में प्रयुक्त संकेतकों की सूचना में सांख्यिकीय पत्रिका के आँकड़ो का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकीय पत्रिका के प्रकाशन के 1 माह पश्चात जनपदीय नियोजन एटलस का तथा जनपदीय नियोजन एटलस के प्रकाशन के 1 माह पश्चात मण्डलीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

मण्डलीय नियोजन एटलस में 72 मुख्य विकास संकेतकों के आधार पर मानचित्र व तालिकाओं को तैयार किया जाता है। जनपदीय नियोजन एटलस को 2 भागों में तैयार किया जाता है। प्रथम भाग में मण्डल के समस्त जनपदों के 30 विकास संकेतको के आधार पर 30 तालिकायें व मानचित्र तथा द्वितीय भाग में विकास खण्डों के 69 मुख्य विकास संकेतकों के आधार पर 69 तालिकाओं व मानचित्रों को प्रदर्शित किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर होने वाले प्रकाशन जैसे–सांख्यिकीय पत्रिका, सामाजार्थिक समीक्षा, विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका व सामाजार्थिक समीक्षा में आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण को आकर्षक एवं सुस्पष्ट बनाने हेतु लगाये जाने वाले रंगीन ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र कलाकार तैयार किये जाते है।

ग्राफ अनुभाग द्वारा प्रत्येक जनपद व मण्डल की नियोजन एटलस के प्रकाशन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन व दिशा–निर्देश तथा उनके परिनिरीक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

9.1 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

1–रा0प्र0स0 70वीं आवृत्ति अनुसूची 33 पर आधारित रिपोर्ट **"उत्तर प्रदेश में कृषक परिवारों की अवस्थिति का मूल्यांकन"** (जनवरी–दिसम्बर 2013)" का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

2–रा0प्र0स071वीं आवृत्ति अनुसूची 25.2 पर आधारित रिपोर्ट **"उत्तर प्रदेश में सामाजिक उपभोग शिक्षा"** का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

3– उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2017–18 का रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ, चार्ट तैयार किया गया।

4–उ0प्र0 के आय–व्ययक आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2018–19 रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ, चार्ट तैयार किया गया।

5–राज्य आय अनुमान, उ0प्र0 2011–12 से 2017–18 का रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ, चार्ट तैयार किया गया।

6–अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

7–उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय–व्यय, पूंजी–व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें वर्ष 2016–17 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार कराया गया।

8–अन्तर्जनपदीय आँकड़ें, वर्ष–2017 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार कराया गया।

9–जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश वर्ष 2018 के 24 ग्राफ, चार्ट, मानचित्र एवं कवर पृष्ठ द्विभाषी तैयार कराये गये।

10–भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा सूचकांक 2017–18 का आवरण पृष्ठ तैयार कराया गया।

11–रा0प्र0स0 72वीं आवृत्ति अनुसूची 21.1 पर आधारित रिपोर्ट **"उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटन पर व्यय"** का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार कराया गया।

12–अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकडे–2017 का रंगीन कवर पृष्ठ व ग्राफ, चार्ट, तथा मानचित्र तैयार कराये गये।

13–सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश वर्ष 2018 में 23 ग्राफ, चार्ट, आवरण पृष्ठ तथा मानचित्र तैयार कराया गया।

14–सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश वर्ष 2018 (हिन्दी संस्करण) में रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, तथा वर्ष 2019 का कैलेण्डर तैयार किया गया।

15–उत्तर प्रदेश एक झलक (आंकड़ों में) वर्ष 2018 (हिन्दी संस्करण) का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया ।

16–18–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के मानचित्र में 75 जनपदों में पंजीकृत कारखानों की संख्या को दर्शाने का कार्य कराया गया।

17–उत्तर प्रदेश में जनपदवार त्रैमासिक भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2017–18 के आंकड़ों को उत्तर प्रदेश के मानचित्र में प्रदर्शित किया गया।

18–न्यूज लेटर (अक्टूबर–दिसम्बर 2018) को Coral Draw Software पर तैयार किया गया।

19–**मण्डलीय व जनपदीय नियोजन एटलस, वर्ष–2018**

ग्राफ अनुभाग के कलाकार व वरिष्ठ कलाकार को आवंटित नियोजन एटलस वर्ष 2018 आजमगढ़ मण्डल एवं जनपद–जौनपुर, अमेठी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, सीतापुर, कुशीनगर, गोण्डा, फर्रूखाबाद, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, इटावा, संतकबीर नगर, कन्नौज, व बस्ती की मानचित्रों व तालिकाओं को तैयार करा कर सम्बन्धित जनपदों को प्रकाशनार्थ उपलब्ध कराया गया।

******

अध्याय –10
बाहय सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग

10.1 पृष्ठभूमि–

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता को विकसित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता एवं संचालन में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना "इंडिया स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट" संचालित की गयी थी, जो उ0प्र0 में वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित हुई। यह योजना 31.03.2017 तक प्रभावी थी परन्तु संबंधित योजना भारत सरकार द्वारा "केन्द्रीय सेक्टर" में वर्गीकृत किये जाने पर योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित कर दी गयी। वर्तमान में योजना का नाम Support for Statistical Strengthening (SSS) है।

10.2 प्रस्तावित कार्य–

दिनांक 03–11–2015 को हस्ताक्षरित MoU के सापेक्ष स्वीकृत योजना 43.86 करोड़ रूपए की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये 6.00 करोड रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजना अवधि विस्तारित हो जाने व योजना के स्वरुप में परिवर्तन हो जाने के कारण संशोधित राज्य योजना का अनुमोदन राज्य व केन्द्र सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त पुनः दिनांक 30.06. 2018 को MoU हस्ताक्षरित किया गया। हस्ताक्षरित संशोधित MoU में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित है–

क्र०स०	मद
1	साँख्यिकीय अनुप्रयोग
2	डेटा गैप्स की पूर्ति हेतु विभिन्न चिन्हित विषयों पर अध्ययनोपरान्त तकनीकी समूह/संस्थाओं की संस्तुतियों का क्रियान्वयन।
3	मानव संसाधन विकास संबंधी गतिविधियां
4	सांख्यिकीय प्रक्रिया एवं परिचालन की दक्षता में सुधार हेतु नवोन्मेष तकनीकी एवं रीति विधान का प्रयोग।
5	हितधारकों से विचार विमर्श तथा आकड़े के प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को चिन्हित कर तद्नुरुप सर्वेक्षण कार्य करना।
6	राज्य सांख्यिकीय प्रणाली के निष्पादन पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदनों को सर्वसाधारण को सुलभ कराने सहित लागत में सुधार संबंधी गतिविधियां।
7	आकंड़ों की गुणवत्ता एवं तत्सम्बन्धी सुधार हेतु उपाय।
8	सांख्यिकीय उत्पादों एवं सेवाओं के प्रयोग में सुधार हेतु सूचना, शिक्षा व संचार के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार।

10.4 वर्ष 2017–18 तक सम्पादित कार्य–

1. प्रभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लैपटाप, एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर तथा तत्सम्बन्धी उपकरणों का क्रय किया गया।
2. नवनियुक्त सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों की एक Induction Training व 06 कौशल विकास प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के माध्यम से सम्पन्न कराया गया।

3. **पंचम पॉवर्टी एवं सोशल मॉनिटिरिंग सर्वे** के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों से घरेलू उपभोक्ता व्यय, रोजगार–बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सरकारी कार्यक्रमों आदि से सम्बन्धित आकड़ों के एकत्रीकरण हेतु प्रतिदर्श निधि का प्रयोग करते हुए 2432 इकाईयों का सर्वेक्षण कराया गया।
4. रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से Mapping and Acreage Estimation of Horticultural Crops at Block Level using remote sensing & GIS techniques विषयक database तैयार कराए जाने के कार्य के अन्तर्गत चयनित जनपदों में mentha crops के अध्ययन कार्य उपरान्त रिपोर्ट व मानचित्र प्रभाग को उपलब्ध कराया गया।

10.5 वर्ष 2018–19 में कार्य–

10.5.1 साँख्यिकीय अनुप्रयोग –

1) GIS आधारित State Statistical Portal के विकास का कार्य रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा निर्धारित 20 core statististics से सम्बन्धित आँकड़ो/सूचनाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने एवं सम्बन्धित सूचना के त्वरित आकलन के साथ सॉख्यिकीय कार्यो हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के लिये 93 विभागों के लिए एक पोर्टल विकसित कराया जा रहा है।

2) विभागीय कार्यों से संबंधित 11 ऑनलाईन एवं ऑफलाईन डेटा इन्ट्री माड्यूल का विकास किया गया। उक्त माड्यूल स्थानीय निकाय का आय व्यय अनुमान, बजट वर्गीकरण, ग्रामवार आधारभूत आकड़ें, ASI, IIP, और विभिन्न प्रकार के भाव/दर से सम्बन्धित है।

10.5.2.डेटा गैप्स की पूर्ति हेतु विभिन्न चिन्हित विषयों पर अध्ययनोपरान्त तकनीकी समूह/संस्थाओं की संस्तुतियों का क्रियान्वयन– इसके अन्तर्गत 4 चयनित विषयों पर गिरि विकास अध्ययन संस्थान से अध्ययन कार्य कराया जा रहा है।

i.Study on interstate trade-to identify and estimate value of commodities being imported/exported to/from U.P.GIDS

ii. Study to assess the intra-household variations in consumption, educational and economic attainments in different categories of households.

iii. Preparation of Input-Output transaction tables for U.P.

iv. Study to estimate rent of dwellings-Rural and Urban in U.P.

10.5.3.मानव संसाधन विकास–

1.प्रभाग में सम्पादित होने वाले साँख्यिकीय कार्यो हेतु विभागीय क्षेत्रीय कार्मिको की अनुपलब्धता व आकस्मिक रुप से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सर्वेक्षण कार्य के सम्पादन हेतु प्रशिक्षित सर्वेक्षकों का एक समूह तैयार किये जाने हेतु 04 कौशल विकास प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के माध्यम से सम्पन्न कराया गया।

2.प्रभाग के सॉख्यिकीय सम्वर्ग के अधिकारियों को नवीनतम सॉख्यिकीय पद्वतियों, विधियों एवं अनुप्रयोगों से भिज्ञ एवं उसके प्रयोग में दक्ष होने के उद्‌देश्य से DES के अधिकारियों को Advanced Statistical Analysis of Survey Data विषय पर IRMA, Gujarat तथा 'Basic Statistical Analysis Using R विषय पर IIPHD, Gurgaon में प्रशिक्षित किया गया।

10.5.4.सांख्यिकीय प्रक्रिया एवं परिचालन की दक्षता में सुधार हेतु नवोन्मेष तकनीकी एवं रीति विधान का प्रयोग–

1. रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से Mapping and Acreage Estimation of Horticultural Crops at Block Level using remote sensing & GIS तकनीक विषयक database तैयार कराए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

2. गिरि विकास अध्ययन संस्थान के माध्यम से Estimation of sub-state level estimates by using small area estimation technique विषय पर अध्ययन कराया जा रहा है।

10.5.5. आकंड़ों की गुणवत्ता एवं तत्सम्बन्धी सुधार हेतु उपाय –

10.5..5.1 पंचम पॉवर्टी एवं सोशल मॉनिटिरिंग सर्वे:–इसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों से घरेलू उपभोक्ता व्यय, रोजगार–बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सरकारी कार्यक्रमों आदि से सम्बन्धित आकड़ों के एकत्रीकरण हेतु प्रतिदर्श निधि का प्रयोग करते हुए 2432 इकाईयों का सर्वेक्षण से जनित आँकड़ों के आधार पर रिपोर्ट आलेखन का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है।

10.5..5.2 गिरि विकास अध्ययन संस्थान से Benchmark survey for area and production estimation of Horticultural Crops विषय पर तथा RAK Management Consultants संस्थान से Study on the plywood/khair to know the percentage and value of the raw material, source through U.P. Forests विषय पर अध्ययन कार्य कराया जा रहा है।

10.6 आर्थिक गणना

आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओ में स्थित समस्त उद्यमीय इकाईयों की राष्ट्रव्यापी सम्पूर्ण गणना है। आर्थिक विकास को स्थायी गति व दिशा देने, योजनाओं की वैज्ञानिक आधार पर संरचना करने, राज्य आय के आगणन, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नव उद्यमियों के लिए समुचित नीति निर्धारण, वास्तविक नियोजन हेतु विश्वसनीय सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराने, वर्तमान व भावी पीढ़ी हेतु नीति निर्धारण तथा विकास कार्यक्रमों में आर्थिक गणना का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।

आर्थिक गणना के अन्तर्गत देश/प्रदेश में संचालित प्रत्येक वह उद्यम अर्थात उपक्रम जो किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण या किसी प्रकार की ऐसी सेवा में लगा हो, जो केवल अपने परिवार के उपयोग के लिए न हो, की गणना की जाती है। किसी उद्यम में काम करने वाले परिवार के सदस्य अथवा भाड़े के श्रमिक अथवा दोनों हो सकते है। उद्यम का कार्य–कलाप एक या एक से अधिक स्थानों पर चलाया जा सकता है। गणना के समय उपलब्ध समस्त बारहमासी व मौसमी रूप में संचालित उद्यमों को सूचीबद्द किया जाता है। उद्यमों की गणना करते समय बारहमासी उद्यमों के लिए पिछला कैलेण्डर वर्ष एवं मौसमी उद्यमों के लिए पिछले कार्यकारी मौसम को सन्दर्भ अवधि माना जाता है। वे उद्यम जिन्हें हाल ही में प्रारम्भ किया गया हो, की जानकारी गणना के दिनांक की स्थिति के अनुसार की जाती है।

आर्थिक गणना, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग निर्देशन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 के द्वारा प्रथम बार वर्ष 1977 में करायी गयी थी। इसके उपरान्त वर्ष 1980 व 1990 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ ही क्रमशः द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना के आंकड़े एकत्रित कराये गये। चतुर्थ आर्थिक गणना वर्ष 1998, पंचम आर्थिक गणना वर्ष 2005 तथा छठी आर्थिक गणना 2012–13 में स्वतंत्र रुप से करायी गयी। भारत सरकार द्वारा सातवीं आर्थिक गणना वर्ष 2019 का कार्य कामन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया, लि0 के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

10.6.1 प्रथम आर्थिक गणना–1977

प्रथम आर्थिक गणना वर्ष 1977 की विषय वस्तु एवं क्षेत्र सीमित था जिसके अन्तर्गत गैर कृषि क्षेत्र में केवल ऐसे प्रतिष्ठानों/उद्यमो को ही सम्मिलित किया गया जिनमें नियमित रुप से कम से कम एक श्रमिक भाड़े पर कार्यरत हो। आंकड़ों को एकत्र करने के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए

अलग–अलग नीति अपनायी गयी। नगरीय क्षेत्र में समस्त घर–घर जा कर आंकड़े एकत्र किये गये, किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में केवल 5000 या अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में प्रत्येक घर जा कर सूचना एकत्र की गयी। एकत्रित आंकड़ों के अन्तर्गत मूलभूत सूचनाएं जैसे संस्थानों की संख्या व स्वरुप, उनमें सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, स्वामित्व का प्रकार, स्वामी का सामाजिक वर्ग, प्रयुक्त शक्ति /ईंधन आदि सम्मिलित थी।

10.6.2 द्वितीय आर्थिक गणना–1980

आर्थिक गणना 1980 का क्षेत्र एवं विस्तार प्रथम आर्थिक गणना 1977 की अपेक्षा अधिक वृहद था। प्रथम आर्थिक गणना में स्वकार्य उद्यमों और कृषीय उद्यमों को छोड़ दिया गया था। रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन के दृष्टिकोण से द्वितीय आर्थिक गणना में स्वकार्य उद्यमों से भी सूचना संग्रह कराना आवश्यक समझा गया। साथ ही कृषीय क्षेत्र (फसल उत्पादन तथा बागवानी के अतिरिक्त) के स्वकार्य उद्यमों तथा संस्थानों को भी गणना में संम्मिलित किया गया। इस प्रकार आर्थिक गणना 1980 के अन्तर्गत कृषीय तथा अकृषीय उद्यमों (स्वकार्य उद्यम तथा संस्थान) से सम्बन्धित सूचना प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी। एकत्रित सूचना के अन्तर्गत प्रत्येक उद्यम के सम्बन्ध में कार्य–कलाप का विवरण, कृषीय या गैर–कृषीय में वर्गीकरण, बारहमासी या मौसमी, स्वामित्व का प्रकार (निजी, सरकारी या अन्य) स्वामी का सामाजिक वर्ग, प्रयुक्त ईंधन, रोजगार तथा भाड़े पर श्रमिक आदि की सूचना सम्मिलित थी। द्वितीय आर्थिक गणना जनगणना 1980 के मकान सूचीकरण कार्य के साथ ही सम्पन्न करायी गयी थी।

10.6.3 तृतीय आर्थिक गणना 1990– द्वितीय आर्थिक गणना 1980 के अनुभवों का लाभ उठाते हुए मितव्ययिता तथा विशाल मानवशक्ति के प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए तृतीय आर्थिक गणना 1990 का कार्य जनगणना–1991 के लिए मकान सूचीकरण कार्य के साथ ही सम्पादित कराया गया तथा इनकी कार्य विधि एवं विषय–वस्तु आर्थिक गणना 1980 के समान ही थी।

10.6.4 चतुर्थ आर्थिक गणना 1998– प्रारम्भ में भारत सरकार का विचार आर्थिक गणना को प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर सम्पन्न कराने का था। परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना का कार्य क्रमशः जनगणना 1981 व 1991 के प्रथम चरण के साथ सम्पन्न करायी गयी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों में पायी जाने वाली उच्च्व दर की नश्वरता, गतिशीलता व उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन के कारण पुनः आर्थिक गणना को प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कराने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। तद्नुसार वर्ष 1998 में आर्थिक गणना स्वतन्त्र रूप से सम्पन्न करायी गयी।

आर्थिक गणना 1998 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कृषि फसल उत्पादन व बागवानी से सम्बन्धित कार्यकलापों को छोड़ कर अन्य सभी कृषि तथा गैर–कृषि उद्यमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी।

10.6.5 पांचवीं आर्थिक गणना 2005– पांचवीं आर्थिक गणना वर्ष 2005 में स्वतन्त्र रूप से सम्पन्न करायी गयी। 5वीं आर्थिक गणना विधायन मैनुअल ना होकर (ICR (Intelligence character Recognition) तकनीक द्वारा की गयी। इस प्रकार 5वीं आर्थिक गणना पूर्व की आर्थिक गणनाओं से कतिपय बातों से भिन्न तथा आंकड़ों के विधायन में पूर्णतया कम्प्यूटराईज्ड/अद्यतन तरीके पर आधारित थी।

10.6.6 छठी आर्थिक गणना 2012–13– छठी आर्थिक गणना प्रदेश में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक जनपद में सम्पन्न करायी गयी। जनगणना–2011 के लिये बनाये गये प्रगणन खण्डों को आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण/गणना कार्य हेतु आधार बनाया गया। तद्नुसार प्रगणन खण्डों की Framing जनगणना–2011 में प्रयुक्त की गयी। bridged House List, Layout map and charge Register के अनुसार चिन्हित कर सर्वेक्षण/गणना कार्य सम्पन्न कराया गया। उक्त आधार पर प्रदेश में 1598 चार्जो के अन्तर्गत 3,95,223 प्रगणन खण्डों की गणना की गयी जिसमें 1,25,917 प्रगणक, 59,018 पर्यवेक्षक तथा 1598 चार्ज अधिकारी लगाये गये।

10.6.6..6.1 छठी आर्थिक गणना 2012–13 के मुख्य निष्कर्ष– आर्थिक गणना 2012–2013 के अनुसार प्रदेश में समस्त प्रकार के उद्यमों की संख्या 66,83,905 है जिसमें 14,45,337(21.62%) कृषीय उद्यम तथा

52,38,568(78.38%) गैर– कृषीय उद्यम पाये गयें। इन संचालित उद्यमों में सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1,41,18,052 है।

- तुलनात्मक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों के सापेक्ष सबसे अधिक 11.43% उद्यम उत्तर प्रदेश में पाये गये है।
- दो आर्थिक गणना (2005 और 2013) के दौरान गैर–कृषि उद्यमों में 40.21% की दर से तथा कृषि उद्यमों में 462.06% की दर से बढ़ोत्तरी हुयी है।
- प्रदेश में कुल 6683905 उद्यमों में से 4158955(62.22%) उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में तथा 25. 24950(37.78%) उद्यम नगरीय क्षेत्र में पाये गये।
- अधिकांशतः 93.77% उद्यम बारहमासी प्रकृति के थे। लगभग 5.46% उद्यम मौसमी प्रकृति के थे तथा शेष 0.77% उद्यम आकस्मिक प्रकृति के थे।
- राज्य में सभी उद्यमों के 91.13% उद्यम मालिक के स्वामित्व वाले थे।
- मालिकाना उद्यमों में से 7.92% महिला के स्वामित्व वाले थे।
- महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों की कुल संख्या 0.48 लाख(7.22%) थी। जिसमें 0. 92 लाख (6.58%) लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। जिसमें से 3.93% उद्यम स्वकार्यरत उद्यम थे।
- महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में महिलाओं के लिए उद्यमों में प्रति औसत रोजगार 0.52% पाया गया।
- हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों की कुल संख्या 0.31 लाख (2.20%) थी। इन उद्यमों में 0.77 लाख (5.45%) रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- प्रदेश में 66.84 लाख उद्यमों में लगभग 14.18 लाख व्यक्ति कार्यरत पाये गये। कुल 141.18 लाख व्यक्तियों में 79.53 लाख व्यक्ति (57.3%3) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 61.65 लाख व्यक्ति (43. 67%) नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत थे।
- तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार (10.75%) उपलब्ध कराने वाला प्रदेश है।
- प्रदेश में वर्ष 2005 से वर्ष 2013 के मध्य 79.94%रोजगार की वृद्धि दर रही है।
- प्रदेश में 141.18 लाख व्यक्तियों के कुल रोजगार में से 113.97 लाख (80.73%) कृषीय उद्यमों में और 27.21 लाख (19.27%) गैर–कृषीय उद्यमों में कार्यरत पाये गये।

उद्यमों का प्रकार	**उद्यमों की संख्या प्रतिशत**		**प्रतिशत वृद्धि (2005–2013)**
	2005	**2013**	
ग्रामीण	2204893(54.84)	4158955(62.22)	88.62
नगरीय	1815717(45.16)	252495(37.78)	39.06
कृषीय	257150(06.40)	1445337(21.62)	462.06
गैर–कृषीय	3763460(93.60)	5238568(78.38)	39.20
कृषीय स्वकार्यरत उद्यम	218813(07.69)	1335658(26.46)	510.41

गैर–कृषीय स्वकार्यरत उद्यम	2625791(92.31)	3712735(73.54)	41.39
स्वकार्यरत उद्यम	2844604(70.75)	5048393(75.53)	77.47
भाडेपर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यम	1176006(29.25)	1635512(24.47)	39.07
भाड़ेपर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित कृषीय उद्यम	38337(3.26)	109679(6.71)	186.09
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित गैर–कृषीय उद्यम	1137669(96.74)	1525833(93.29)	34.1
कुल उद्यम	4020610(100.00)	6683905(100.00)	66.24

कार्यरत व्यक्तियों का विवरण

उद्यम के प्रकार के अनुसार कामगार	**कार्यरत व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत**		**प्रतिशत वृद्धि (2005–2013)**
	2005	2013	
ग्रामीण	4082391(50.12)	7953379(56.33)	94.82
नगरीय	4062698(49.87)	6164673(43.67)	51.74
कृषीय	521429(6.40)	2721087(19.27)	421.85
गैर–कृषीय	7623660(93.59)	11396965(80.73)	49.49
कृषीय स्वकार्यरत संचालित उद्यमों में	409656(10.80)		
कार्यरत कामगार		2616119(32.47)	
गैर–कृषीय स्वकार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	489.79		
स्वकार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	4351599(53.42)	6675906(47.29)	53.41
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	2.03 व्यक्ति	2.11 व्यक्ति	–
प्रति उद्यम कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	2.86 व्यक्ति	3.70 व्यक्ति	–
प्रति संस्थान भाड़े पर	8145089(100.00)	14118052(100.00)	73.33

10.6.6.2 प्रदेश में सम्पन्न करायी गयी आर्थिक गणना 1990, 1998, 2005 एवं 2013 के अनुसार उद्यम एवं रोजगारों में पायी गयी क्रमिक वृद्धि की प्रवृत्तिः–

- प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र में पाये गये उद्यमों की आर्थिक गणना 1998 एवं 2005 से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। जिसके अन्तर्गत आर्थिक गणना 1998 में 13.60 लाख ग्रामीण, 14.68 लाख नगरीय, एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 28.28 लाख उद्यमों के सापेक्ष आर्थिक गणना 2005 में 22.05 लाख ग्रामीण, 18.16 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 40.21 लाख उद्यम तथा आर्थिक गणना 2012–13 में 41.59 लाख ग्रामीण, 25.25 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 66.84 लाख उद्यम पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश में उद्यमों की संख्या में नगरीय क्षेत्र के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुयी और समग्र रूप से प्रदेश में उद्यमों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि पायी गयी। आर्थिक गणना 1998 वं 2005 में कृषि उत्पादन एवं बागवानी से संबंधित उद्यमों को छोड़ कर गणना करायी गयी थी, जबकि छठी आर्थिक गणना 2012–13 में कृषि उत्पादन एवं बागवानी के अतिरिक्त लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों के उद्यमों को भी गणना में छोड़ा गया है।

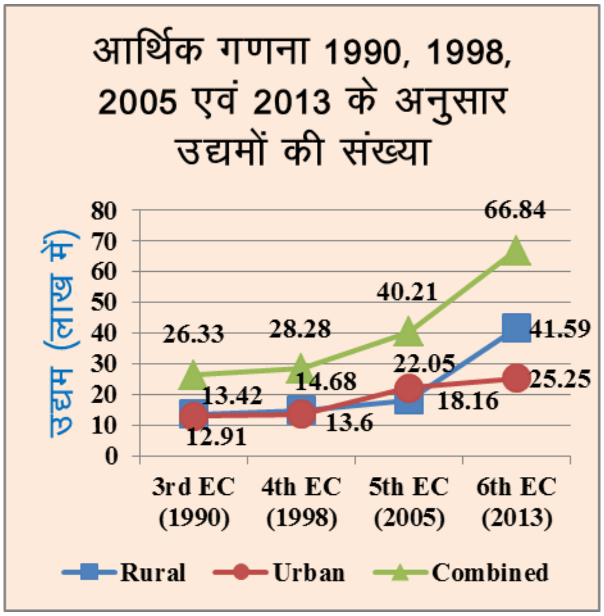

- प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र में पाये गये कामगारों की आर्थिक गणना 1998 एवं 2005 से तुलनात्मक विषलेण किया गया। जसके अन्तर्गत आर्थिक गणना 1998 में 29.87 लाख ग्रामीण, 39.41 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 69.28 लाख कामगारों के सापेक्ष आर्थिक गणना 2005 में 40.82 लाख ग्रामीण, 40.63 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र में कुल 81.45 लाख कामगारों तथा आर्थिक गणना 2012–13 में 79.53 लाख ग्रामीण, 61.65 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र में कुल 141.18 लाख कामगार पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश में कामगारों की संख्या में नगरीय क्षेत्र के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुयी और समग्र रूप से प्रदेश में कामगारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि पायी गयी है।

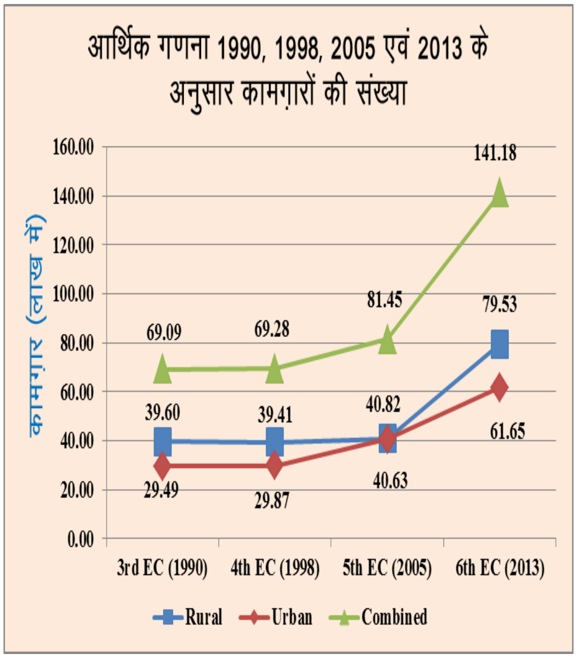

10.6.7 सातवीं आर्थिक गणना 2019

❖ **सातवीं आर्थिक गणना की अद्यतन स्थितिः** प्रदेश की अद्यावधिक भौगोलिक सीमा एवं प्रशासनिक इकाईयों के आधार पर 5वीं आर्थिक गणना उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों में तथा जनगणना–2011 एवं

छठी आर्थिक गणना प्रदेश के 71 जनपदों में करायी गयी थी। जबकि सातवीं आर्थिक गणना प्रदेश के 75 जनपदों तथा 18 मण्डलों में सम्पन्न करायी जायेगी। जनपदों के नवसृजन एवं पुनर्गठन होने के कारण भौगोलिक सीमा के अनुसार क्षेत्र समायोजित कराया जायेगा।

- ❖ प्रगणन खण्ड का आधार जनगणना–2011 में बनाये गये प्रगणन खण्डों को ही बनाया गया है।
- ❖ सचिव एवं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के अर्द्धशा० पत्रांक:P-11012/5/2018/ESD दिनांक 15.10.2018 एवं अर्द्धशा० पत्रांक:P-11012/5/2018/ESD दिनांक 11.12.2018 तथा महानिदेशक (ईएस), भारत सरकार के अर्द्धशा० पत्रांक:P-11012/5/2018/ESD दिनांक 07.03.2019 द्वारा वर्ष 2019 में देशव्यापी सातवीं आर्थिक गणना सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत सम्पादित करायी जायेगी।
- ❖ सातवीं आर्थिक गणना का आँकड़ा संग्रहण एवं प्रथम स्तर का पर्यवेक्षण कार्य CSC के द्वारा नियुक्त प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के माध्यम से मोबाइल ऐप द्वारा निर्धारित साढ़े तीन माह में किया जायेगा।
- ❖ आँकड़ा संग्रहण का कार्य प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किया जायेगा। जिसमें कॉमन सर्विस सेन्टर के 2,22,305 प्रगणक व 48,648 VLEs/Supervisor Level-1 को प्रशिक्षित करने हेतु 600 से अधिक उप–जनपद स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हैं, जिनके द्वारा गणना/पर्यवेक्षकीय कार्य किया जायेगा।
- ❖ CSC द्वारा संग्रहीत आँकड़ों की उच्च गुणवत्ता एवं शत–प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय स्तर के पर्यवेक्षण का कार्य राज्य सरकार के दो विभागों यथा–अर्थ एवं संख्या प्रभाग एवं उद्योग विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा 8 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (FOD), भारत सरकार के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा 2 प्रतिशत सैम्पल के आधार पर किया जायेगा।
- ❖ कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा 4 राज्य स्तरीय एवं 5 सुपरवाइजर लेवल–2 का प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके है, जिसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग के 681 एवं उद्योग विभाग के 109 अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- ❖ उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (FOD), स्टेट कैपिटल, क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (SLOC) का गठन किया जा चुका है। जिसकी अब तक 3 बैठकें यथा–दिनांक 06.06.2019, 25.07.2019 एवं दिनांक 26.09.2019 को आयोजित की जा चुकी हैं।
- ❖ आर्थिक गणना के कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से **मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में** सातवी आर्थिक गणना के संचालन सम्बन्धी तैयारी, प्रगति एवं आर्थिक गणना के संचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने, एकत्रित आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए **राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)** तथा **जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC)** का गठन किया जा चुका है।
- ❖ आर्थिक गणना की तैयारी के सम्बन्ध में SLCC की बैठक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2019 को तथा DLCC की बैठकें जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में विभिन्न दिनाकों में सम्पादित हो चुकी है।
- ❖ सातवीं आर्थिक गणना के समग्र क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में **अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन तथा जनपद में जिलाधिकारी को चार्ज अधिकारी** नामित किया जा चुका है।
- ❖ सातवीं आर्थिक गणना 2019 **शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित** है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार सातवीं आर्थिक गणना के क्षेत्रीय कार्य के पर्यवेक्षण में लगे कार्मिकों को मानदेय का भुगतान Public Financial Management System (PFMS) खाता के द्वारा किया जायेगा। अभी तक कोई भी धनराशि PFMS खाता में भारत सरकार द्वारा नहीं भेजी गयी है।

****

अध्याय– 11
प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग

11.1 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशन

प्रभाग मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा नियमित रूप से निम्नांकित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियां प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग को मुद्रण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

क0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1	सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
2	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में)	डेटा बैंक	वार्षिक	1991
3.	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1994–95
4.	राज्य आय अनुमान, उ0प्र0	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1950–51
5.	उ0प्र0 का आय–व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1965–66
6.	राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 का कार्य विवरण	क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के समन्वय से राज्य नियोजन सस्थान के सभी प्रभाग	वार्षिक	
7.	सांख्यिकीय सारांश उ0प्र0	डेटा बैंक	वार्षिक	1961
8.	जिलेवार विकास संकेतक	डेटा बैंक	वार्षिक	1978
9.	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े	डेटा बैंक	वार्षिक	1976
10	अन्तर्जनपदीय आँकड़े	डेटा बैंक	वार्षिक	1976
11.	सॉख्यिकीय डायरी उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
12.	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	2009

11.2 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशनों की सूची

- सांख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)
- सांख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)
- उत्तर प्रदेश एक झलक (हिन्दी संस्करण) (आँकड़ों में)
- उत्तर प्रदेश एक झलक (अंग्रेजी संस्करण)(आँकड़ों में)
- उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा
- उ0प्र0 का आय–व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण
- राज्य आय अनुभान, उ0प्र0
- राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य विवरण

- सांख्यिकीय सारांश, उ0प्र0
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े
- त्रैमासिक न्यूज लेटर
- आर्थिक गणना (प्रत्येक 5 वर्ष में)
- वार्षिक प्रतिवेदन
- जिलेवार विकास संकेतक
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय,व्यय,पॅजी,स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी ऑकड़े
- अन्तर्जनपदीय ऑकड़े

11.3 वर्ष 2018–19 में प्रकाशित प्रकाशन

1	सांख्यिकीय डायरी उ0प्र0(हिन्दी) 2018	वार्षिक
2	उ0प्र0 एक झलक (ऑकड़ों में) 2018	वार्षिक
3	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा 2017–2018	वार्षिक
4	राज्य आय अनुमान उ0प्र0 2011–12 से 2017–18	वार्षिक
5	उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2018–19	वार्षिक
6	राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य विवरण 2018–19	वार्षिक
7	वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17	वार्षिक
8	वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18	वार्षिक
9	जिलेवार विकास संकेतक 2017	वार्षिक
10	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2013–14	वार्षिक
11	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2014–15	वार्षिक
12	सांख्यिकीय डायरी उ0प्र0(अंग्रेजी) 2017	वार्षिक
13	UP AT A GLANCE (in figure) 2017	वार्षिक
14	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जनवरी–मार्च 2017	त्रैमासिक
15	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अप्रैल–जून 2017	त्रैमासिक
16	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जुलाई–सितम्बर 2017	त्रैमासिक
17	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अक्टूबर–दिसम्बर 2017	त्रैमासिक
18	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जनवरी–मार्च 2018	त्रैमासिक
19	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अप्रैल–जून 2018	त्रैमासिक
20	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जुलाई–सितम्बर 2018	त्रैमासिक
21	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक 2016–17	वार्षिक

******

अध्याय–12
समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष अनुभाग की स्थापना अनुसंधान अनुभाग नाम से की गयी थी। इस अनुभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यो को देखते हुये इसे अनुसंधान अनुभाग से परिवर्तित कर समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग किया गया। 13 अगस्त, 2007 को समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग से ही सम्बद्ध एक रिसर्च सेल की स्थापना की गयी जिसके द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों पर पेपर/प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। दिनांक 06.10.2008 को इस अनुभाग का नाम पुनः संशोधित करते हुये समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग रख दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त रिसर्च सेल को दिनांकः 12.08.2009 को समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग में विलीन कर दिया गया।

12.1 मुख्य उद्देश्य

इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ प्रभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रस्तुतिकरण तथा शोध सम्बंधी कार्य करना एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित करना है।

12.2 सम्पादित कार्यों का विवरण

- समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग द्वारा भारत सरकार, उ0 प्र0 शासन, प्रदेश के अन्य विभागों, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मण्डलों एवं जनपदीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भारत सरकार एवं शासन को समय–समय पर सूचनाओं का प्रेषण।
- मण्डल एवं जनपदों के समग्र कार्यो की सूचना प्राप्त कर मण्डलीय उपनिदेशकों एवं जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जनपद एवं मण्डल के कार्यो की समीक्षा कराना।
- मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा कराना।
- शासन की मांग के अनुसार प्रभाग की कार्य योजना (टास्क सेटिंग) तथा माहवार प्रगति रिपोर्ट, प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रत्येक माह महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तथा अधिष्ठान एवं लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर उपलब्ध कराना।
- समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/ सेमिनार कार्यक्रम में प्रभाग, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्मिकों को नामित करना।
- विभागीय तकनीकी एवं सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व अन्य सम्बन्धित कार्य।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलन (**COCSSO**) में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जा रही संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या, प्रदेश के अन्य विभागों व प्रभागों के अन्य अनुभागों से प्राप्त कर संकलित रूप में भारत सरकार को प्रेषित करने के कार्य को भी सम्पादित किया जाता है।

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किये जाने वाले केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलनों (**COCSSO**) हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्य।
- प्रभाग का त्रैमासिक **News Letter ESR, UP.** का प्रकाशन प्रभाग द्वारा दिसम्बर 2008 से किया जा रहा है। इस News Letter का उद्‌देश्य प्रभाग के समस्त कार्य कलापों, अधुनान्त सूचकांक व प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य अंश तथा अन्य सांख्यिकीय कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।
- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 29 जून को सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी दिवस हेतु विषय का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से सम्बन्धित आख्या (फोटो सहित) प्रकाशन हेतु **CSO** भारत सरकार को भेजी जाती है।

12.3 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

- प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह किये गये महत्वपूर्ण कार्यो की प्रगति प्रमुख समन्वय अधिकारी एवं शासन को प्रेषित की गयी।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहे केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों (**COCSSO**) के दिनांक 15, 16 नवम्बर, 2018 को धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में आयोजित हुए 26वें सम्मेलन में श्री आर0 एन0 एस0 यादव, विशेष सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन तथा श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस सम्मेलन की संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की गयी। इस सम्मेलन का विषय **"Quality Assurance in Official Statistics"** निर्धारित किया गया था।
- स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर 13वां सांख्यिकी दिवस दिनांक 29–06–2019 का आयोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का विषय **Sustainable Development Goals** निर्धारित किया गया।
- राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के 103 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों द्वारा भेजे गये 02 अंतःप्रशिक्षुओं को प्रभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन अंतःप्रशिक्षुता करायी गयी।
- शासन /भारत सरकार से प्राप्त विविध प्रकरणों से संबधित कार्य भी सम्पादित किये गये।

*****

अध्याय–13
स्थापना अनुभाग

वर्ष 1931 में प्रभाग के अस्तित्व में आने के साथ ही स्थापना अनुभाग की स्थापना की गयी, जिसके द्वारा तत्समय से ही निम्न प्रकार के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है:–

- प्रशासनिक व्यवस्था–मण्डल/जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण।
- नियुंक्ति–शासन द्वारा प्रभाग में सृजित पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- पदोन्नति–संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति के पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- स्थायीकरण–प्रभाग में नियुक्ति कार्मिकों की नियमानुसार स्थाईकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ज्येष्ठता–प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों की नियमानुसार ज्येष्ठता की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन–शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को लाभ दिये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सेवा संबंधी अन्य प्रकरण।
- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।
- स्थापना संबंधी सूचनाओं का प्रेषण।

13.1 वर्ष 2018–19 में सम्पादित कार्य

पदोन्नति :–

- 01 अपर निदेशक को निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।

समयमान वेतनमान /वित्तीय स्तरोन्नयन

- 16 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों, 03 आशुलिपिक, 05 कनिष्ठ सहायक व 03 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।
- 47 अर्थ एवं संख्याधिकारियो, 03 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों, 01 वरिष्ठ कलाकार एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।
- 03 संयुक्त निदेशक, 12 उप निदेशक, 02 चर्तुथ श्रेणी कार्मिकों को 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।

स्थानांतरण :–

05 उप निदेशक, 18 अर्थ एवं सख्ंयाधिकारी 129 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 22 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 07 वरिष्ठ कलाकार, 05 आशुलिपिक, 24 वरिष्ठ सहायक, 25 कनिष्ठ सहायक, 09 चालक एवं 30 चपरासियों के स्थानांतरण किये गये।

सेवा निवृत्तिः–वर्ष में 01 निदेशक, 01 उप निदेशक, 04 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 24 अपर सॉख्यिकीय अधिकारी, 04 सहायक सॉंख्यिकीय अधिकारी, 01 वरिष्ठ कलाकार, 01 वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1, 01 प्रधान सहायक, 08 वरिष्ठ सहायक, 03 चालक एवं 03 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कुल 51 कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यः–

- अराजपत्रित कार्मिकों की लम्बित वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को प्राप्त करने हेतु नियमित अनुश्रवण कराया गया।
- मृतक आश्रितो की भर्ती की कार्यवाही तथा चतुंर्थ श्रेणी कार्मिकों की कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षाओ का आयोजन कराया गया।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट के प्रकरणों में सहयोग किया गया।
- स्थापना संबंधी लम्बित प्रकरणों की समीक्षा/ निस्तारण हेतु जनपद कार्यालयों में निरीक्षण किया गया।

******

अध्याय–14
लेखा अनुभाग

प्रभाग के लेखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य के सम्पादन हेतु मुख्यालय पर दो अनुभाग हैं।

- लेखा अनुभाग–1
- लेखा अनुभाग–2

14.1 लेखा अनुभाग–1 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- प्रभाग मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, मण्डलीय उप निदेशकों एवं जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के वार्षिक सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखे का रख–रखाव।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति देयकों के निस्तारण।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव।
- क्षेत्र/मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान करना।
- कर्मचारियों/अधिकारियों की पूर्व विभाग में की गयी सेवा को वर्तमान विभाग की सेवा में जोड़ने का कार्य।
- दिनांक 1.1.2016 से पूर्व से0नि0 अधिकारियो/कर्मचारियों का प्रकल्पित वेतन निर्धारण कर पेंशन पुरीक्षण का कार्य।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के कायालयाध्यक्षों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों के समस्त प्रकार के कालातीत देयकों को कालातीत से मुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही।
- जनपदों/मण्डलों के सरकारी वाहनो को निष्प्रयोज्य कराने सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग से वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय का आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी कार्य।
- जनपदो से प्राप्त आंतरिक लेखा परीक्षण की अनुपालन आख्या मंगाकर परीक्षण करना तथा अनिस्तारित प्रस्तरों का निस्तारण कराना।

- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य की त्रैमासिक/वार्षिक रिर्पोट तैयार कर निदेशक, आंतरिक परीक्षा विभाग को भेजने संबंधी कार्य।
- लेखा परीक्षा समिति/उप समिति की बैठक आडिट एवं लेखा कैडर के गठन की स्थिति एवं आडिट की गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की सूचना तैयार कर निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को भेजने का कार्य।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट आवंटन।
- विभिन्न प्रभागीय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को आय–व्ययक प्रेषित करना।
- एस0एन0डी0 के माध्यम से नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन के पुर्नस्थापना की कार्यवाही।
- अतिरिक्त अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांग के प्रस्ताव प्रेषित करना।
- प्रभाग में प्रचलित परियोनाओं के अन्तर्गत हुए अन्तिम व्यय/बचत की सूचना ससमय शासन को प्रेषित करना।
- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
- विनियोग लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय का प्रेषण।
- वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकर कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से प्रभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान।

14.2 लेखा अनुभाग–2 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- वेतन का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग मुख्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों को अद्युनान्त कर रख–रखाव।
- समय–समय पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत स्वीकृति/भुगतान की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना यथा महालेखाकार से मिलान/जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी की संस्तुतियां प्राप्त किया जाना।
- समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों की किश्तों का आहरण/भुगतान।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का आहरण तथा सेवानिवृत्ति उपरान्त देय सामूहिक बीमे की राशि के आहरण हेतु समुचित कार्यवाही उपरान्त भुगतान करना।
- चिकित्सा दावों की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही सहित सक्षम जांचकर्ता प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त किया जाना।
- प्रभाग के कार्मिकों द्वारा आवेदित भवन निर्माण, भवन मरम्मत, वाहन अग्रिम हेतु शासन से अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि की मांग करना, स्वीकृति, आहरण/भुगतान।

- प्रभाग की सामान्य व्यवस्था के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय बिलों आदि के आहरण/भुगतान की कार्यवाही।
- प्रभाग मुख्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 की स्वीकृति, राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के अग्रिमों की स्वीकृति संबंधी कार्यो का सम्पादन।
- रूपया 5,00,000/– तक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति प्रभाग से प्रदान किया जाना तथा रूपया 5,00,000/– से अधिक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति हेतु शासन को यथोचित प्रस्ताव भेजे जाने संबंधी कार्य तथा उपचार समाप्ति के तीन माह के पश्चात् प्राप्त चिकित्सा दावे की स्वीकृति पूर्व प्रशासनिक विभाग से विलम्बमर्षण की अनुमति प्राप्त किया जाना।

******

अध्याय–15
प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संम्पादित कार्य

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत सरकार द्वारा जनपदवार चयनित राज्य प्रतीक के कारखानों से निर्धारित अनुसूची पर आंकड़े संग्रहित किये जाते है। जनपदों द्वारा सर्वेक्षित कारखानों की भरी हुई अनुसूचियों का परिनिरीक्षण, डेटा इन्ट्री/ वैलिडेशन सम्बंधित मण्डल कार्यालय द्वारा किया जाता है। मण्डल कार्यालयो से त्रुटिरहित आंकड़े प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। वर्ष 2017–18 में जनपदों द्वारा वा0उ0स0 2016–17 के आवंटित / सर्वेक्षित कारखानों का विवरण निम्नवत है।

15.1 भाव एवं मजदूरी दरों का एकत्रण

जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के भावों एवं दरों का एकत्रण निर्धारित दिवस पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नवत् है, जो कि ''√'' से प्रदर्शित हैं :–

भाव/मजदूरी दरों का प्रकार

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहारनपुर	√	√	√	√	√
2	मुजफ्फर नगर	√	√	√	√	√
3	शामली		√	√	√	√
4	बिजनौर	√	√	√	√	√
5	मुरादाबाद	√	√	√	√	√
6	रामपुर	√	√	√	√	√
7	ज्योतिबाफूले नगर		√	√	√	√
8	सम्भल		√	√	√	√
9	मेरठ	√	√	√	√	√
10	बागपत		√	√	√	√
11	गाजियाबाद	√	√	√	√	√
12	गौतमबुद्ध नगर	√	√	√	√	√
13	बुलन्दशहर	√	√	√	√	√
14	हापुड़		√	√	√	√
15	अलीगढ़	√	√	√	√	√
16	हाथरस	√	√	√	√	√
17	एटा	√	√	√	√	√
18	कासगंज	√	√	√	√	√
19	मथुरा	√	√	√	√	√
20	आगरा	√	√	√	√	√
21	फिरोजाबाद	√	√	√	√	√

22	मैनपुरी		√	√	√	√
23	बदायूँ	√	√	√	√	√
24	बरेली	√	√	√	√	√
25	पीलीभीत		√	√	√	√
26	शाहजहाँपुर	√	√	√	√	√
27	खीरी	√	√	√	√	√
28	सीतापुर	√	√	√	√	√
29	हरदोई	√	√	√	√	√
30	उन्नाव	√	√	√	√	√
31	लखनऊ	√	√	√	√	√
32	रायबरेली	√	√	√	√	√
33	फर्रूखाबाद	√	√	√	√	√
34	कन्नौज	√	√	√	√	√
35	इटावा	√	√	√	√	√
36	औरैया		√	√	√	√
37	कानपुर देहात		√	√	√	√
38	कानपुर नगर	√	√	√	√	√
39	जालौन	√	√	√	√	√
40	झाँसी	√	√	√	√	√
41	ललितपुर	√	√	√	√	√
42	हमीरपुर	√	√	√	√	√
43	महोबा	√	√	√	√	√
44	बाँदा	√	√	√	√	√
45	चित्रकूट	√	√	√	√	√
46	फतेहपुर	√	√	√	√	√
47	प्रतापगढ़		√	√	√	√
48	कौशाम्बी	√	√	√	√	√
49	प्रयागराज	√	√	√	√	√
50	बाराबंकी	√	√	√	√	√
51	अयोध्या		√	√	√	√
52	अम्बेदकर नगर	√	√	√	√	√
53	सुल्तानपुर	√	√	√	√	√
54	अमेठी		√	√	√	√
55	बहराइच	√	√	√	√	√
56	श्रावस्ती	√	√	√	√	√
57	बलरामपुर		√	√	√	√
58	गोण्डा	√	√	√	√	√
59	सिद्वार्थनगर	√	√	√	√	√
60	बस्ती		√	√	√	√

61	संतकबीर नगर		√	√	√	√
62	महराजगंज		√	√	√	√
63	गोरखपुर	√	√	√	√	√
64	कुशीनगर		√	√	√	√
65	देवरिया	√	√	√	√	√
66	आजमगढ़	√	√	√	√	√
67	मऊ		√	√	√	√
68	बलिया	√	√	√	√	√
69	जौनपुर	√	√	√	√	√
70	गाजीपुर	√	√	√	√	√
71	चन्दौली	√	√	√	√	√
72	वाराणसी	√	√	√	√	√
73	संतरविदास नगर	√	√	√	√	√
74	मिर्जापुर	√	√	√	√	√
75	सोनभद्र	√	√	√	√	√

इसके अतिरिक्त कच्चे ऊन के थोक भाव 5 केन्द्रों झांसी, इलाहाबाद, सन्तरविदास नगर, जौनपुर एवं रायबरेली से संग्रहित किये जाते हैं । 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । हापुड़ मण्डी के 11 आवश्यक वस्तुओं के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं। कानपुर केन्द्र के बड़ी इलायची के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा ग्रामीण फुटकर भाव/दरों का 6 से कम विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रतिमाह एक निरीक्षण एवं 6 या उससे ऊपर की स्थिति में प्रतिमाह 2 निरीक्षण किये जाते हैं । उपनिदेशक द्वारा इन मदों का विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह कम से कम 2 निरीक्षण किये जाते हैं।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा नगरीय फुटकर भाव/मजदूरी दरों का प्रत्येक दो माह में कम से कम 1 बार तथा उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जनपदों में दो निरीक्षण किये जाते है।

मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा भाव एवं मजदूरी दरों के किये गये निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2017–18

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	भाव एवं मजदूरी दरों के निरीक्षणों क
(1)	(2)	(3)
1	सहारनपुर	12
2	मुजफ्फरनगर	6
3	शामली	10
I	सहारनपुर मण्डल	52
	योग सहारनपुर (मण्डल एवं जनपद)	**80**
4	बिजनौर	53
5	मुरादाबाद	44

6	रामपुर	31
7	ज्योतिबाफूले नगर	19
8	सम्भल	41
II	मुरादाबाद मण्डल	94
	योग मुरादाबाद (मण्डल एवं जनपद)	**282**
9	मेरठ	34
10	बागपत	33
11	गाजियाबाद	22
12	गौतमबुद्व नगर	12
13	बुलन्दशहर	12
14	हापुड़	8
III	मेरठ मण्डल	28
	योग मेरठ (मण्डल एवं जनपद)	**149**
15	अलीगढ़	39
16	हाथरस	27
17	एटा	34
18	कासगंज	29
IV	अलीगढ़ मण्डल	49
	योग अलीगढ (मण्डल एवं जनपद)	**178**
19	मथुरा	21
20	आगरा	10
21	फिरोजाबाद	56
22	मैनपुरी	53
V	आगरा मण्डल	
	योग आगरा (मण्डल एवं जनपद)	**140**
23	बदायूँ	3
24	बरेली	5
25	पीलीभीत	17
26	शाहजहाँपुर	23
VI	बरेली मण्डल	15
	योग बरेली (मण्डल एवं जनपद)	**63**
27	खीरी	37
28	सीतापुर	14
29	हरदोई	
30	उन्नाव	47
31	लखनऊ	34
32	रायबरेली	18
VII	लखनऊ मण्डल	60
	योग लखनऊ (मण्डल एवं जनपद)	**210**
33	फर्रुखाबाद	27

34	कन्नौज	8
35	इटावा	46
36	औरैया	12
37	कानपुर देहात	55
38	कानपुर नगर	32
VIII	कानपुर मण्डल	49
	योग कानपुर (मण्डल एवं जनपद)	**229**
39	जालौन	5
40	झाँसी	40
41	ललितपुर	44
IX	झांसी मण्डल	19
	योग झांसी (मण्डल एवं जनपद)	**108**
42	हमीरपुर	4
43	महोबा	5
44	बाँदा	26
45	चित्रकूट	32
X	चित्रकूटधाम मण्डल	107
	योग चित्रकूटधाम (मण्डल एवं जनपद)	**174**
46	फतेहपुर	45
47	प्रतापगढ़	53
48	कौशाम्बी	47
49	इलाहाबाद	42
XI	इलाहाबाद मण्डल	50
	योग प्रयागराज (मण्डल एवं जनपद)	**237**
50	बाराबंकी	73
51	अयोध्या	32
52	अम्बेडकर नगर	11
53	सुल्तानपुर	52
54	अमेठी	40
XII	अयोध्या मण्डल	6
	योग अयोध्या (मण्डल एवं जनपद)	**214**
55	बहराइच	4
56	श्रावस्ती	28
57	बलरामपुर	46
58	गोण्डा	20
XIII	देवीपाटन मण्डल	34
	योग देवीपाटन (मण्डल एवं जनपद)	**132**
59	सिद्वार्थनगर	84
60	बस्ती	6
61	संतकबीर नगर	31

XIV	बस्ती मण्डल	100
	योग बस्ती (मण्डल एवं जनपद)	**221**
62	महराजगंज	46
63	गोरखपुर	48
64	कुशीनगर	70
65	देवरिया	63
XV	गोरखपुर मण्डल	21
	योग गोरखपुर (मण्डल एवं जनपद)	**248**
66	आजमगढ़	55
67	मऊ	16
68	बलिया	15
XVI	आजमगढ मण्डल	35
	योग आजमगढ (मण्डल एवं जनपद)	**121**
69	जौनपुर	60
70	गाजीपुर	11
71	चन्दौली	38
72	वाराणसी	8
XVII	वाराणसी मण्डल	10
	योग वाराणसी (मण्डल एवं जनपद)	**127**
73	संतरविदास नगर	6
74	मिर्जापुर	14
75	सोनभद्र	44
XVIII	विन्ध्याचल मण्डल	40
	योग विन्ध्याचल (मण्डल एवं जनपद)	**104**

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016–17

क्रम0सं0	जनपद / मण्डल	आवंटन	कुल सर्वेक्षित कारखाने	क्रम0 सं0	जनपद / मण्डल	आवंटन	कुल सर्वेक्षित कारखाने
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	सहारनपुर	40	40	42	फतेहपुर	27	27
2	मुजफ्फरनगर	87	87	43	प्रतापगढ़	4	4
3	शामली	16	16	44	कौशाम्बी	5	5
	सहारनपुर मण्डल	**143**	**143**	45	प्रयागराज	55	55
4	बिजनौर	39	39		**प्रयागराज मण्डल**	**91**	**91**
5	मुरादाबाद	78	78	46	बाराबंकी	25	25
6	रामपुर	37	37	47	अयोध्या	25	25

7	अमरोहा	22	22	48	अम्बेडकर नगर	8	8
8	सम्भल	15	15	49	सुल्तानपुर	4	4
	मुरादाबाद मण्डल	**191**	**191**	50	अमेठी	4	4
9	मेरठ	181	181		**अयोध्या मण्डल**	**66**	**66**
10	बागपत	8	8	51	बहराइच	10	10
11	गाजियाबाद	496	496	52	श्रावस्ती	0	0
12	गौतमबुद्ध नगर	785	785	53	बलरामपुर	5	5
13	बुलन्दशहर	109	109	54	गोण्डा	7	7
14	हापुड़	53	53		**देवीपाटन मण्डल**	**22**	**22**
	मेरठ मण्डल	**1632**	**1632**	55	सिद्धार्थनगर	0	0
15	मथुरा	61	61	56	बस्ती	4	4
16	आगरा	235	235	57	सन्तकबीर नगर	4	4
17	फिरोजाबाद	115	115		**बस्ती मण्डल**	**8**	**8**
18	मैनपुरी	17	17	58	महराजगंज	4	4
	आगरा मण्डल	**428**	**428**	59	गोरखपुर	31	31
19	बदायूँ	4	4	60	कुशीनगर	0	0
20	बरेली	73	73	61	देवरिया	0	0
21	पीलीभीत	13	13		**गोरखपुर मण्डल**	**35**	**35**
22	शाहजहाँपुर	29	29	62	आजमगढ़	0	0
	बरेली मण्डल	**119**	**119**	63	मऊ	0	0
23	खीरी	24	24	64	बलिया	0	0
24	सीतापुर	32	32		**आजमगढ़ मण्डल**	**0**	**0**
25	हरदोई	22	22	65	जौनपुर	11	11
26	उन्नाव	57	57	66	गाजीपुर	8	8
27	लखनऊ	161	161	67	चन्दौली	28	28
28	रायबरेली	15	15	68	वाराणसी	51	51
	लखनऊ मण्डल	**311**	**311**		**वाराणसी मण्डल**	**98**	**98**
29	फर्रूखाबाद	13	13	69	सन्तरविदास नगर	24	24
30	कन्नौज	28	28	70	मिर्जापुर	12	12
31	इटावा	17	17	71	सोनभद्र	0	0

32	औरैया	5	5		**विन्ध्याचल मण्डल**	**36**	**36**
33	कानपुर देहात	37	37	72	अलीगढ़	67	67
34	कानपुर नगर	339	339	73	हाथरस	48	48
	कानपुर मण्डल	**439**	**439**	74	एटा	0	0
35	जालौन	0	0	75	कासगंज	0	0
36	झॉसी	10	10		**अलीगढ़ मण्डल**	**115**	**115**
37	ललितपुर	0	0		**उत्तर प्रदेश**	**3751**	**3751**
	झांसी मण्डल	**10**	**10**				
38	हमीरपुर	0	0				
39	महोबा	7	7				
40	बॉदा	0	0				
41	चित्रकूट	0	0				
	चित्रकूटधाम मण्डल	**7**	**7**				

नोट– (–) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

****

फोटो सेक्शन

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 76वीं आवृत्ति का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

प्रभाग पर 12वें सांख्यिकीय दिवस का आयोजन

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 77वीं आवृत्ति का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 77वीं आवृत्ति का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण